



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 44/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, मद (iv) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के माध्यम से सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए दायी है।”

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 17th September, 2025

No. 44/GST-2.—In exercise of the powers conferred under sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.52/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.52/ST-2, dated the 30th June, 2017, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) ”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 43/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(क) सारणी में,-

(i) खाना (3) के नीचे क्रम संख्या 18 के सामने,, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

“व्याख्या- इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(क) किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ख) किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) खाना (1),(2),(3),(4) तथा (5) के नीचे, क्रम संख्या 36ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उनके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है।	शून्य	शून्य

		[देखिए कृपया पैरा 2 में खंड (य च ख)] व्याख्या: संदेह के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:— (क). यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उक्त व्यक्ति का परिवार है। (ख). उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार में बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।		
36घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है। [देखिए कृपया पैरा 2 में खंड (य च ख)] व्याख्या: संदेह के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:— क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति या एक व्यक्ति और उक्त व्यक्ति का परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार में बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36ड	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 36ग या 36घ में विनिर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य”;

(ख) पैरा 2 में,—

(i) खंड (य ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(य ड) 'माल परिवहन अभिकरण' से अभिप्राय है ऐसा कोई व्यक्ति, जो सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और किसी भी नाम से माल भेजने का नोट जारी करता है, किन्तु इसमें शामिल नहीं है:—

- कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं;
- कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (य च क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(य च ख) उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, 'समूह' से अभिप्राय है ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो बीमा प्राप्त करने के अलावा एक समान प्रयोजन से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:—

- नियोक्ता—कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू विधियों के अनुसार, नियोक्ता—कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;
- गैर—नियोक्ता—कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के अलावा अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (य छ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

“(य छ क) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' से अभिप्राय है, ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन, जो रुग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 43/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017,

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, under column (3), after clause (b), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

- (i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or
- (ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;
- (ii) under columns 1, 2, 3, 4 and 5, after serial number 36B and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that:- (a) This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. (b) For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil

36D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that:- (a) This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. (b) For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
36E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(ze) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include-

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,
- (ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes;-

- (a) Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;
- (b) Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(zga) “health insurance business” means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover;”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 42/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, (1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(क) तालिका में, -

(i) खाना (4) में नीचे, क्रम संख्या 3 के सामने,-

- (क) मद (vii) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) मद (viii) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ग) मद (x) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के सामने, -

(क) मद (i) के सामने,-

- (I) खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी; तथा
- (II) खाना (5) के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -

"बशर्ते कि सेवा के प्रदाय में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया व्याख्या संख्या (iv) देखें]";

- (ख) खाना (3) के नीचे, मद (vi) में, व्याख्या में, खंड (क) में, "खाना (3) में, मद" शब्द, कोष्ठक, अंक और चिह्न के बाद, "(i)" कोष्ठक, अंक और चिह्न रखे जाएंगे;
- (iii) खाना (4) के नीचे, क्रम संख्या 8 के सामने, खाना (3) में,—
- (क) मद (v) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी; तथा
- (ख) मद (vi) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (iv) क्रम संख्या 9 के सामने,—
- (क) खाना (3) के नीचे, मद (iii) में, उप-मद (ख) के सामने, खाना (4) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद (iv) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल से आधानों में माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय न लिया गया हो [देखिए कृपया व्याख्या संख्या (iv)]
	या	
	9	—";

- (ग) खाना (3) के नीचे, मद (v) के सामने, खाना (4) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "9" प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद (vi) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने तथा उसके नीचे प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्"—

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल को उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे,—		
(क) वायुमार्ग के अलावा किसी अन्य परिवहन माध्यम द्वारा माल का परिवहन।		बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय, वस्तुओं के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवाप्रदाता से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट कर प्रत्यय के अतिरिक्त नहीं लिया गया हो। बशर्ते और कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया जाएगा: बशर्ते यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।

		(i) उदाहरण: 'क' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'ख' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपए में नियुक्त करता है, जिसमें 'ख' माल की आवाजाही के लिए परिवहन के एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'ख' एक जीटीए अर्थात् 'ग' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'ख' अपनी सेवाओं को प्रदाय के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन प्रचालक 'घ' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'ख' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा: (ii) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपए (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपए। (iii) कंटेनर परिवहन प्रचालक की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) माल का परिवहन जहां परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	बशर्ते इस मद में दी गई कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न किसी अन्य सेवा के प्रदाय पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के सामने, —

(क) खाना (3) के नीचे, मद (i) के सामने, खाना (4) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"(i) माल वाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट कर प्रत्यय के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। [देखिए कृपया व्याख्या संख्या (iv)] बशर्ते और कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	—";

- (vi) खाना (1), (2), (3), (4) तथा (5) के नीचे, क्रम संख्या 12 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	
		(ii) कुरियर सेवाएँ	9	
		(iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 19) की धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) से भिन्न	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) से भिन्न अन्य डिलीवरी सेवाएँ	9	—";

- (vii) खाना (3) के नीचे, क्रम संख्या 15 के सामने, मद (vi) के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (viii) खाना (3) के नीचे, क्रम संख्या 21 के सामने,
(क) मद (i) और खाना (4) तथा (5) में उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(ख) मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-
"(ii) उपरोक्त (i) और नीचे दी गई क्रम संख्या 38 के अलावा अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएँ";
- (ix) खाना (3) के नीचे, क्रम संख्या 24 के सामने, मद (ii) के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (x) खाना (1), (2), (3), (4) तथा (5) के नीचे, क्रम संख्या 26 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आने वाले हीरों के संबंध में किए गए फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ;	0.75	—";
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ — (क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अधीन आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अधीन आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अधीन आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में दी गई कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अधीन आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए फुटकर-कार्य पर लागू नहीं होगी;	2.5	

		(ड) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण; (च) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है; (छ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अधीन आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अधीन आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से राज्य कर लगता है; (झ) हीरे से भिन्न सभी उत्पाद, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं; (ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) से भिन्न फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(अ) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित के संबंध में सेवाएँ— (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है।	9	
		(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) से भिन्न, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9";	

(xi) खाना (3) के नीचे, क्रम संख्या 32 के सामने,—

(क) मद (i) के सामने, खाना (4) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (i) के सामने, खाना (4) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) खाना (3) के नीचे, क्रम संख्या 34 के सामने,—

(क) मद (ii) के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii)क में, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"व्याख्या: इस मद के खंड (ख) में दी गई कोई भी बात, 'मान्यताप्राप्त खेल आयोजनों' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iii)क के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) खाना (1), (2), (3), (4) तथा (5) के नीचे, क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अधीन आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं।	2.5	बशर्ते कि सेवा के प्रदाय में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है [कृपया व्याख्या संख्या (iv) देखिए]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ, तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। व्याख्या:- संदेह के निवारण के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि खाना (3) में मद (i) के अधीन आने वाले प्रदायों पर खाना (5) में उनके सामने निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, खाना (4) में उनके सामने निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।	9	—";

(xiv) खाना (3) के नीचे, क्रम संख्या 38 के सामने, विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:-

"व्याख्या- इस प्रविष्टि को हरियाणा, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/जीएसटी-2, दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I की क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(ख) व्याख्या से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(i) खंड (x1) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(xli) 'माल परिवहन अभिकरण, से अभिप्राय है, से कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

(ii) खंड (x1) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(x1) 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' का वही अर्थ होगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में इसे दिया गया है;

(xlii) 'हस्तशिल्प वस्तुओं' का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथा संशोधित, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 83/एसटी-2, दिनांक 22 सितंबर, 2017, में इसे दिया गया है।

(xliii) 'परिवहन का ढंग' से अभिप्राय है, माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन;

(xliv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' से अभिप्राय है; ऐसा व्यक्ति जो,-

(क) ऐसी अनुबंध करता है जिसके अधीन वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

(2) पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, प्रथम अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएंगी, अर्थात्: —

"व्याख्या 1.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' से अभिप्राय एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

व्याख्या 2.— उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के एक अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 42/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(1) with effect from the 22nd September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) under column (4), against serial number 3, -

(A) against item (vii), for the existing entry, the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (viii), for the existing entry, the entry "9" shall be substituted;

(C) against item (x), for the existing entry, the entry "9" shall be substituted;

(ii) against serial number 7, -

(A) against item (i), -

(I) for the existing under column (4), the entry "2.5" shall be substituted; and

(II) under column (5), the following entry shall be inserted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]";

(B) under column (3), in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words "covered by items", the brackets, figure and sign "(i)," shall be inserted;

(iii) under column (4), against serial number 8, -

(A) against item (v), for the existing entry, the entry "9" shall be substituted; and

(B) against item (vi), for the existing entry, the entry "9" shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) undercolumn (3), against sub-item (b) of item (iii), under column (4), for the existing entry, the entry “9” shall be substituted;

(B) under column (3), (4) and (5), for item (iv) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	-”;

(C) under column (3), against item (v), under column (4), for the existing entry, the entry “9” shall be substituted;

(D) under column (3), (4) and (5), for item (vi) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst and thereunder shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods are used by a multimodal transporter, where;		
(a) Transportation of goods by any mode of transport other than air.	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken: Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.: Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. Illustration: ‘A’ engages ‘B’ (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein ‘B’ uses more than one mode of transport for the movement of goods. ‘B’, for supplying the said service hires a GTA

		i.e., 'C' for Rs 600 who charges state tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges state tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under: (i) Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA; (ii) To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
(b) At least one mode of transport is by air.	9	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ”;

(v) against serial number 10,-

- (A) under column (3), against item (i), under column (4), for the existing entry, the entry “9” shall be substituted;
- (B) under columns (3), (4) and (5), for item (ia) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
	or	
	9	-”;

- (vi) under columns (1), (2),(3)(4) and (5),for serial number 12 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) local delivery services	9	-
		(a) Supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).		
		(b) other than (a) above		
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-”;

- (vii) undercolumn (3), against serial number 15, against item (vi), under column (4), for the existing entry, the entry “2.5” shall be substituted;
- (viii) undercolumn (3),against serial number 21, -
- (A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5) shall be omitted;
- (B) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-
- “(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;
- (ix) undercolumn (3),against serial number 24, against item (ii), under column (4), for the existing entry, the entry “9” shall be substituted;
- (x) under columns (1),(2),(3),(4) and (5), for serial number 26 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51of 1975);	0.75	-”;
		(ii) Services by way of job work in relation to-	2.5	
		(a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51of 1975);		
		(b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter;		
		(c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51of 1975);		
		(d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under		

	Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), respectively;	
	(e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals;	
	(f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) which attract state tax @2.5% or Nil;	
	(g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);	
	(h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) which attract state tax @2.5%;	
	(i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);	
	(j) handicraft goods;	
	(k) umbrella.	
	(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9
	(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9
	(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to-	
	(a) printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals;	2.5
	(b) printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) which attract state tax @2.5% or Nil.	
	(vi) Tailoring services.	2.5
	(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9”;

(xi) under column (3), against serial number 32, -

- (A) against item (i), under column (4), for the existing entry, the entry “2.5” shall be substituted;
- (B) against item (ia), under column (4), for the existing entry, the entry “2.5” shall be substituted;

(xii) under column (3), against serial number 34, -

- (A) against item (ii), under column (4), for the existing entry, the entry “2.5” shall be substituted;
- (B) in item (iia), the following explanation shall be inserted, namely: -
“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;

- (C) against item (iiia), under column (4), for the existing entry, the entry “20” shall be substituted;
- (D) against item (iv), under column (4), for the existing entry, the entry “20” shall be substituted;

(xiii) under columns (1), (2), (3), (4) and (5) for serial number 35 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract state tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-”;

(xiv) under column (3), against serial number 38, for the existing Explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of Haryana Government, Excise and Taxation Department notification No.36/GST-2, dated the 17th September, 2025.”

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xl), the following clause shall be substituted, namely: -

“(xl) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xl), the following clauses shall be inserted, namely: -

- “(xli) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of Haryana Government, Excise and Taxation Department notification No. 47/ST-2, dated 30.06.2017 as amended from time to time;
- (xlii) ‘handicraft goods’ shall have the same meaning as assigned to it in Haryana Government, Excise and Taxation Department notification No. 83/ST-2, dated 22.09.2017 as amended from time to time;
- (xliii) ‘mode of transport’ means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;
- (xliv) ‘multimodal transporter’ means a person who,-
- (a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
 - (b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

(2) In paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 2025, namely: -

“Explanation 1.- For the purposes of this clause, ‘premises’ means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression ‘a person applying for registration’ shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

2. This notification shall come into effect from 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 41/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों के संबंध में 6 प्रतिशत राज्य कर की दर को अधिसूचित करते हैं, जो उन मालों के अंतः राज्यीय प्रदाय पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका विवरण उक्त अनुसूची के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में, जो टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन आने वाले माल हैं, जैसा कि उक्त अनुसूची के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	प्लाइ ऐश ईटें, प्लाइ ऐश समुच्चय; प्लाइ ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भोजन या समरूप सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

व्याख्या.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

- (क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) धारा और अध्याय नोट्स और प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के निवर्चन के नियम, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना के निवर्चन पर लागू होंगे;

- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 41/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the state tax of 6 per cent in respect of goods specified in the Schedule given below, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Serial Number	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);
 - (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
 - (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2025

संख्या 48/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने

के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 31क में, उप-नियम (2) में, "128" अंको के स्थान पर, "140" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, नियम 39 में, उप-नियम (1क) में, शब्दों और अंकों "धारा 9 की" के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, तथा प्रथम अप्रैल, 2025 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

" हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2025 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन"।

- उक्त नियमों में, नियम 91 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा प्रथम अक्टूबर, 2025 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(2). समुचित अधिकारी, सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर, नियम 90 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन अभिस्वीकृति की तिथि से सात दिन से अनधिक की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में आदेश करेगा:

परंतु समुचित अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनंतिम आधार पर प्रतिदाय प्रदान नहीं कर सकता है और नियम 92 के अधीन आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है:

परंतु यह और कि प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को समुचित अधिकारी द्वारा पुनः विधिमाम्य किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।"

- उक्त नियमों के नियम 110 में, —

(क) उपनियम (1) में,—

- (i) "अनंतिम पावती" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग क में" शब्द, अंक एवं अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे;
- (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (ख) उपनियम (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (ग) उपनियम (4) में "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहाँ जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग ख में" शब्द, अंक एवं अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 110 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"110क. एकल सदस्य पीठ द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया.— (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि किसी राज्य पीठ के संबंध में अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत हो, तो या तो अपनी स्वयं की पहल पर या अपील के पक्षकारों द्वारा दाखिल आवेदन पर, अपील की समीक्षा कर सकता है और यदि अपील में विधि के प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं, तो ऐसी अपील को संबंधित राज्य के भीतर किसी एकल सदस्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।

(2) यदि एकल सदस्य पीठ, उपनियम (1) के अधीन आबंटित अपील की सुनवाई करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील में विधि का प्रश्न सम्मिलित हो सकता है, तो ऐसी पीठ अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अपील को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी स्थिति हो, को पुनर्विचार हेतु वापस भेज देगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपील की समीक्षा या उपनियम (2) के अधीन अपील के पुनर्विचार के दौरान, यह तथ्य कि क्या किसी राज्य के भीतर उसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, समान मुद्दा, समान या भिन्न कर अवधि के लिए पहले से ही तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना जा चुका है या उसका निर्णय हो चुका है, को ध्यान में रखा जाएगा और जहां ऐसा मामला विद्यमान है, तो अपील तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुनी जाएगी।

(4) धारा 109 की उपधारा (8) के अधीन पचास लाख रुपए की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, सम्मिलित संचयी कर या इनपुट कर क्रेडिट या जुर्माना, फीस या शास्ति की राशि का निर्धारण अपील किए गए आदेश में सम्मिलित सभी मुद्दों और सभी कर अवधियों के संदर्भ में किया जाएगा।"।

7. उक्त नियमों के नियम 111 में,—

- (क) उपनियम (1) में,—
 - (i) "अनंतिम पावती" शब्दों के पश्चात्, "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग क में" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (ख) उपनियम (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (ग) उप-नियम (4) में,—
 - (i) "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में", शब्दों, अक्षरों और अंकों, जहां जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग ख में" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) द्वितीय परंतुक में, "स्व-प्रमाणित प्रति" शब्दों के स्थान पर, "स्व-सत्यापित प्रति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में नियम 113 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अपीलीय अधिकरण, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क में आदेश का सारांश जारी करेगा या जारी कराएगा, जिसमें अपीलीय अधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी मांग की अंतिम राशि स्पष्ट रूप से दर्शायी जायेगी।"

9. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटीआर-9 में, —

- (क) सारणी में,—
 - (i) भाग III में, "वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे" शीर्ष के नीचे, —
- (क) क्रम संख्या 6 के सामने, "वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गए आईटीसी के ब्यौरे" शीर्ष के नीचे, —

- (I) क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“क1	पूर्व वित्तीय वर्ष का आईटीसी, जो वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया (जो ऊपर 6क में सम्मिलित है) नियम 37 और नियम 37क के अधीन पुनः दावा किए गए आईटीसी के अतिरिक्त				
क2	वित्तीय वर्ष का शुद्ध आईटीसी =(क-क1)				

”;

- (II) क्रम संख्या ज की प्रविष्टि में, “(उपर्युक्त ख से भिन्न)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जाएगा;
 (III) क्रम संख्या झ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“झ	अंतर (उपर्युक्त झ-क2)				
----	-----------------------	--	--	--	--

”;

- (IV) क्रम संख्या ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसका सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

ड	“आईटीसी-01, आईटीसी-02 और आईटीसी-02क (जीएसटीआर-3ख और ट्रान फॉर्म के अतिरिक्त) के माध्यम से उपभोग किया गया आईटीसी ”				
---	---	--	--	--	--

”;

- (ख) क्रम संख्या 7 के सामने, “वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी और अपात्र आईटीसी के ब्यौरे” शीर्ष के नीचे,-

- (I) क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसका सामने प्रविष्टिया अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“क1	नियम 37क के अनुसार				
क2	नियम 38 के अनुसार				

”;

- (ग) क्रम संख्या 8 के सामने, “अन्य आईटीसी संबंधी सूचना” शीर्ष के अधीन,-

- (I) क्रम संख्या ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ख	उपर्युक्त 6(ख) के अनुसार आईटीसी	<ऑटो>				
----	---------------------------------	-------	--	--	--	--

”;

- (II) क्रम संख्या ज की प्रविष्टियों में, "पर" शब्द के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (III) क्रम संख्या ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"ज1	मालों के आयात पर अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग की गई आईजीएसटी प्रत्यय				
-----	---	--	--	--	--

";

- (IV) क्रम संख्या झ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"झ	अंतर [छ - (ज + ज1)]				
----	---------------------	--	--	--	--

- (ii) भाग IV में, "वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल किए गए रिटर्न में घोषित कर संदाय के विवरण" शीर्षक के नीचे,-

- (क) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"9	विवरण	संदेय कर	नकद के माध्यम से संदत्त	आईटीसी के माध्यम से संदत्त				कुल कर संदत्त	संदेय कर और संदत्त कर के बीच अंतर
				राज्य कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		
	1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	2-8
	एकीकृत कर								
	राज्य कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर								
	उपकर								
	ब्याज								
	विलंब फीस								
	शास्ति								
	अन्य								

";

- (iii) भाग V में, "निर्दिष्ट अवधि तक अगले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में घोषित वित्तीय वर्ष के लेन-देन के विवरण" " आगामी वित्तीय वर्ष की विवरणियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक घोषित वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहार की प्रविष्टियाँ" शीर्षक के नीचे,-

- (क) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"10	चालान / डेबिट नोट / संशोधनो के माध्यम से घोषित आपूर्ति / कर (+)					
-----	---	--	--	--	--	--

11	संशोधनों / क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाई गई आपूर्ति/ कर (-)				
12	अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित वित्तीय वर्ष का आईटीसी				
13	अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया वित्तीय वर्ष का आईटीसी				
14	उपर्युक्त 10 और 11 की घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर				
	विवरण	संदेय	संदत्त	अंतर	
	1	2	3	2-3	
	एकीकृत कर				
	राज्य कर				
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर				
	उपकर				
	ब्याज				

";

(ख) " अनुदेश" शीर्ष के नीचे,-

(i) पैराग्राफ 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. उपयोग किए गए शब्द:

- (क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या
 (ख) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कूट
 (ग) एचएसएन: नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति
 (घ) आईटीसी: इनपुट टैक्स क्रेडिट";

(ii) पैराग्राफ 2क में,-

- (क) " केवल वित्तीय वर्ष" शब्दों के पश्चात्, "जिसके लिए वार्षिक रिटर्न फाइल किया जा रहा है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 (ख) "यहाँ नहीं किया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "जब तक कि विशेष रूप से आवश्यक न हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) पैराग्राफ 4 में, -

- (क) "या वित्त वर्ष 2023-24" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, "या वित्त वर्ष 2024-25" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 (ख) सारणी में, -

- (I) दूसरे खाना में, तालिका संख्या "5घ, 5ङ और 5च" के सामने, "वित्त वर्ष 2023-24" अक्षरों और अंकों के पश्चात्, "और वित्त वर्ष 2024-25," अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 (II) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 5ज, 5झ और "5ज और 5ट" के सामने, "2022-23 और 2023-24" शब्द और अंकों के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 (iv) पैराग्राफ 5 में, सारणी में, -

- (क) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 6क के सामने, "करदाता" शब्द के स्थान पर "वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) तालिका संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"61क	पूर्व वित्तीय वर्ष के संबंध में आईटीसी, किंतु उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग किया गया जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की जा रही है, उस वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है, और ऊपर तालिका 6क में ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज में सम्मिलित है, यहाँ घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही, यदि कोई आईटीसी, जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया, जिसके लिए यह रिटर्न फाइल की जा रही है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।";
------	--

- (ग) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 6ख के सामने, -
- (I) "नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए। " शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, जो आईटीसी (पहली बार) उपभोग किया गया था वह इस तालिका में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल तालिका 6ज में घोषित किया जाना चाहिए।";
- (II) "2022-23 और 2023-24" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 6ग और 6घ के सामने, "2022-23 और 2023-24" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- (ङ) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 6ज के सामने "यहाँ घोषणा की जाएगी।" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, अंतर्वर्ती आपूर्ति पर आईटीसी (आयात और प्रत्यागमन भार के लिए दायी अंतर्वर्ती आपूर्ति से अतिरिक्त किंतु एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को सम्मिलित करता है) जो (पहली बार) प्राप्त किया गया था वह ऊपर तालिका 6ख में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल यहाँ घोषित किया जाना चाहिए।
- साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा।
- साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका दावा किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अतिरिक्त प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह ऊपर तालिका 6क1 में रिपोर्ट किया जाना है।";
- (च) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 6ज. के सामने, "यह राशि शून्य होनी चाहिए।" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 6क2 के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग वित्तीय वर्ष के कुल शुद्ध आईटीसी की राशि और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर क्रेडिट के बीच अंतर यहाँ ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। आदर्श रूप से यह राशि शून्य होनी चाहिए।";

- (छ) तालिका संख्या 6ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"6ण	वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01, प्ररूप आईटीसी-02 और आईटीसी-02क के माध्यम से उपभोग आईटीसी के विवरण (अर्थात् जीएसटीआर 3ख, ट्रान-1 और ट्रान-II के अतिरिक्त अन्य फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आईटीसी) यहाँ घोषित किए जाएंगे।
-----	---

";

- (ज) तालिका संख्या "7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"7क, 7क1, 7क2, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	अपात्रता के कारण या हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, 37क, 38, 39, 42 और 43 के अधीन आवश्यक प्रत्यावर्तन के कारण प्रत्यावर्तित इनपुट कर प्रत्यय के विवरण यहाँ घोषित किए जाएंगे। इस खाना में हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन प्रत्यावर्तित किसी भी इनपुट कर प्रत्यय के विवरण और प्ररूप जीएसटी ट्रान-I या प्ररूप जीएसटी ट्रान-II के अधीन दावा किए गए अपात्र संक्रमण क्रेडिट के विवरण और बाद में प्रत्यावर्तित किए गए विवरण भी सम्मिलित होने चाहिए। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से प्रत्यावर्तित कोई भी आईटीसी या ऊपर किसी भी पंक्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कोई अन्य प्रत्यावर्तन 7ज में घोषित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए, पंजीकृत व्यक्ति के पास या तो तालिका 7क से 7ङ में अपनी प्रत्यावर्तन संबंधी जानकारी अलग से भरने या केवल तालिका 7ज के अंतर्गत प्रत्यावर्तन की पूरी राशि रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।
---	---

";

- (झ) तालिका संख्या 8ख के सामने, "ब्यौरे अपलोड करें।" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, तालिका 6ख में घोषित इनपुट कर क्रेडिट यहाँ ऑटो-पॉपुलेट किया जाएगा।"

- (ञ) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 8ज के सामने "घोषित" शब्द के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष में प्राप्त" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- (ट) तालिका संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"8ज1	8छ में से, माल के आयात पर इनपुट कर प्रत्यय जो अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा।
------	---

- (अ) पैराग्राफ 7 में,-

- (क) "30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया है I" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, भाग V में उस वित्तीय वर्ष के लेन-देन के विवरण सम्मिलित हैं, जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर के मासों के लिए फाइल प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित किया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है।";

(ख) सारणी में, –

(I) दूसरे खाना में, तालिका संख्या "10 और 11" के सामने, "जो 30 नवंबर 2024 तक फाइल किए गए थे, यहाँ घोषित किए जाएंगे।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, तालिका 10 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण, जो चालान या डेबिट नोट या उसी के ऊपरी संशोधन के माध्यम से बढ़ाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में या प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहाँ घोषित किए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, तालिका 11 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में या प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहाँ घोषित किए जाएंगे।";

(II) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 12 के सामने, "वित्तीय वर्ष 2017–18" शब्दों और अंकों से आरम्भ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प होगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, वित्तीय वर्ष के प्रत्यावर्तित आईटीसी का सकल मूल्य जो अगले वित्तीय वर्ष में फाइल रिटर्न के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया है जो 30 नवंबर तक फाइल किया गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा (यह तालिका 7 का हिस्सा नहीं होगा)। अगले वित्तीय वर्ष के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।";

(III) दूसरे खाना में, तालिका संख्या 13 के सामने, "वित्तीय वर्ष 2017–18" शब्दों और अंकों से आरम्भ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प होगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"वित्त वर्ष 2024–25 से आगे, वित्तीय वर्ष से संबंधित प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी के विवरण किंतु इसके लिए आईटीसी अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के रिटर्न में उपभोग किया गया था जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया था, यहाँ घोषित किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(क) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।

तथापि, कोई भी आईटीसी जो किसी वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु अगले वित्तीय वर्ष में पुनः उपभोग किया गया था, ऐसे आईटीसी के पुनः उपभोग के विवरण केवल अगले वित्तीय वर्ष के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर-9 की तालिका 6ज में प्रस्तुत किए जाएंगे। यही यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाना है।";

(vi) पैराग्राफ 8 में, सारणी में, दूसरे खाना में, क्रम संख्या "15क, 15ख, 15ग और 15घ", "15ड, 15च और 15छ", 16क, 16ख, 16ग, और "17 और 18" के सामने, "2022–23 और 2023–24" अंक और शब्द, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "2022–23, 2023–24 और 2024–25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(vii) पैराग्राफ 9 में, "केवल" शब्द के स्थान पर, "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या" शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में, –

(क) सारणी में,–

(i) भाग II में, "वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरए 9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 7 के सामने, "कराधेय आवर्त का समाधान " शीर्ष के नीचे,–

(क) क्रम संख्या घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, –

"घ1	वे आपूर्तियाँ जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का भुगतान किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]				
-----	---	--	--	--	--

(ख) द्वितीय खाना में, क्रम संख्या ड के सामने, अक्षर और कोष्ठकों "(क-ख-ग-घ)" के स्थान पर, "(क-ख-ग-घ-घ1)" अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) भाग III में "संदत्त कर का समाधान" शीर्षक के नीचे,—

(क) क्रम संख्या 9 के सामने "दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान" शीर्षक के नीचे,—

(I) प्रविष्टि क्रम संख्या ट-1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, —

"ट2	वे आपूर्तियाँ जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]	NA				
-----	--	----	--	--	--	--

(II) द्वितीय खाना में, क्रम संख्या द के सामने, "संदाय" शब्द के स्थान पर, "संदेय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 11 के सामने, "अतिरिक्त संदेय राशि, किंतु संदत्त नहीं गई राशि (ऊपर तालिका उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 में विनिर्दिष्ट कारणों से)" शीर्षक के नीचे,—

(I) "नकदी" शब्द के स्थान पर "नकदी या आईटीसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) "अन्य" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: —

	"वे आपूर्तियाँ जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]"	NA				
--	---	----	--	--	--	--

(iii) "गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश" शीर्षक के अधीन, भाग V में —

(क) "नकदी" शब्द के स्थान पर, "नकदी या आईटीसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "अन्य" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

	"वे आपूर्तियाँ जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]		

(iv) भाग V के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"17	संदेय और संदत्त विलंब शुल्क		
	विवरण	संदत्त	संदत्त
	1	2	3
क	एकीकृत कर		
ख	केंद्रीय कर		
ग	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर		

(ख) " अनुदेश" शीर्षक के नीचे,—

(i) पैराग्राफ 4 में, सारणी में,—

- (क) द्वितीय खाना में, "2022-23 और 2023-24" अंकों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) तालिका संख्या 7घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"7घ1	वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित की जाएंगी।
------	---

- (ग) द्वितीय खाना में, तालिका संख्या 7ङ के सामने, " सारणी 7 ख, सारणी 7 ग, सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार, आदि) " शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "सारणी 7 ख , सारणी 7 ग, सारणी 7घ और सारणी 7घ 1 में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार, धारा 9 की उपधारा (5) में की जाने वाली आपूर्ति आदि)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (घ) द्वितीय खाना में तालिका 7च के सामने, "(4 ढ से 4छ)" अक्षर, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर "(4 ढ से 4छ— 4छ1)" अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 6 में, सारणी में—

- (क) द्वितीय खाना में तालिका संख्या 14 के सामने, "2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द के स्थान पर, "2022-23, 2023-24 और 2024-25," अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) तालिका संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रतिविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"17	धारा 47(2) के अनुसार विलंब शुल्क भुगतानयोग्य होगा।";
-----	--

(iii) पैराग्राफ 8 में, "केवल" शब्द के स्थान पर "या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप जीएसटी एपीएल-02ए

[देखिए नियम 110 और 111]

भाग क

अपील/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनंतिम पावती

<आवेदक का नाम> <जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/संदर्भ संख्या/बीओ आईडी (दिनांक सहित)>

"आपकी अपील <आवेदन संदर्भ संख्या> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दायर कर दी गई है।

आपने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पोर्टल पर एक अपील/आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी अनंतिम पावती दी जाती है और इसका दाखिला/स्वीकृति रजिस्ट्री/पीठ द्वारा संवीक्षा के अधधीन है। अनंतिम पावती संख्या <दैनिक संख्या> दिनांक----- है।"

जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर —

दाखिल करने की तिथि —

दाखिल करने का समय —

दाखिल/अनंतिम पावती संख्या —

अपील दायर करने वाले व्यक्ति का नाम —

अपील फीस —

संव्यवहार आईडी —

<हस्ताक्षर>

स्थान:

दिनांक:

नाम

पदनाम

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से

भाग ख

अपील/आवेदन के पंजीकरण/अस्वीकार की सूचना देने वाली अंतिम पावती

आपकी अपील/आवेदन <आवेदन संदर्भ संख्या> दिनांक <दिनांक> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दाखिल/पंजीकृत हो गई है।

जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर —

केस पंजीकरण संख्या —

स्वीकृति की तिथि —

उपस्थिति की तिथि:

न्यायालय संख्या:

समय:

पीठ:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....

पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ————— दिनांक ————— है, अस्वीकृत कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....

पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ————— दिनांक ————— है, को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है।

खारिज करने की तिथि:

एआर/जेआर/डीआर/आर

जीएसटीएटी.....

पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ----- दिनांक ----- है, गलत क्षेत्राधिकार के कारण अस्वीकृत कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:
एआर/जेआर/डीआर/आर
जीएसटीएटी.....
पीठ"

या

आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ----- दिनांक ----- है, आपूर्ति स्थान संबंधी मुद्दे की गलत प्रयोज्यता के कारण अस्वीकार कर दी गई है।

अस्वीकृति की तिथि:
एआर/जेआर/डीआर/आर
जीएसटीएटी.....
पीठ"

12. .उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क"

[देखिए नियम 113(2)]

माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् आदेश और मांग का सारांश क्या पुनः प्रेषण आदेश है: हाँ / नहीं

आदेश संदर्भ संख्या—

आदेश की तिथि—

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/ यूआईएन –	
2.	अपील मामला संदर्भ संख्या –	
3.	अपीलार्थी का नाम –	
4.	प्रत्यर्थी का नाम –	
5.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई –	

(क) आदेश प्रकार — मांग, पंजीकरण, प्रतिदाय, प्रवर्तन, प्रतिदाय और अन्य

(ख) संदर्भ संख्या –

तिथि –

6. व्यक्तिगत सुनवाई – (सभी सुनवाई तारीखें)

7. अपील के अधीन आदेश की स्थिति— पुष्ट/ संशोधित/ अस्वीकृत

पुष्ट – अपील के अधीन आदेश पुष्ट किया गया

संशोधित – अपील के अधीन आदेश संशोधित किया गया

अस्वीकृत – अपील के अधीन आदेश रद्द किया गया

8. संक्षेप में आदेश: (मुक्त पाठ, अधिकतम 2500 वर्ण)–

9. यदि मांग आदेश है, तो क्या मांग परिमाणित है: (हाँ/नहीं)

(यदि उत्तर हाँ है, तो मांग निम्नप्रकार परिमाणित है:)

खंड-I

विवरण	राज्य कर		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल	
	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि	विवादित राशि	निर्धारित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) कर										
(ख) ब्याज										
(ग) शास्ति										
(घ) फीस										
(ङ) अन्य										
(च) प्रतिदाय										

खंड-II

आपूर्ति का स्थान/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद में राशि					
	निर्धारित राशि					
पंक्तियाँ जोड़ें						

10. अन्य आदेशों और मांग आदेशों के लिए जो परिमाणित नहीं हैं

समुचित अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुद्दे	जीएसटी अपीलीय अधिकरण का आदेश

11. यदि निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया गया:

(क) पुनः प्रेषित किया गया: (उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करें जिसे पुनः प्रेषित किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोई अन्य)

(ख) निर्देश जिनके अधीन पुनः प्रेषित किया गया, यदि कोई हो: (मुक्त पाठ, अधिकतम 1000 शब्द)

खंड-III (लाभ-विरोधी)

12. संक्षेप में आदेश: (ड्रॉप-डाउन मान)

- (क) मूल्य में कमी
 (ख) प्राप्तकर्ता को उस राशि की वापसी जो हस्तांतरित नहीं की गई, ब्याज सहित
 (ग) उपभोक्ता कल्याण निधि/निधियों में जमा
 (घ) अधिरोपित शास्ति (राशि विनिर्दिष्ट की जानी है)
 (ङ) पंजीकरण का रद्दकरण

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

पदनाम:

क्षेत्राधिकार:"

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-05*[देखिए नियम 110(1)]*

माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन -
2. अपीलकर्ता का नाम -
3. अपीलकर्ता का पता -
4. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण):

(क)

(ख)

(ग)

.....

(प्रत्यर्थी(गण) का पदनाम और कार्यालय विनिर्दिष्ट करें)

5. आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(ख) नाम..... मोबाइल ईमेल

.....

6. अपील किया गया आदेश - एपीएल-04/अस्वीकृत एपीएल-02

संख्या -

दिनांक-

7. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है — हाँ/नहीं

8. अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय -

9. अपील किए गए आदेश की संसूचना तिथि —

10. अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दिए गए आदेश का विवरण:

क) संख्या - दिनांक —

ख) आदेश प्रकार (अनुबंध क के अनुसार)

ग) विवाद की अवधि (DDMMYYYY) से (DDMMYYYY) तक

(मांग संबंधी आदेशों के लिए लागू)

11. क्रम संख्या 9 में विनिर्दिष्ट आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का विवरण: (उक्त प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय विनिर्दिष्ट करें)

12. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(ख) नाम..... मोबाइल ईमेल

.....

सत्यापन

मैं, < _____ >, इसके द्वारा , गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे पास सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध मेरे द्वारा या मेरी ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई है या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।

आज _____ दिन _____ माह _____ 20... _____ को सत्यापित।

< हस्ताक्षर >

स्थान: आवेदक का नाम

दिनांक: पदनाम/स्थिति

अनुलग्नक क**(आदेश प्रकार)**

क्र.सं.	'आदेश प्रकार' की सूची
1	मांग आदेश
2	प्रतिदाय आदेश
3	पंजीकरण आदेश
4	प्रवर्तन आदेश
5	वसूली आदेश
6	अन्य आदेश

अनुलग्नक ख**(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)**

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37	अन्य-		
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे		

अनुलग्नक ग

मामले का सारांश (जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी का इनकार/अवरोधन				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
4	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय				
5	जुर्माने का लगाना				
6	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माने का लगाना				
7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)				
8	कोई अन्य				

उपयोगकर्ता एक से अधिक मुद्दा जोड़ सकता है

क्र.सं.	'आदेश प्रकार' की सूची	केस सारांश- संबंधित मुद्दा
1	मांग आदेश	1) कर का कम या भुगतान न करना 2) जुर्माना लगाना 3) ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना 4) वर्गीकरण विवाद
2	प्रतिदाय आदेश	1) त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय

3	पंजीकरण आदेश	1) पंजीकरण 2) पंजीकरण रद्द करना
4	प्रवर्तन आदेश	1) जुर्माना लगाना 2) ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना
5	वसूली आदेश	1) आईटीसी से अस्वीकार/अवरुद्ध करना
6	अन्य आदेश	कोई अन्य

अनुलग्नक घ

अपीलकर्ता के बारे में

संघटन / पहचान संख्या	व्यवसाय का संघटन	जिस अधिनियम के अधीन निगमित	व्यवसाय प्रारंभ की तिथि	पता	व्यवसाय की प्रकृति	कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता को निम्नलिखित स्वतंत्र पाठ रूप में बताना है:

अपीलकर्ता को उल्लेख करना है:

क. उसके व्यवसाय का संविधान (जैसे कंपनी, साझेदारी, एचयूएफ, ट्रस्ट, आदि)

ख. अधिनियम जिसके अधीन निगमित, यदि कोई हो (जैसे कंपनी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, आदि)

ग. इसके संविधान की तिथि

घ. गठन प्राधिकारी द्वारा इसे दी गई संघटन/पहचान संख्या (जैसे कंपनी के मामले में कॉर्पोरेट पहचान संख्या, आदि)

ड. इसके मुख्य कार्यालय का पता और राज्य में इसके मुख्य व्यवसाय स्थल का पता

च. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी और जिस तिथि से जीएसटी के अधीन पंजीकृत

छ. व्यवसाय की प्रकृति जिसमें वह संलग्न है (जैसे निर्माता/थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता/सेवा प्रदाता, आदि)

ज. अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अनुलग्नक ड

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई कर्ता	तिथि	संक्षिप्त विवरण
<आवश्यक होने पर पंक्तियाँ जोड़ें>			

14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-06

[देखिए नियम 110(2)]

धारा 112 की उप-धारा (5) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवाद

क्र.सं.	विवरण
1	अपील संख्या -
2	वर्तमान प्रतिवाद दाखिल कर्ता: - जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/सीआरएन/एआरएन - नाम - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर - संचार के लिए पता - अधिकारी का पदनाम - कार्यालय विवरण - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर -

3	आदेश संख्या – (अपीलीय पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश) – तिथि				
4	अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और क्षेत्राधिकार पदनाम: क्षेत्राधिकार: आदेश पारित कर्ता:				
5	अपील किए गए आदेश की संचार तिथि –				
6	प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, जहाँ उपलब्ध – उक्त प्रतिनिधि की ई-मेल आईडी – उक्त प्रतिनिधि का संपर्क नंबर				
7.	विवाद के अधीन मामले का विवरण –				
(i)	विवाद की अवधि -				
(ii)	विवाद के अधीन राशि	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	एकीकृत कर	उपकर
	(क) कर				
	(ख) ब्याज				
	(ग) जुर्माना				
	(घ) फीस				
	(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)				
(iii)	जब्त किए गए माल का बाजार मूल्य, जहाँ सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्ती है -				
8	सम्मिलित मुद्दों का सारांश और उसके उत्तर का सारांश – अनुलग्नक क				
9	करदाता या केंद्रीय/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि - या वर्तमान प्रतिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि -				
मांग तालिका					
10	श्रेणी	कर	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति के अनुसार
	कर	केंद्रीय कर			
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
		एकीकृत कर			
		उपकर			
		कुल			
	ब्याज	केंद्रीय कर			
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
		एकीकृत कर			
		उपकर			
		कुल			
	जुर्माना	केंद्रीय कर			
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			

		एकीकृत कर			
		उपकर			
		कुल			
	फीस	केंद्रीय कर			
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
		एकीकृत कर			
		उपकर			
		कुल			
	अन्य	केंद्रीय कर			
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
		एकीकृत कर			
		उपकर			
		कुल			
	प्रतिदाय	केंद्रीय कर			
		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
		एकीकृत कर			
		उपकर			
		कुल			
11	प्रतिवाद के ज्ञापन में दावा की गई राहत				
12	उत्तर का सारांश (अनुलग्नक ख)				
13	प्रतिवाद के आधार				
14	पैरा-वार उत्तर (अलग से अपलोड करें)				
	सत्यापन: मैं, < _____ >, एतद्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे कब्जे में स्थित सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है। आज _____ दिन _____ माह _____ 20... _____ को सत्यापित। स्थान : तिथि : <हस्ताक्षर> इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम: आवेदक/अधिकारी का पदनाम/स्थिति :"				

अनुलग्नक क

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37	अन्य-		
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे		

अनुलग्नक ख

उत्तर का सारांश

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं)
(प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी का इनकार/अवरोधन				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
4	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय				
5	जुर्माने का लगाना				
6	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माने का लगाना				
7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)				
8	कोई अन्य				

".

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

“प्ररूप जीएसटी एपीएल-07

[देखिए नियम 111]

(धारा 112 की उप धारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन)

1. अपीलकर्ता/अपीलकर्ता के कार्यालय का नाम और पदनाम:

(क). नाम

(ख). पदनाम

(ग). न्यायाधिकार

(घ). राज्य/केंद्र

2. जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन (प्रत्यर्थी का) -**3. प्रत्यर्थी का नाम****4. प्रत्यर्थी का पता****5. जिसके विरुद्ध अपील की गई है वह आदेश - संख्या - दिनांक -****6. अपील किए गए आदेश पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण का न्यायाधिकार सहित पूरा पदनाम -****7. अपील किए गए आदेश की संसूचना की दिनांक -****8. विवाद के अधीन मामले का विवरण:**

क. विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त मुद्दा

ख. विवाद की अवधि -

- ग. मामले का सारांश (अनुबंध क के अनुसार)
घ. जब्त किए गए माल का बाज़ार मूल्य, जहां सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्त करना है
9. प्रत्यर्थी के बारे में (अनुबंध ख के अनुसार)
 10. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है- हां/नहीं
 11. तथ्यों का कथन (अनुबंध ग के अनुसार)
 12. अपील के आधार –
 13. प्रार्थना –
 14. विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे – (अनुबंध घ के अनुसार)
 15. मांग का विवरण:

विवरण	केंद्रीय कर			राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			एकीकृत कर			उपकर			कुल राशि		
	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार मांग की राशि (क)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मांग की राशि (सिस्टम से स्वतः भरा गया या अपीलकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से भरा गया)	वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार राशि (ग)
(क) कर															
(ख) ब्याज															
(ग) शास्ति															
(घ) फीस															
(ङ) अन्य प्रभार															

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (3) के अनुसार मुझे आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह आवेदन दाखिल करने के लिए विधिवत प्राधिकृत/निर्देशित किया गया है और उक्त निर्देश/प्राधिकरण की सत्य प्रति इसके साथ अपलोड की जा रही है।

स्थान:
दिनांक:

<हस्ताक्षर>
अधिकारी का नाम:
पदनाम:
न्यायाधिकार:

अनुलग्नक क

मामले का सारांश

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र. संख्या	मुद्दा संबंधित	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का रुख	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण के रद्दीकरण का प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी की अस्वीकृति/रोकना				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
5	गलत प्रतिदाय				
6	शास्ति का आरोपण				
7	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना का आरोपण				
8	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संगत स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख करें)				
9	कोई अन्य				

अनुलग्नक ख

प्रत्यर्थी के बारे में

व्यवसाय का संविधान		पता	व्यवसाय की प्रकृति		कोई अन्य संगत तथ्य
जीएसटीएन/अस्थायी पहचान	व्यवसाय का संविधान	कोई अन्य संविधान व्यवसाय	पता	व्यवसाय की प्रकृति	कोई अन्य संगत तथ्य

अनुलग्नक ग

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई करने वाला	दिनांक	संक्षिप्त विवरण

अनुबंध घ

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन बाह्य आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला		
37	अन्य-		
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे		

”

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 48/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 22nd day of September, 2025.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 31A, in sub-rule (2), for the figure "128", the figure "140" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 39, in sub-rule (1A), after the words and figures "of section 9", the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the first day of April, 2025, namely: —

"of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2025)".

4. In the said rules, in rule 91, for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of October, 2025, namely: —

"(2) The proper officer, on the basis of identification and evaluation of risk by the system, shall make an order in **FORM GST RFD-04**, within a period not exceeding seven days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 90:

Provided that the proper officer, for reasons to be recorded in writing, may not grant refund on provisional basis and proceed with the order under rule 92:

Provided further that the order issued in **FORM GST RFD-04** shall not be required to be revalidated by the proper officer."

5. In the said rules, in rule 110, —

- (a) in sub-rule (1), -
 - (i) after the words "electronically and provisional acknowledgement", the words, letters and figures "in Part A of FORM GST APL-02A" shall be inserted;
 - (ii) the proviso shall be omitted;
- (b) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted;
- (c) in sub-rule (4), for the words, letters and figures "in FORM GST APL-02", wherever they occur, the words, letters and figures "in Part B of FORM GST APL-02A" shall be substituted.

6. In the said rules, after rule 110, the following rule shall be inserted, namely: —

"110A. Procedure for the Appeals to be heard by a single Member Bench. -

- (1) The President or the Vice-President if so authorised by the President in respect of any State Bench, may either on his own motion or an application filed by the parties to the appeal, scrutinise the appeal and transfer such appeal to any single Member Bench within the respective State if the appeal does not involve a question of law.
- (2) In case the single Member Bench, while hearing the appeal allotted under sub-rule (1), comes to a conclusion that the appeal may involve a question of law, such Bench shall for reasons to be recorded in writing send back the appeal to the President or the Vice-President, as the case may be, for reconsideration.
- (3) During the scrutiny of appeal under sub-rule (1) or reconsideration of appeal under sub-rule (2), the fact as to whether in respect of the same taxable person within a State, the same issue for the same or a different tax period has already been heard or decided by a Bench comprising of a Technical Member and a Judicial Member, shall be taken into consideration and where such a matter exists, the appeal shall be heard by a Bench comprising of a Technical Member and a Judicial Member.
- (4) For the purpose of reckoning the amount of fifty lakh rupees under sub-section (8) of section 109, the cumulative tax or input tax credit involved, or the amount of fine, fee or penalty, shall be determined with reference to all issues and all tax periods covered in the order appealed against."

7. In the said rules, in rule 111, —

- (a) in sub-rule (1), -
 - (i) after the words "provisional acknowledgement", the words, letters and figures "in Part A of FORM GST APL-02A" shall be inserted;
 - (ii) the proviso shall be omitted;
- (b) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted;
- (c) in sub-rule (4), -
 - (i) for the words, letters and figures "in FORM GST APL-02", wherever occurring, the words, figures and letters "in Part B of FORM GST APL-02A" shall be substituted;
 - (ii) in the second proviso, for the words "self-certified copy" the words "self-attested copy" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 113, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2) The Appellate Tribunal shall, along with its order under sub-section (1) of section 113, issue, or cause to be issued, a summary of the order in FORM GST APL-04A clearly indicating the final amount of demand confirmed by the Appellate Tribunal."

9. In the said rules, in FORM GSTR-9, -

(a) in the Table, -

(i) in Pt. III, under the heading “Details of ITC for the financial year”, -

(A) against serial number 6, under the heading “Details of ITC availed during the financial year”, -

(I) after serial number A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“A1	ITC of preceding financial year availed in the financial year (which is included in 6A above) other than ITC reclaimed under rule 37 and rule 37A				
A2	Net ITC of the financial year =(A-A1)”				

(II) in the entry against serial number H, the words, brackets and letter “(other than B above)” shall be omitted;

(III) for serial number J and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“J	Difference (I-A2 above)”				
----	--------------------------	--	--	--	--

(IV) for serial number M and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst, shall be substituted, namely:-

“M	ITC availed through ITC-01, ITC 02 and ITC-02A (other than GSTR-3B and TRAN Forms)				
----	--	--	--	--	--

”;

(B) against serial number 7, under the heading “Details of ITC reversed and Ineligible ITC for the financial year”, -

(I) after serial number A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst, shall be inserted, namely:-

“A1	As per rule 37A				
A2	As per rule 38”;				

(C) against serial number 8, under the heading “Other ITC related information”, -

(I) against serial number B, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“					
B	ITC as per 6(B) above”;	<Auto>			

(II) in the entries against serial number H, after the words, brackets, figure and letter “(as per 6(E) above)”, the words “in the financial year” shall be inserted;

- (III). after serial number H and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst, shall be inserted namely: -

“

“H1	IGST Credit availed on Import of goods in next financial year”				
-----	--	--	--	--	--

”;

- (IV). for serial number I and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst, shall be substituted namely:-

“I	Difference [G- (H +H1)]”;				
----	---------------------------	--	--	--	--

- (ii) in Pt.IV, under the heading “Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year”-

- (A) for serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst, shall be substituted, namely: -

“9	Description	Tax Payable	Paid through cash	Paid through ITC				Total Tax Paid	Difference between Tax payable and paid
				Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	2-8” ;
	Integrated Tax								
	Central Tax								
	State/UT Tax								
	Cess								
	Interest								
	Late fee								
	Penalty								
	Other								

- (iii) in Pt.V, under the heading “Particulars of the transactions for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period-

- (A) for serial numbers 10, 11, 12, 13 and 14 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“10	Supplies / tax declared through Invoices / Debit Note / Amendments (+)					
11	Supplies / tax reduced through Amendments / Credit Note (-)					
12	ITC of the financial year reversed in the next financial year					

13	ITC of the financial year availed in the next financial year					
14	Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above					
	Description	Payable		Paid	Difference	
	1	2		3	2-3";	
	Integrated Tax					
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Cess					
	Interest					

"(B) under the heading "Instructions", –

(i) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted,namely:–

"1. Terms used:

- (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- (b) UQC: Unit Quantity Code
- (c) HSN: Harmonised System of Nomenclature Code
- (d) ITC: Input Tax Credit";

(ii) in paragraph 2A,–

- (A) after the words, "financial year only", the words "for which annual return is being filed" shall be inserted;
- (B) after the words "not be reported here", the words "until unless specifically required" shall be inserted;

(iii) in paragraph 4, -

- (A) after the words, letters and figures "or FY 2023-24" the words, letters and figures "or FY 2024-25" shall be inserted;
- (B) In the Table, -

(I) in second column, against table number "5D, 5E and 5F", after the letters and figures "FY 2023-24", the letters and figures "and FY 2024-25," shall be inserted;

(II) in second column, against table numbers 5H, 5I and "5J and 5K", for the word and figures "2022-23 and 2023-24", the figures and word "2022-23, 2023-24 and 2024-25," shall be substituted;

(iv) In paragraph 5, in the Table, -

- (A) in second column, against table number 6A, for the word "taxpayer" the words "financial year" shall be substituted;
- (B) after table number 6A and entries thereagainst, the following table number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"6A1	ITC in respect of the preceding financial year, but availed through FORM GSTR-3B of April to October of the Financial Year for which annual return is furnished, filed till 30th November of the Financial Year for which annual return is furnished and included in auto populated values in table 6A above, should be declared here. Also, if any ITC which was claimed and reversed (due to rule 37 or rule 37A) in any of the preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall not be reported here as this will be reported in the Table 6H below. Also, if any ITC which was claimed and reversed (other than due to rule 37 or rule 37A) in preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall be reported here and this will not be reported in the Table 6H below.";
------	--

- (C) in second column, against table number 6B, -
- (I) after the words, figures, brackets and letters “separately under 6(H) below.”, the following words, figures, brackets, letters and signs shall be inserted, namely: –
- “However, for FY 2024-25 onwards, in case of ITC availed, reversed and then reclaimed, ITC which was availed (for the first time) should be declared in this table. ITC which was reversed should be declared in the Table 7 and ITC that is reclaimed shall only be declared in Table 6H.”;
- (II) for the figures and word “2022-23 and 2023-24” the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted.
- (D) in second column, against table numbers 6C and 6D, for the words and figures “2022-23 and 2023-24” the words and figures “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted.
- (E) in second column, against table number 6H, after the words “shall be declared here.” the following words, figures, brackets, letters and signs shall be inserted, namely:–
- “However, for FY 2024-25 onwards, in case of ITC availed, reversed and then reclaimed, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) which was availed (for the first time) shall be declared in Table 6B above. ITC which was reversed should be declared in the Table 7 and ITC that is reclaimed should only be declared in here.
- Also, if any ITC which was claimed and reversed (due to rule 37 or rule 37A) in any of the preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed, shall be reported here.
- Also, if any ITC which was claimed and reversed (other than rule 37 or rule 37A) in preceding financial year but reclaimed during the financial year for which this return is being filed shall not be reported here as it is to be reported in the Table 6A1 above.”;
- (F) in second column, against table number 6J, after the words “this amount should be zero.”, the following words, figures, signs and alphabets shall be inserted, namely: –
- “However, for FY 2024-25 onwards, the difference between the total amount of net ITC of the financial year availed through FORM GSTR-3B as per Table 6A2 and input tax credit declared in row B to H shall be auto populated here. Ideally, this amount should be zero.”;
- (G) for table number 6M and entries thereagainst, the following table and entries shall be substituted, namely:–

“6M	Details of ITC availed through FORM ITC-01, FORM ITC-02 and ITC-02A (i.e. ITC availed through Forms other than GSTR 3B, TRAN-1 and TRAN-II) in the financial year shall be declared here.”;
-----	--

- (H) for table number “7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H” and entries thereagainst, the following table and entries shall be substituted, namely:–

“7A, 7A1, 7A2, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required under rule 37, 37A, 38, 39, 42 and 43 of the HGST Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5) of the HGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 or any other reversal not specified in any row above shall be declared in 7H. For FY 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only.”;
--	---

- (I) against table number 8B, after the words and brackets “(without the CA certification).”, the following shall be inserted, namely: –
“However, for FY 2024-25 onwards, the input tax credit as declared in Table 6B shall be auto-populated here.” shall be inserted.
- (J) in second column, against table number 8H after the words “The input tax credit”, words “availed in the financial year” shall be inserted.
- (K) after table number 8H and the entries thereagainst, the following shall be inserted, namely:-

“8H1	Out of 8G, the input tax credit on Import of goods which is availed in next financial year shall be declared here.”;
------	--

(v). in paragraph 7,-

- (A) after the words, letters and figures “filed upto 30th November, 2024” the following words, letters, figures and signs shall be inserted, namely:-

“From FY 2024-25 onwards, Part V consists of particulars of transactions for the financial year for which annual return is furnished but declared in the FORM GSTR-3B filed for the months of April to October of next financial year, filed upto the 30th November of next financial year.”;

- (B) In the Table, –

(I) in second column, against table number “10 and 11”, after the words, letters and figures “30th November, 2024 shall be declared here” the following words, letters, figures and signs shall be inserted, namely:-

“From FY 2024-25 onwards, for Table 10, details of supplies or tax increased through invoices or debit note or upward amendment of the same pertaining to the financial year but furnished in FORM GSTR-1 or as amended in FORM GSTR-1A or furnished through invoice furnishing facility of April to October of the next financial year, filed upto the 30th November of next financial year shall be declared here.

From FY 2024-25 onwards, for Table 11, details of supplies or tax reduced through invoices or credit note pertaining to the financial year but furnished in FORM GSTR-1 or as amended in FORM GSTR-1A or furnished through invoice furnishing facility of April to October of the next financial year, filed upto 30th November of next financial year shall be declared here.”;

- (II) in second column, against table number 12, after the letters, words and figures “and 2023-24, the registered person shall have an option to not fill this table” the following letters, words, figures and signs shall be inserted, namely:-

“For FY 2024-25 onwards, aggregate value of reversed ITC of the financial year which has been reversed through the return filed in next financial year filed upto 30th November, shall be declared here (This will not be part of Table 7). Table 4(B) of FORM GSTR-3B of next financial year may be used for filling up these details.”;

- (III) in second column, against table number 13, after the letters, words and figures “and 2023-24, the registered person shall have an option to not fill this table” the following letters, words, figures and signs shall be inserted, namely:-

“For FY 2024-25 onwards, details of ITC on supply of goods or services received pertaining to the financial year but ITC for the same was availed in return from April to October of next financial year filed upto 30th November, of next financial year shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B of April to October of next financial year may be used for filling up these details.

However, any ITC which was reversed in any of the financial years as per rule 37 or rule 37A but was reclaimed in next financial year, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the Table 6H of GSTR-9 to be filed for next financial year only. The same shall not to be reported here .”;

- (vi) in paragraph 8, in the Table, in second column, against serial numbers “15A, 15B, 15C and 15D”, “15E, 15F and 15G”, 16A, 16B, 16C, and “17&18”, for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, wherever occurring, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;
- (vii) in paragraph 9, for the word “only”, the words “or electronic credit ledger” shall be substituted.

10. In the said rules, in FORM GSTR-9C, –

(a) in the Table,–

(i) in Pt.II, under the heading “Reconciliation of turnover declared in audited Annual Financial Statement with turnover declared in Annual Return (GSTR-9)”, against serial number 7, under the heading “Reconciliation of Taxable Turnover”,–

(A) after serial number D and entries thereagainst the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely, –

“D1	Supplies on which tax is to be paid by ecommerce operators as per sub-section (5) of section 9 [Supplier to report]				
-----	---	--	--	--	--

“;

(B) in second column, against serial number E, for the letter and brackets (A-B-C-D)” the letters and brackets (A-B-C-D-D1)” shall be substituted;

(ii) in Pt.III, under heading “Reconciliation of tax paid”,–

(A) against serial number 9, under the heading “Reconciliation or rate wise liability and amount payable thereon”,–

(I) after serial number “K-1” and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely, –

“

K-2	Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]	NA			
-----	--	----	--	--	--

”;

(II) in second column, against serial number Q, for the word “paid” the word “payable” shall be substituted;

(B) against serial number 11, under the heading “Additional amount payable but not paid (due to reasons specified under Table 6,8 and 10 above)”,–

(I) for the word “Cash” the words and letters “cash or ITC” shall be substituted;

(II) after entry relating to “Others”, the following entry shall be inserted, namely: –

“Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]	NA				
---	----	--	--	--	--

”;

- (iii) In Part V, under heading “Additional liability due to on-reconciliation”, -
- (A) for the word “Cash”, the words and letters “cash or ITC” shall be substituted;
- (B) after the entry relating to “Others”, the following shall be inserted namely: -

“Supplies on which e- Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per sub-section (5) of section 9 [E-commerce operator to report]”;					
--	--	--	--	--	--

- (v) after part V, the following shall be inserted, namely: -

“17	Late fee payable and paid		
	Description	Payable	Paid
	1	2	3”;
A	Integrated Tax		
B	Central Tax		
C	State Tax/UT Tax		

- (b) under the heading “Instructions”, -

- (i) in paragraph 4, in the Table, -

- (A) in second column, for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, wherever they occur, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;
- (B) after serial number 7D and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“7D1	Supplies on which tax is to be paid by ecommerce operators as per sub-section (5) of section 9 shall be declared here by the supplier.”;
------	---

- (C) in second column, against table number 7E, for the words, figures, letters and brackets “reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C, 7D above.” the words, figures, letters and brackets “reverse charge, supplies made sub-under section (5) of section 9 etc.) declared in Table 7B, 7C, and 7D and 7D1 above.” shall be substituted;
- (D) in second column, against table 7F, for the letters, figures and brackets “(4N – 4G)”, the letters, figures and brackets “(4N – 4G- 4G1)” shall be substituted;

- (ii) in paragraph 6, in the Table-

- (A) in second column against table number 14, for the figures and word “2022-23 and 2023-24”, the figures and word “2022-23, 2023-24 and 2024-25,” shall be substituted;
- (C) after table number 16 and entries thereagainst, the following table number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“17	Late fee will be payable as per section 47(2).”;
-----	---

- (iii) in paragraph 8, for the word “only”, the words “or electronic credit ledger.” shall be substituted.

11. In the said rules, after FORM GST APL-02, the following Form shall be inserted, namely: —

“FORM GST APL-02A

[See rules 110 and 111]

Part A

Provisional Acknowledgment for submission of Appeal/Application

<Name of applicant><GSTIN/Temp ID/UIN/Reference Number/BO ID with date>

“Your appeal has been successfully filed against <Application Reference Number>.

An appeal/application has been submitted by you on the Goods and Services Tax Appellate Tribunal portal which is hereby provisionally acknowledged and its acceptance/admission is subject to scrutiny by the Registry/Bench. The Provisional Acknowledgement number is <Daily Number > dated _____.”

GSTIN/Temporary ID/UIN/ENR -

Date of filing -

Time of filing -

filing/provisional acknowledgement number -

Name of the person filing the appeal -

Appeal fees -

Transaction Id -

Place:

<Signature>

Date:

Name

Designation

ON Behalf of GST Appellate Tribunal

Part B

Final Acknowledgement communicating registration/rejection of Appeal/Application

Your appeal/application has been successfully filed/registered against <application reference number > dated < Date>.

GSTIN/Temporary ID/UIN/ENR -

Case Registration Number -

Date of acceptance –

Date of appearance:

Time:

Court Number:

Bench:

AR/JR/DR/R

GSTAT Bench”

OR

Your appeal/application filed vide provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been rejected

Date of rejection:

AR/JR/DR/R
GSTAT
Bench

OR

Your appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been dismissed as withdrawn

Date of Dismissal:

AR/JR/DR/R
GSTAT Bench”

OR

Your appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been Rejected due to Wrong Jurisdiction

Date of Rejection:

AR/JR/DR/R
GSTAT Bench”

OR

Your Appeal/application having provisional acknowledgment reference number ----- dated ----- has been rejected due to wrong applicability of place of supply issue.

Date of rejection:

AR/JR/DR/R
GSTAT Bench”

12. In the said rules, after FORM GST APL-04, the following Form shall be inserted, namely: —

“Form GST APL-04 A

[See rule 113(2)]

Summary of the order and demand after issue of order by the Goods and Services Tax Appellate Tribunal

Whether remand order: Yes / No

Order Reference no.-

Date of order-

1. GSTIN/Temporary ID/UIN –

2. Appeal Case Reference no. –

Date:-

3. Name of the appellant –

4. Name of the Respondent –

5. Order appealed against –

a) Order Type -- *Demand, Registration, Refund, Enforcement, Refund & Others*

b) Ref Number –

Date –

6. Personal Hearing – *(All hearing dates)*

7. Status of Order under Appeal- *Confirmed/Modified/Rejected*

Confirmed – Order under Appeal is confirmed

Modified – Order under Appeal is modified

Rejected - - Order under Appeal is annulled

8. Order in brief: *(Free text, Max 2500 characters)–*
9. If demand order, then whether demand quantified: *(Yes/No)*
(If the answer is YES, the demand quantified as follows:)

Section-I

Particulars	Central tax		State/UT tax		Integrated tax		Cess		Total	
	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(a) Tax										
(b) Interest										
(c) Penalty										
(d) Fees										
(e) Others										
(f) Refund										

Section-II

Place of Supply/ Name of State/UT	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Amount in dispute					
	Amount Determined					
Add rows						

10. For Other orders and Demand orders which are not quantified

Issues as raised by proper officer	Issues as determined by Appellate/ Revisional authority	Order by GST Appellate Tribunal

11. If remanded with directions:

- a) Remanded to: *(specify authority to whom remanded. Adjudicating Authority, Appellate authority, Revisional authority, any other)*
- b) Directions subject to which remanded, if any: *(Free text, Max 1000 words)*

Section-III (Anti-profiteering)

12. Order In brief: *(Drop -Down Values)*
- a) *Reduction in Price*
- b) *Return to Recipient of Amount not passed on, along with interest*

- c) *Deposit in Consumer Welfare Fund/s*
- d) *Penalty Imposed (Amount to be specified)*
- e) *Cancellation of Registration*

Place:

Signature:

Date:

Designation:

Jurisdiction:"

13. In the said rules, for FORM GST APL-05, the following Form shall be substituted, namely: —

“Form GST APL-05

See rule 110(1)

Appeal to the Goods and Services Tax Appellate Tribunal

1. GSTIN/Temporary ID/UIN –

2. Name of the appellant –

3. Address of the appellant –

4. Respondent(s):

(a)

(b)

(c)

.....

(Specify designation and office of the respondent(s))

5. Details of the authorised representative of the applicant:

(a) Name..... Mobile Email

(b) Name..... Mobile Email

.....

6. Order appealed against - *APL-04/Rejected* *APL-02*

Number -

Date-

7. Is place of supply involved in the dispute – *Yes/No*

8. Designation and Office of the Appellate Authority/Revisional Authority passing the order appealed against -

9. Date of communication of the order appealed against –

10. Details of order challenged before Appellate authority/Revisional Authority:

a) Number - Date –

b) *Order type (As per Annexure A)*

c) *Period of dispute from (DDMMYYYY) To (DDMMYYYY)*

(Applicable for demand related orders)

11. Details of the authority passing the order specified at Sl. no. 9: *(Specify designation and Office of the said authority)*

12. Name of the authorized representative

(a) Name..... Mobile Email

(b) Name..... Mobile Email

.....

-
13. Act (CGST/ SGST/ IGST/ Cess)
 14. Details of the case under dispute:
 - a) Brief issue of the case under dispute
 - b) Category of case under dispute (*As per Annexure B*)
 - c) Market value of goods, where goods have been seized
 15. Case Summary (*As per Annexure C*)
 16. About Appellant (*As per Annexure D*)
 17. Statement of facts (*As per Annexure E*)
 18. Grounds of appeal
 19. Prayer
 20. Details of demand created, disputed and admitted.

[illegible]

21. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:

(a) Details of amount payable:

Particulars	Total Amount					
	Cess		Integrated		State/UT Tax	
	(a) Admitted Amount	(b) Pre- deposit (10% of disputed tax)	(a) Admitted Amount	(b) Pre- deposit (10% of disputed tax)	(a) Admitted Amount	(b) Pre- deposit (10% of disputed tax)
(a) Tax						
(b) Interest						
(c) Penalty						
(d) Fees						
(e) Other charges						

(b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 10% of the disputed admitted tax and cess)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/Credit Ledger	Debit entry no.	Amount of tax paid			
					Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Integrated tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
2	Central tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
3	State/UT tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
4	CESS		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid:

Sr. No.	Description	Amount payable					Debit entry no.	Amount paid			
		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS			Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Interest										
2	Penalty										
3	Late fee										
4	Others (specify)										

Verification

I, < _____ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is derived from information, documents and records in my possession and further that nothing has been concealed therefrom. I further declare that no appeal against the impugned order has been preferred by me or my behalf before any Court or Authority or is pending before any Court or Authority.

Verified today, the _____ day of _____ month _____ 20...

< Signature >

Place:

Date:

Name of the Applicant
Designation/Status

Annexure A**(Order Type)**

S No	List of 'Order Type'
1	Demand Order
2	Refund Order
3	Registration Order
4	Enforcement Order
5	Recovery Order
6	Other order

Annexure B**(Category of case under dispute or issues involved)**

S No	List of 'Category of case under dispute	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)
1	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN	
2	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act	Mention notification no. and date	
3	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
4	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
5	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
6	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
7	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
8	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order	
9	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

10	Rejection/acceptance of application for amendment to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
11	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
12	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
13	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
14	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
15	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
16	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
17	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
18	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee)	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order	
19	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
20	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
21	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
22	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
23	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
24	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
25	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

26	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
27	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
28	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
29	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
30	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
31	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
32	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
33	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
34	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
35	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
36	Anti profiteering related matter		
37	Others-		
38	Issues related to Place of supply of goods and/or services		

Annexure C

Case Summary (indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, Not exceeding 1000 characters in each cell)

Sr No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/ Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant
1	Registration				
2	Revocation of registration				
3	Denial/blocking of ITC				
4	Short or non-payment of tax				

4	Erroneous refund				
5	Levy of Penalty				
6	Levy of interest or late fee or fine				
7	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)				
8	Any other				

User can add more than one Issue

Order Type and Issue Related to mapping

S No	Type of 'Order Type'	Case Summary- Issue related to
1	Demand Order	1) Short or nonpayment of tax 2) Levy of penalty 3) Levy of interest or late fee or fine 4) Classification dispute
2	Refund Order	1) Erroneous refund
3	Registration Order	1) Registration 2) Revocation of registration
4	Enforcement Order	1) Levy of penalty 2) Levy of interest or late fee or fine
5	Recovery Order	1) Denial/blocking of ITC
6	Other order	Any other

Annexure D

About Appellant

Constitution/ Identification Number	Constitution of Business	Statute under which incorporated	Date of Commencement of business	Address	Nature of Business	Any other relevant fact

Appellant to state in free text form as follows:

Appellant to mention:

- his constitution of business (e.g. Company, Partnership, HUF, Trust, etc.)
- Statute under which incorporated, if any (e.g. Companies Act, Trust Act, Societies Registration Act, etc.)
- date of its constitution
- constitution/identification number assigned to it by constituting authority (e.g. Corporate Identification Number in case of a company, etc.)
- Address of its Head Office and address of its principal place of business in State
- GSTIN/Temp Id and date from which registered under GST

- (g). *Nature of the business in which he/it is engaged (e.g. manufacturer /wholesaler /retailer / supplier of services, etc.)*
- (h). *Any other relevant fact in view of the appellant”*

Annexure E**Statement of Facts (Case History)**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, not exceeding 1000 characters in each cell, Upload documents if necessary)

Reference/ acknowledgment no.	Action By	Date	Brief Narration
<Add rows, if required>”			

14. In the said rules, for FORM GST APL-06, the following Form shall be substituted, namely: —

“FORM GST APL-06

[See rule 110(2)]

Cross-objections before the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112

Sr. No.	Particulars
1	Appeal No. – Date of filing –
2	Present Cross-objection being filed by: ○ GSTIN/Temporary ID/UIN/CRN/ARN – ○ Name – ○ e-mail id – ○ Contact number – ○ Address for communication – ○ Designation of officer – ○ Office details – ○ e-mail id – ○ Contact number -
3	Order no. – (Order of the Appellate/Revisional authority) - Date-
4	Designation alongwith jurisdiction of the officer passing the order appealed against – Designation: Jurisdiction: Order Passed by:
5	Date of communication of the order appealed against –
6	Name of the authorized representative, where available – e-mail id of said representative – Contact number of said representative
7	Details of the case under dispute –
(i)	Period of dispute -

(ii)	Amount under dispute	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess
	(a) Tax				
	(b) Interest				
	(c) Penalty				
	(d) Fees				
	(e) Other charges (specify)				
(iii)	Market value of seized goods, where one of the issues involved is seizure/confiscation of goods -				
8	Summary of Issues involved and summary of reply thereto – Annexure A				
9	Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the taxpayer or the Commissioner of State/Central tax/UT tax, as the case may be - OR Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the person filing the present cross-objection -				
10	Demand Table				
	Category	Tax	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/ Revisional authority	As per the person filing this cross objection
	Tax	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Interest	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Penalty	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Penalty	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Fees	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Others	Central Tax			
		State/UT Tax			

		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
	Refund	Central Tax			
		State/UT Tax			
		Integrated Tax			
		Cess			
		Total			
11	Reliefs claimed in memorandum of cross-objections.				
12	Summary of reply (<i>Annexure B</i>)				
13	Grounds of Cross-objection				
14	Para-wise reply (<i>upload separately</i>)				
	Verification I, < _____ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is derived from information, documents and records in my possession and further that nothing has been concealed therefrom. Verified today, the _____ day of _____ month _____ 20..._____ Place : _____ Date : _____ <Signature> Name of the person filing this cross-objection :: _____ Designation/Status _____ of _____ Applicant/officer :”				

Annexure A**Summary of Issues involved and summary of reply thereto**

S. No	Category of case under dispute or Issues involved	Tab	Tab Amount involved (<i>where quantifiable</i>)	Summary of Reply
1.	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN		
2.	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act	Mention notification no. and date		

3.	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
4.	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
5.	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
6.	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
7.	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo-moto registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
8.	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order		
9.	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
10.	Rejection/acceptance of application for amendment to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
11.	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
12.	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
13.	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
14.	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
15.	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		

16.	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
17.	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
18.	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee)	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order		
19.	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
20.	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
21.	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
22.	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
23.	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
24.	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
25.	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
26.	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
27.	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
28.	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		

29.	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
30.	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
31.	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
32.	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
33.	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
34.	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
35.	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order		
36.	Anti profiteering related matter			
37.	Others-			
38.	Issues related to Place of supply of goods and/or services			

Annexure B**Summary of Reply**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable)

(Not exceeding 1000 characters in each cell)

Sr No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/ Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/ claimed by present Appellant	Reply to ground/issue raised in Appeal before GSTAT
1	Registration					
2	Revocation of cancellation of registration					
3	Denial/blocking of ITC					
4	Short or non-payment of tax					
4	Erroneous refund					
5	Levy of Penalty					
6	Levy of interest or late					

	fee or fine					
7	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)					
8	Any other					

”.

15. In the said rules, for FORM GST APL-07, the following Form shall be substituted, namely: —

“FORM GST APL-07

[See rule 111]

(Application to the Appellate Tribunal under sub section (3) of Section 112)

1. Name and designation of the appellant/Office of Appellant:

- (a). Name
- (b). Designation
- (c). Jurisdiction
- (d). State/Centre

2. GSTIN/Temporary ID/UIN (of the respondent) -

3. Name of the respondent

4. Address of the respondent

5. Order appealed against – Number - Date -

6. Complete Designation, along with jurisdiction of the Appellate Authority/Revisional Authority passing the order appealed against –

7. Date of communication of the order appealed against –

8. Details of the case under dispute:

- a. Brief issue of the case under dispute
- b. Period of dispute –
- c. Case Summary (*As per Annexure A*)
- d. Market value of seized goods, where one of the issues involved is seizure/confiscation of goods

9. About Respondent (*As per Annexure B*)

10. Is place of supply involved in the dispute- Yes/No

11. Statement of facts (*As per Annexure C*)

12. Grounds of appeal –

13. Prayer –

14. Category of case under dispute or Issues involved – (*as per Annexure D*)

15. Details of demand:

Particulars	Central Tax		State/UT Tax		Integrated Tax		Cess		Total Amount		Amount as per present appellant (c)
	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A)	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from APL-01/DRC-07, where it is in the system OR to be manually filled in by appellant)	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A)	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from columns, where it is in the system or to be manually filled in by appellant)	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A)	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from columns, where it is in the system OR to be manually filled in by appellant)	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A)	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from columns, where it is in the system OR to be manually filled in by appellant)	Amount of demand as per the order of the adjudicating authority (A)	Amount of demand determined by Appellate/ Revisional authority, if any (Auto-populated from columns, where it is in the system OR to be manually filled in by appellant)	
(a) Tax											
(b) Interest											
(c) Penalty											
(d) Fees											
(e) Other charges											

I hereby declare that I have been duly authorized/directed by the Commissioner in accordance with sub-section (3) of Section 112 of the Act to file this application before the Appellate Tribunal and a true copy of the said direction/authorization is being uploaded herewith

Place:

Date:

<Signature>

Name of the Officer:

Designation:

Jurisdiction:

Annexure A**Case Summary**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, not exceeding 1000 characters in each cell)

Sl No	Issue related to	As per order of adjudicating authority	As determined by Appellate/Revisional authority	As per stand of appellant before Tribunal	As declared/claimed by present Appellant
1	Registration				
2	Revocation of cancellation of registration				
3	Denial/blocking of ITC				
4	Short or non-payment of tax				
4	Erroneous refund				
5	Levy of Penalty				
6	Levy of interest or late fee or fine				
7	Classification dispute (mention HSN in corresponding columns of this row)				
8	Any other				

Annexure B**About Respondent**

Constitution of Business	Address	Nature of Business	Any other relevant fact

GSTN/Temp ID	Constitution of Business	Any other constitution business	Addresses	Nature of business	Any other relevant fact

Annexure C**Statement of Facts (Case History)**

(indicate Amount in INR, wherever quantified and wherever applicable, Not exceeding 1000 characters in each cell, Upload documents if necessary)

Reference/ acknowledgment no.	Action By	Date	Brief Narration

Annexure D**(Category of case under dispute or issues in volved)**

S No	List of 'Category of case under dispute	Tab	Tab Amount involved (where quantifiable)
1	Misclassification of any goods or services or both	Mention HSN	
2	Wrong applicability of a notification issued under the provisions of this Act	Mention notification no. and date	
3	Incorrect determination of time of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
4	Incorrect determination of value of supply of goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
5	Incorrect admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid/credit to credit ledger/denial of ITC/blocking of credit	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
6	Incorrect determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
7	Whether applicant is required to be registered or has been granted suo moto registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
8	Whether any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both	Mention section and rule and Schedule specified in Appellate/ Revisionary order	
9	Rejection/acceptance of application for registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
10	Rejection/acceptance of application for amendment to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
11	Suspension of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
12	Order dropping show-cause in relation to registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
13	Denial of facility to pay tax under composition scheme	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
14	Cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
15	Rejection/acceptance of application for revocation of cancellation of registration	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

16	Order accepting reply of taxpayer/order dropping show cause notice	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
17	Order of disqualification of GSTP/cancellation of enrolment of GSTP	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
18	Transfer/Initiation of recovery/ Special mode of recovery (all kinds of garnishee)	Mention section and rule and Form of order specified in Appellate/ Revisionary order	
19	Tax wrongfully collected/Tax collected not paid to Government.	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
20	Order of assessment including that of a non-filer or evading registration or protective assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
21	Determination of tax not paid or short paid on outward supply u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
22	Excess ITC availed/utilized u/s 73	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
23	Order for re-credit in credit ledger of claim for refund rejected or of wrongly obtained refund being deposited	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
24	Order rejecting/granting provisional refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
25	Order denying/reducing/withholding/granting refund	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
26	Issue related to provisional assessment	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
27	Fraud or wilful suppression of fact leading to non-payment/short payment of tax determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
28	Excess ITC availed/utilized determined u/s 74	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
29	Issues related to seizure/confiscation of goods/books/property or release of such goods/books/property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
30	Order relating to rectification/withdrawal of an earlier order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
31	Order creating/modifying/withdrawing demand under earlier law	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
32	Order permitting payment in instalments	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	

33	Order relating to provisional attachment of property	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
34	Order imposing penalty	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
35	Order permitting compounding of any offense or withdrawing such order	Mention section and rule specified in Appellate/ Revisionary order	
36	Anti-profiteering related matter		
37	Others-		
38	Issues related to Place of supply of goods and/or services”		

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 47/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 21) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रथम अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ii) और (iii), धारा 3 से 5 तथा धारा 7 से 15 के उपबंध लागू होंगे।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 47/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 1 of the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 (21 of 2025), the Governor of Haryana, hereby appoints the 1st October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 15 of the said Act, shall come into force.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

12111—C.S.—H.G.P., Pk1.

(2476)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 40/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 71/जीएसटी-2, दिनांक 27 जुलाई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 71/जीएसटी-2, दिनांक 27 जुलाई, 2018 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियाँ	2.5%
2.	4202 22, 4202 29, 4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39	हैंड बैग्स, जिनमें पाउच और पर्स शामिल हैं; ज्वेलरी बॉक्स	2.5%
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, लकड़ी की कलाकृतियाँ/सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कार्स्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5%
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण इत्यादि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5%
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियाँ और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी की खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5%

(2447)

6	4503 90 90 4504 90	कार्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी शामिल हैं)	2.5%
7.	4601 और 4602	मैट, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5%
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपर बोर्ड	
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएँ	2.5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट, जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले पलैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल पलोर कवरिंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5%
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5%
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5%
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5%
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएँ	2.5%
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5%
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5%
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियाँ, पत्थर की जड़ाई का काम	2.5%
20.	6912 00 10 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	6913 90 00	छोटी मूर्तियाँ और अन्य सजावटी सिरामिक वस्तुएं(ब्लू पॉटरी समेत)	2.5%
22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5%
23.	7018 10	चूड़ियाँ, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5%
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियाँ [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हों]	2.5%
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियाँ [इसमें बर्तन, जार, बोटल, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बोतल, फूलदान भी शामिल हैं]	2.5%
26.	7113 11 10	चांदी के महीन कार्य	1.5%
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिसमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी शामिल हैं)	1.5%
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियाँ	2.5%
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्रधातु से बनी कलाकृतियाँ, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5%
30.	7616 99 90	एल्युमिनियम की कलाकृतियाँ	2.5%
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और समरूप वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियाँ, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिंदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियाँ, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी शामिल हैं)	2.5%
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैम्प (जिसमें पंचलोगा लैम्प भी शामिल हैं)	2.5%
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	2.5%
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी शामिल हैं)	2.5%

35.	9504	गंजीफा कार्ड	2.5%
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5%
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं इत्यादि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5%
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली इत्यादि शामिल हैं)	2.5%
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5%” ।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 40/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.71/GST-2, dated the 27th July, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 71/GST-2, dated the 27th July, 2018, for the existing table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Serial Number	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	2.5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5 %

5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Artware of cork (including articles of sholapith)	2.5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5 %
13.	5804 30 00	Handmade	2.5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	2.5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	2.5 %
20.	6912 00 10 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	2.5%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl. blue potteries)	2.5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	2.5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	2.5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	2.5 %
26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5 %
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	1.5 %
28.	7326 90 99	Artware of iron	2.5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	2.5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	2.5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	2.5 %
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	2.5 %

33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	2.5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5 %
35.	9504	Ganjifa card	2.5 %
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	2.5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5 %".

2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 39/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 28/एसटी-2, दिनांक 25 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 28/एसटी-2, दिनांक 25 जनवरी, 2018 में, "हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 की अनुसूची IV" शब्दों, चिह्नों, और अंकों के स्थान पर, "हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/जीएसटी, दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची - II या अनुसूची - III", शब्द, चिह्न और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 17th September, 2025

No. 39/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 28/ST-2, dated the 25th January, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.28/ST-2, dated the 25th January, 2018, for the words, signs, and figures, “Schedule IV of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017”, the words, signs, and figures, “Schedule II or Schedule III of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/GST-2, dated the 17th September, 2025”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd September 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 38/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, खाना (4) में, क्रम संख्या 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“9%” ।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 17th September, 2025

No. 38/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.37/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.37/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the TABLE, under column (4), against serial number 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

“9%”.

2. This notification shall come into force on the 22nd September 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 37/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या किए जाने हेतु लोप की गई हैं, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर यह संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा, माल के अंतःराज्यीय प्रदाय को, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और जो टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आता है, जैसा उक्त अनुसूची के खाना (2) के नीचे तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 के अधीन उस पर उद्गृहणीय संपूर्ण राज्य कर से छूट देते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/टैरिफ-मद	माल का विवरण
1.	0101	जीवित गधे, खच्चर और हिन्नियां
2.	0102	जीवित गोवंशीय पशु
3.	0103	जीवित सूअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरियाँ
5.	0105	जीवित मुर्गी, अर्थात् गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी पक्षी
6.	0106	अन्य जीवित पशु जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े

7.	0201	गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा
8.	0203 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी माल, ताजा या ठंडा
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडे से भिन्न, प्री-पैक और लेबल युक्त से भिन्न
10.	03	मछली के बीज, झींगा/श्रिम्प के बीज, चाहे संसाधित, उपचारित या जीम हुई अवस्था में हों या नहीं [अध्याय 3 के अधीन आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले माल से भिन्न]
11.	0301	जीवित मछली।
12.	0302	शीर्ष 0304 की मछली पट्टिका (फिलेट्स) और अन्य मछली मांस को छोड़कर मछली, ताजी या ठंडी
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडे से भिन्न, और पूर्व पैक और लेबल युक्त से भिन्न
15.	0401	ताजा दूध और पाश्च दूध, जिसमें अलग किया हुआ दूध, दूध और क्रीम भी शामिल हैं, जिसे न तो सांद्रित किया गया हो, जिसमें न ही चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध मिलाए गए हैं,
16.	0403	दही, लस्सी, छाछ, पूर्व पैक और लेबल युक्त से भिन्न
17.	0406	छेना या पनीर, पूर्व पैक और लेबल युक्त से भिन्न
18.	0407	छिलके सहित पक्षियों के अंडे, ताजा, संरक्षित या पके हुए
19.	0409	प्राकृतिक शहद, पूर्व पैक और लेबल युक्त से भिन्न
20.	0501	असंसाधित मानव बाल, चाहे धोया या साफ किया गया हो या नहीं; मानव बाल का अपशिष्ट
21.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा
22.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडे से भिन्न, पूर्व पैक और लेबल युक्त से भिन्न
23.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग-कोर, असंसाधित, वसा रहित, सामान्य रूप से तैयार (किन्तु आकार में नहीं काटा गया), एसिड या जिलेटिन युक्त के साथ उपचारित; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
24.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर का मील; सींग का मील; खुर, पंजे, नाखून और चोंच; बारहसिंगों के शाखादार सींग आदि।
25.	0511	वीर्य, जिसमें जमा हुआ वीर्य भी शामिल हैं
26.	6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और समरूप; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते
27.	0701	आलू, ताजा या ठंडा
28.	0702	टमाटर, ताजा या ठंडा
29.	0703	प्याज, श्लोट, लहसुन, लीक और अन्य लशुन गंधी सब्जियाँ, ताजा या ठंडी
30.	0704	पत्तागोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केल और समरूप खाद्य ब्रैसिका, ताजा या ठंडी
31.	0705	सलाद (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिकोरियम एसपीपी.), ताजा या ठंडा

32.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, साल्सिफाई, सेलेरियक, मूली और समरूप खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी
33.	0707	खीरे और घेरकिन्स, ताजा या ठंडे
34.	0708	फलीदार सब्जियाँ, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजा या ठंडी
35.	0709	अन्य सब्जियाँ, ताजी या ठंडी
36.	0710	सब्जियाँ (बिना पकी या भाप में या पानी में उबालकर पकाई हुई), जमी हुई
37.	0711	सब्जियाँ अस्थायी रूप से संरक्षित, किन्तु उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
38.	0712	सूखी सब्जियाँ, साबुत, कटी हुई, टुकड़ा में, टूटी हुई या पाउडर के रूप में, किन्तु आगे तैयार नहीं की गई
39.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारा गया हो या विभाजित किया गया हो, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
40.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरुशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समरूप जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा, सूखा; साबूदाना
41.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरुशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समरूप जड़ें और कंद, जमी हुई, चाहे टुकड़ों में या छरों के रूप में, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
42.	08	सूखा मखाना, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
43.	0801	नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
44.	0801	ब्राजील नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
45.	0802	अन्य मेवे, ताजा जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस प्रजाति), अखरोट, चेस्टनट (कैस्टेनिया प्रजाति), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला प्रजाति), सुपारी, पाइन नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
46.	0803	केले, जिसमें प्लॉटैन भी शामिल है, ताजा या सूखे
47.	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरुद, आम और मैंगोस्टीन, ताजा
48.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मँडरिन (टैजरीन और सत्सुमा सहित); क्लेमेटाइन, विल्किंग्स और समरूप खट्टे संकर, ग्रेपफ्रूट, जिसमें पोमेलो, नींबू (सिट्रस लिमन, सिट्रस लिमोनम) और लाइम (सिट्रस ऑरंटीफोलिया, सिट्रस लैटिफोलिया) भी शामिल हैं, ताजा
49.	0806	अंगूर, ताजा
50.	0807	खरबूजे (तरबूज सहित) और पपीते, ताजा
51.	0808	सेब, नाशपाती और क्विंस, ताजा
52.	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्टाराइन सहित), प्लम और स्लो, ताजा
53.	0810	अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी, काले, सफेद या लाल करंट और गूजबेरी, क्रैनबेरी,

		बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूरियन, पर्सिमॉन, अनार, इमली, सपोटा (चीकू), कस्टर्ड-एप्पल (आता), बोर, लीची, ताजा
54.	0813	सूखी इमली
55.	0814	खट्टे फलों या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, ताजा
56.	07, 09 या 10	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
57.	0901	कॉफी बीन्स, भुनी हुई नहीं
58.	0902	चाय की असंसाधित हरी पत्तियां
59.	0909	सौंफ, बादाम, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; बीज की गुणवत्ता वाले जुनिपर बेरीज
60.	0910 11 10	ताजा अदरक, संसाधित रूप से भिन्न
61.	0910 30 10	ताजी हल्दी, संसाधित रूप से भिन्न
62.	1001	गेहूँ और मेसलिन, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
63.	1002	राई, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
64.	1003	जौ, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
65.	1004	जई, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
66.	1005	मक्का (कॉर्न), पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
67.	1006	चावल, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
68.	1007	अनाज ज्वार, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
69.	1008	बकवीट, बाजरा और कनारी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
70.	1101	गेहूँ या मेसलिन का आटा, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
71.	1102	गेहूँ या मेसलिन से भिन्न अनाज का आटा, मक्का (कॉर्न) का आटा, राई का आटा आदि, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
72.	1103	अनाज का दलिया, भोजन और छर्रे, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
73.	1104	छिलका उतरे हुए अनाज
74.	1105	आलू का आटा, भोजन, पाउडर, फ्लेक्स, दाने या छर्रे, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
75.	1106	शीर्ष 0713 की सूखी फलीदार सब्जियों (दालों) का आटा, भोजन, पाउडर [ग्वार मील (HS 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाईंड स्प्लिट (HS 1106 10 90) से भिन्न], साबूदाना या शीर्ष 0714 की जड़ों या कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों अर्थात् इमली, सिंघाड़ा, आम का आटा आदि का, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
76.	1106 10 10	ग्वार मील
77.	12	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
78.	1201	बीज गुणवत्ता का सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं,
79.	1202	बीज गुणवत्ता की मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकाई हुई नहीं, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या टूटा हुआ,
80.	1204	बीज गुणवत्ता की अलसी, चाहे टूटी हुई हो या नहीं,

81.	1205	बीज गुणवत्ता के रेप या कोल्जा के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं,
82.	1206	बीज गुणवत्ता की सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं,
83.	1207	बीज गुणवत्ता के अन्य तिलहन और तैलीय फल (अर्थात् ताड़ के नट और गिरी, कपास के बीज, अरंडी के तेल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमस टिक्टोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस के बीज, अजवायन, आम की गिरी, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटा हुआ हों या नहीं,
84.	1209	बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। व्याख्या: इस प्रविष्टि में बोने के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं हैं
85.	1210	हॉप शंकु, ताजा
86.	1210 10 00	हॉप शंकु, न तो पीसे हुए और न ही पाउडर के रूप में और न ही छरों के रूप में
87.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या समरूप प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडा
88.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा या ठंडा
89.	1213	अनाज का भूसा और भूसी, बिना तैयारी के, चाहे कटा हुआ, पीसे हुआ, दबाया हुआ या छरों के रूप में हो
90.	1214	स्वीड, मैंगोल्ड, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सेनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेच और समरूप चारा उत्पाद, चाहे छरों के रूप में हों या नहीं
91.	1301	लाख और चपड़ा
92.	1401	साल के पत्ते, सियाली के पत्ते, सिसल के पत्ते, सबई घास
93.	1404 90 40	पान के पत्ते
94.	1404 90 60	नारियल का खोल, असंसाधित
95.	1404 90 90	झाड़ू या झाड़ू की छड़ें बनाने के लिए वनस्पति सामग्री
96.	1701 या 1702	(i) सभी प्रकार का गुड़, जिसमें गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ शामिल भी है, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न (ii) खांडसारी चीनी, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न (iii) राब, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
97.	1901	बाजरे के आटे का खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
98.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के नाम से जाना जाता है, भुना हुआ चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, चीनी या गुड़ से लेपित भुना हुआ धान या चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
99.	1905	पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए
100.	1905 या 2106	खाखरा; ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा), पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, परोटा और किसी भी नाम से ज्ञात अन्य भारतीय ब्रेड

101.	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
102.	2106	धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों इत्यादि द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसादम
103.	2201	पानी (वातायित, खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, वि-खनिज रहित और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी से भिन्न)
104.	2201	गैर-अल्कोहल वाली ताड़ी, नीरा जिसमें खजूर और ताड़ की नीरा भी शामिल है
105.	2301, 2302, 2308, 2309	जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और प्रॉन चारा, पोल्ट्री चारा और पशु चारा भी शामिल है, जिसमें घास, भूसा और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं का चोकर और डी- ऑयलड केक (चावल की भूसी से भिन्न) भी शामिल हैं
106.	2306	डी- ऑयलड चावल की भूसी
107.	2306	बिनौला की खली
108.	2302, 2309	दालों की भूसी जिसमें छिलका, साद्र जिसमें चुनी या चूरी, खंडा भी शामिल हैं
109.	2501	नमक (टेबल नमक और विकृत नमक सहित) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल में हो या जिसमें एंटी-केकिंग या फ्री-फ्लोइंग एजेंट मिलाए गए हों; समुद्री जल
110.	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र
111.	2716 00 00	विद्युत ऊर्जा
112.	2835	पशु आहार ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट (डीसीपी) जो आईएस विनिर्देश संख्या 5470: 2002 के अनुरूप है
113.	30 या कोई अन्य अध्याय	अनुबंध I में सूचीबद्ध दवाएं या औषधियाँ
114.	3002	मानव रक्त और उसके घटक
115.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
116.	3101	सभी माल और जैविक खाद, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
117.	3304	काजल (काजल पेंसिल स्टिक से भिन्न), कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता
118.	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
119.	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
120.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
121.	4016	रबर
122.	4401	जलानेकी लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
123.	4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
124.	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से बनी मूर्तियाँ
125.	46	खाली दोना; साल के पत्तों, सियाली के पत्तों, सिसल के पत्तों, सबाई घास से बनी वस्तुएं, जिनमें सबाई घास की रस्सी भी शामिल है
126.	46	सभी प्रकार के पत्तों/फूलों/छाल से बनी प्लेटें और कप

127.	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, न्यायालय फीस स्टांप जब सरकारी खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं
128.	4802	बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड जो लिखने, छपाई या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में, किसी भी आकार का, शीर्ष 4801 या 4803 के कागज से भिन्न, जो व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए उपयोग किया जाता है
129.	4817 / 4907	डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड इत्यादि, जो सरकार द्वारा बेचे जाते हैं
130.	4820	व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
131.	48 या 4907 या 71	रुपए के नोट या सिक्के जब भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचे जाते हैं
132.	4901	मुद्रित पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकोंसहित
133.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या विज्ञापन सामग्री युक्त हों
134.	4903	बच्चों की चित्र, ड्राईंग या रंग भरने वाली किताबें
135.	4904	संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे जिल्दबद्ध हो या सचित्र हो
136.	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक यासभी प्रकार केसमान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब भी शामिल हैं, मुद्रित
137.	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्ट्रिप
138.	5001	रेशम के कीड़े का अंडा, कोकून
139.	5002	कच्चा रेशम
140.	5003	रेशम अपशिष्ट
141.	5101	ऊन, या कंघी नहीं किया हुआ
142.	5102	महीन या मोटे पशु बाल, कार्डेडया कंघी नहीं किए हुए
143.	5103	ऊन या महीन या मोटे पशु बालों का अपशिष्ट
144.	52	गांधी टोपी, खादी धागा
145.	50 से 55	खादी का कपड़ा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और KVIC प्रमाणित संस्थानों/आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है
146.	5303	जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित किन्तु काता नहीं गया
147.	5305	नारियल, कॉयर फाइबर
148.	53	कॉयर पिथ कम्पोस्ट, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
149.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
150.	6703	मानव बाल, संवारे हुए, पतले, ब्लीच किए हुए या अन्यथा काम किए हुए
151.	6912 00 40	मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दीपक
152.	69	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ

153.	7018	काँच की चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर)
154.	7117	लाख/चपड़ा की चूड़ियाँ
155.	8201	कृषि उपकरण जो हाथ से या पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, अर्थात् हाथ के औजार, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाल, गैती, कुदाल, कांटा और रेक; कुल्हाड़ी, बिल हुक और समरूप काटने के उपकरण; किसी भी प्रकार के सिकेंटर और प्रूनर; दरांती, हँसिया, घास काटने वाले चाकू, हेज शियर्स, लकड़ी की कीलें और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, घमेला से भिन्न
156.	8214	पेंसिल शार्पनर
157.	8445	सूतकी हाथ से कताई के लिए चरखा, जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है
158.	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]
159.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और सबऑर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
160.	9021	श्रवण यंत्र
161.	92	अनुबंध II में सूचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
162.	9603	सरकंडा से बने मूड़बे, झाड़ू या ब्रश, जिसमें टहनियाँ या अन्य वनस्पति सामग्री होती है, एक साथ बंधी होती है, हैंडल के साथ या बिना
163.	9608, 9609	पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित), क्रेयॉन, पेस्टल, ड्राईंग चारकोल, लिखने या ड्राईंग चॉक और दर्जी का चॉक; स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक
164.	9610 00 00	स्लेट
165.	9619 00 10 या 9619 00 20	सैनिटरी टॉवल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन; टैम्पोन
166.	9803	यात्री सामान
167.	कोई भी अध्याय	पूजा सामग्री, अर्थात्:—, (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण); (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है); (iii) लकड़ी की खड़ाऊ; (iv) पंचामृत, (v) विभूति, (vi) बिना ब्रांड वाला शहद, (vii) दीये की बाती; (viii) रोली, (ix) कलावा (रक्षा सूत्र), (x) चंदन टीका।
168.	-	राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लॉटरी की आपूर्ति, इस शर्त के अद्यधीन कि ऐसी लॉटरी के प्रदाय पर उचित केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान किया गया हो, जब राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियुक्त लॉटरी वितरक या बिक्री अभिकर्ता को प्रदाय की जाती है।
169.	-	किसी सरकारी इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को माल का प्रदाय, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के लिए

170.	कोई भी अध्याय	श्रवण यंत्र के निर्माण के लिए पुर्जे
171.	71 को छोड़कर कोई भी अध्याय	राखी (अध्याय 71 के अधीन आने वाले माल से बनी राखियों से भिन्न)
172.	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या किसी भी लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार वस्तुओं का प्रदाय, सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, जहाँ नीलामी की आय का उपयोग सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाना है

व्याख्या.— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) अभिव्यक्तियों,—

- (i) "यूनिट कंटेनर" से अभिप्राय है, कोई पैकेज, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो एक पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया है;
- (ii) "पूर्व पैक और लेबल युक्त" से अभिप्राय है, वे सभी वस्तुएं जो खुदरा बिक्री के लिए आशयित हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 के खंड (ठ) में परिभाषित "पूर्व पैक" हैं, जहां, जिस पैकेज में वस्तु पूर्व पैक है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन घोषणाएं करना आवश्यक हैं;
- (iii) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" का क्रमशः अर्थ होगा एक टैरिफ मद शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय जैसा कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है;
- (iv) "सरकारी इकाई" का अभिप्राय होगा कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई अन्य निकाय जिसमें सोसाइटी, न्यास, निगम भी शामिल है, जो साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए;

(क) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित हैं; या

(ख) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित हैं,

(ख) धारा और अध्याय नोट्स और प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के निर्वर्चन के नियम, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वर्चन पर लागू होंगे;

अनुबंध-I

[देखिए अनुसूची की 0216 म संख्या 113]

दवाओं या औषधियों की सूची	
1.	जीन थेरेपी
2.	अगालसिडेस बीटा
3.	इमिग्लुसेरेज
4.	एप्टाकाँग अल्फा सक्रिय पुनः संयोजक जमावट कारक VII a
5.	ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक
6.	एस्सिमिनीब
7.	मेपोलिजुमैब
8.	पेगिलेटेड लाइपोसोमल इरिनोटेकन
9.	डाराटुमुमैब
10.	डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस
11.	टेक्लिस्टामैब

12.	एमिवेंटामैब
13.	एलेक्ट्रिनिब
14.	रिसडिप्लाम
15.	ओबिनुटुजुमैब
16.	पोलाटुजुमैब वेडोटिन
17.	एंट्रेक्ट्रिनिब
18.	एटिजोलिजुमैब
19.	स्पेजोलिमैब
20.	वेलाग्लुसेरेज अल्फा
21.	अगालसिडेस अल्फा
22.	रुरियोक्टोकोज अल्फा पेगोल
23.	इडुरसल्फेटेज
24.	एल्लुकोसिडेस अल्फा
25.	लैरोनिडेज
26.	ओलिपुडेज अल्फा
27.	टेपोट्रिनिब
28.	एवेलमैब
29.	एमिसिजुमैब
30.	बेलुमोसुडिल
31.	मिग्लूस्टैट
32.	वेलमानेज अल्फा
33.	एलिरोक्यूमैब
34.	इवोलोक्यूमैब
35.	सिस्टामाइन बिटारट्रेट
36.	सीII-इनहिबिटर इंजेक्शन
37.	इनक्लिसिरन

अनुबंध-II

[देखिए अनुसूची की क्रम संख्या 161]

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1.	बुलबुल तरंग
2.	दोतार, दोतोरा, या दोतारा
3.	एकतारा
4.	गेच्चू वाद्यम या झल्लारी
5.	गोपीचंद या गोपियंत्र या खमक
6.	गोट्टूवाद्यम या चित्रवीणा
7.	काठो
8.	सरोद
9.	सितार
10.	सुरबहार
11.	सुरश्रृंगार
12.	स्वरबत
13.	स्वरमंडल
14.	तंबूरा
15.	तुंबी
16.	तुनतुना
17.	मगदी वीणा

18.	हंसवीणा
19.	मोहन वीणा
20.	नकुल वीणा
21.	नदुनी
22.	रुद्र वीणा
23.	सरस्वती वीणा
24.	विचित्र वीणा
25.	याज्ञ
26.	रंजन वीणा
27.	त्रिवेणी वीणा
28.	चिकारा
29.	दिलरुबा
30.	एकतारा वायलिन
31.	इसराज
32.	कमाइचा
33.	मयूरी वीणा या तारुस
34.	ओनाविल्लू
35.	बेहाला (वायलिन प्रकार)
36.	पेना या बाना
37.	पुल्लुवन वीणा – एक तार वाला वायलिन
38.	रावणहत्था
39.	लोक सारंगी
40.	शास्त्रीय सारंगी
41.	सारिदा
42.	तार शहनाई
43.	गेथू या झल्लारी
44.	गुबगुबा या जमूकू – तालवाद्य स्ट्रिंग वाद्ययंत्र
45.	पुल्लुवन् कुटम
46.	संतूर – हथौड़े वाला कॉर्ड बॉक्स
47.	पेपा
48.	पुंगी या बीन
49.	भारतीय हारमोनियम: डबल रीड
50.	कुझल
51.	नादस्वरम
52.	शहनाई
53.	सुंदरी
54.	तंगमुरी
55.	अलगोजा –डबल बांसुरी
56.	बांसुरी
57.	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुल्लांगुझल
58.	मशक
59.	टिट्टी
60.	श्रुति उपंग
61.	गोगोना
62.	मोरसिंग
63.	श्रुति बॉक्स
64.	हारमोनियम (हाथ से पंप किया हुआ)
65.	एक्कलम
66.	करनाल
67.	रामसिंगा
68.	कहल

69.	नागफनी
70.	तुरी
71.	ढाड़
72.	डमरू
73.	डिमाडी
74.	ढोल
75.	ढोलक
76.	ढोलकी
77.	डुग्गी
78.	घाट सिंघारी या गदा सिंघारी
79.	घुमोट
80.	गुम्मेता
81.	कजिरा
82.	खोल
83.	किनपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84.	मदले
85.	मरम
86.	मिझावू
87.	मृदंगम
88.	पखावज
89.	पखावज जोड़ी – तबलाजैसा सिख वाद्ययंत्र
90.	पंचमुख वाद्यम
91.	पुंग
92.	शुद्ध मदालम या मद्दालम
93.	तबला/तबल/चमेली – गोब्लेट ड्रम
94.	तबला
95.	तबला तरंग – तबलों का सेट
96.	तमटे
97.	थंथी पनाई
98.	थिमिला
99.	“तुंबक, तुंबकनारी, तुंबकनेर”
100.	“डफ, डफ, डफ या डफ डिमडी या डिमरी – बिना जिंगल वालाछोटा फ्रेम ड्रम”
101.	कजिरा – एक जिंगलवाला छोटा फ्रेम ड्रम
102.	कांसी –बिना जिंगल के छोटा
103.	पतायनी थप्पू –हाथों से बजाया जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104.	चेंडा
105.	डोलू
106.	ढाक
107.	ढोल
108.	ढोली
109.	इडक्का
110.	थाविल
111.	उडुकाई
112.	चांडे
113.	नगारा – केटलड्रम की जोड़ी
114.	पंबाई – दो बेलनाकार ड्रमों की इकाई
115.	“पराई थप्पू हलगी –दो डंडों से बजाया जाने वाला फ्रेम ड्रम
116.	संबल
117.	स्टिक डफ या स्टिक डफ – स्टैंड में डफ जिसे डंडों से बजाया जाता है
118.	तमक
119.	ताशा –एक प्रकार का केटलड्रम

120.	उरुमी
121.	जलतरंग चिमटा – पीतल की जिंगल के साथ आग का चिमटा
122.	चेंगिला – धातु की डिस्क
123.	एलथालम
124.	गेगेर – पीतल का बर्तन
125.	घटम और मटकम (मिट्टी का बर्तन ड्रम)
126.	घुंघरू
127.	खरताल या चिपल्या
128.	मंजीरा या झांझ या ताल
129.	नट– मिट्टी का बर्तन
130.	संकरजंग – लिथोफोन
131.	थाली – धातु की प्लेट
132.	थट्टुकझि मन्ई
133.	कांच तरंग, एक प्रकार का ग्लास हार्प
134.	काष्ठ तरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 37 /GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.36/ST-2, dated the 30th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified under column (3) of the Schedule given below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry under column (2) of the said Schedule, from the whole of the state tax leviable thereon under section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).

SCHEDULE

Serial Number	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls
6.	0106	Other live animals such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled

10.	03	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
11.	0301	Live fish
12.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, fresh or chilled
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, and other than pre-packaged and labelled
15.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, UHT milk
16.	0403	Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled
17.	0406	Chena or paneer, whether or not pre-packaged and labelled
18.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
19.	0409	Natural honey, other than pre-packaged and labelled
20.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
21.	0504	All goods, fresh or chilled
22.	0504	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
23.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
24.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
25.	0511	Semen including frozen semen
26.	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
27.	0701	Potatoes, fresh or chilled
28.	0702	Tomatoes, fresh or chilled
29.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
30.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
31.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium spp.</i>), fresh or chilled
32.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled
33.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled
34.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
35.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
36.	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
37.	0711	Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
38.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
39.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split other than pre-packaged and labelled

40.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled, dried; sago pith.
41.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, other than pre-packaged and labelled
42.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled, other than pre-packaged and labelled
43.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
44.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
45.	0802	Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
46.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
47.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
48.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresh.
49.	0806	Grapes, fresh
50.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
51.	0808	Apples, pears and quinces, fresh
52.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
53.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus <i>vaccinium</i> , Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh
54.	0813	Tamarind dried
55.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
56.	07, 09 or 10	All goods of seed quality
57.	0901	Coffee beans, not roasted
58.	0902	Unprocessed green leaves of tea
59.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries of seed quality
60.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
61.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
62.	1001	Wheat and meslin, other than pre-packaged and labelled
63.	1002	Rye, other than pre-packaged and labelled
64.	1003	Barley, other than pre-packaged and labelled
65.	1004	Oats, other than pre-packaged and labelled
66.	1005	Maize (corn), other than pre-packaged and labelled
67.	1006	Rice, other than pre-packaged and labelled
68.	1007	Grain sorghum, other than pre-packaged and labelled
69.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, other than pre-packaged and labelled
70.	1101	Wheat or meslin flour, other than pre-packaged and labelled

71.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, maize (corn) flour, rye flour etc, other than pre-packaged and labelled
72.	1103	Cereal groats, meal and pellets, other than pre-packaged and labelled
73.	1104	Cereal grains hulled
74.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules or pellets of potatoes, other than pre-packaged and labelled
75.	1106	Flour, meal, powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 1106 10 90)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. other than pre-packaged and labelled
76.	1106 10 10	Guar meal
77.	12	All goods of seed quality
78.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality
79.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality
80.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality
81.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality
82.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality
83.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality
84.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing
85.	1210	Hop cones, fresh
86.	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
87.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled
88.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled
89.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
90.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
91.	1301	Lac and Shellac
92.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1404 90 60	Coconut shell, unworked
95.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks
96.	1701 or 1702	(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labeled (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled (iii) Rab, other than pre-packaged and labelled
97.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled
98.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, other than pre-packaged and labelled
99.	1905	Pappad, by whatever name it is known

100.	1905 or 2106	Khakhra; Bread (branded or otherwise), Pizza bread, roti, chapathi, paratha, parotta and other Indian breads by any name called
101.	2009 89 90	Tender coconut water other than pre-packaged and labelled
102.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc
103.	2201	Water (other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed unit container)
104.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
105.	2301, 2302, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake other than rice bran
106.	2306	De-oiled rice bran
107.	2306	Cotton seed oil cake
108.	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda
109.	2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water
110.	26	Uranium Ore concentrate
111.	2716 00 00	Electrical energy
112.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
113.	30 or any other Chapter	Drugs or medicines listed in Annexure I
114.	3002	Human Blood and its components
115.	3006	All types of contraceptives
116.	3101	All goods and organic manure, other than pre-packaged and labelled
117.	3304	Kajal (other than kajal pencil sticks), Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
118.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
119.	3926	Plastic bangles
120.	4014	Condoms and contraceptives
121.	4016	Erasers
122.	4401	Firewood or fuel wood
123.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
124.	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
125.	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
126.	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark
127.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
128.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803, used for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
129.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
130.	4820	Exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
131.	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India
132.	4901	Printed books, including Braille books
133.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material

134.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
135.	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
136.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
137.	4907	Duty Credit Scrips
138.	5001	Silkworm laying, cocoon
139.	5002	Raw silk
140.	5003	Silk waste
141.	5101	Wool, not carded or combed
142.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
143.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
144.	52	Gandhi Topi, Khadi yarn
145.	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets
146.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
147.	5305	Coconut, coir fibre
148.	53	Coir pith compost other than pre-packaged and labelled
149.	63	Indian National Flag
150.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
151.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
152.	69	Idols made of clay
153.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
154.	7117	Bangles of lac/shellac
155.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry other than ghamella.
156.	8214	Pencil sharpeners
157.	8445	Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha
158.	8446	Handloom [weaving machinery]
159.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
160.	9021	Hearing aids
161.	92	Indigenous handmade musical instruments as listed in Annexure II
162.	9603	Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles
163.	9608,9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailor's chalk; Slate pencils and chalk sticks
164.	9610 00 00	Slates
165.	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons
166.	9803	Passenger baggage
167.	Any chapter	Puja samagri namely:- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit,

		(v) Vibhuti, (vi) Unbranded honey (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandan tika
168.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate Central tax, State tax, Union Territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.
169.	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union Territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union Territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union Territory or local authority in the form of grants
170.	Any Chapter	Parts for manufacture of hearing aids
171.	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)
172.	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(a) the expressions, -

- (i) “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;
- (ii) “pre-packaged and labelled” means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are “pre-packed” as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder;
- (iii) “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);
- (iv) “Government entity” shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is-

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority;

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

Annexure-I
[see serial number 113 of the Schedule]

List of drugs or medicines	
1.	Gene Therapy
2.	Agalsidase Beta
3.	Imiglucerase
4.	Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
5.	Onasemnogene abeparvovec
6.	Asciminib
7.	Mepolizumab
8.	Pegylated Liposomal Irinotecan
9.	Daratumumab
10.	Daratumumab subcutaneous
11.	Teclistamab
12.	Amivantamab
13.	Alectinib
14.	Risdiplam
15.	Obinutuzumab
16.	Polatuzumab vedotin
17.	Entrectinib
18.	Atezolizumab
19.	Spesolimab
20.	Velaglucerase Alpha
21.	Agalsidase Alfa
22.	Rurioctocog Alpha Pegol
23.	Idursulphatase
24.	Alglucosidase Alfa
25.	Laronidase
26.	Olipudase Alfa
27.	Tepotinib
28.	Avelumab
29.	Emicizumab
30.	Belumosudil
31.	Miglustat
32.	Velmanase Alfa
33.	Alirocumab
34.	Evolocumab
35.	Cystamine Bitartrate
36.	CI-Inhibitor injection
37.	Inclisiran

Annexure-II
[See S. No. 161 of the Schedule]

List of indigenous handmade musical instruments	
1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotor, or Dotara
3.	Ektara
4.	Getchu Vadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyatra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena
24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala (violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvan kutam

46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhobar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukha vadyam
91.	Pung
92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala/tabla/chameli - goblet drum
94.	Tabla

95.	Tabla tarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urume
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplaya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 36/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, को ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा राज्य कर की निम्नलिखित दरें, जिन्हें, नीचे दी गई अधिसूचना, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त अनुसूचियों के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), मालों के अंतरराज्यीय प्रदाय पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूचियों के खाना (3) के नीचे तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अधीन आता है, जैसा उक्त अनुसूचियों के खाना (2) के नीचे तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है, अधिसूचित करते हैं:—

- (i) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 2.5 प्रतिशत;
- (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 9 प्रतिशत;
- (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 20 प्रतिशत;
- (iv) अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 1.5 प्रतिशत;
- (v) 0.125 प्रतिशत अनुसूची V में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.75 प्रतिशत;
- (vi) अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.75 प्रतिशत; और
- (vii) अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 14 प्रतिशत।

अनुसूची – 2.5%

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/टैरिफ-मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	जीवित घोड़े
2.	0202,0203,0204,0205, 0206,0207,0208,0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडा, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा, पूर्व पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
4.	0402	सान्द्रित या चीनी या अन्य मीठे पदार्थ वाले गाढ़े दूध सहित दूध और क्रीम
5.	0403	दही, क्रीम, के फिर और अन्य किण्वित या अम्लीय दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित या चीनी या अन्य मीठे पदार्थ वाले या सुगंधित या फल, मेवे या कोको मिले हुए या नहीं; पूर्व-पैक और लेबलयुक्त दही, लस्सी और छाछ
6.	0404	मट्ठा, चाहे सांद्रित हो या इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं; प्राकृतिक दूध के घटकों से बने उत्पाद, चाहे इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हो
7.	0405	मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा और तेल, जिसमें घी भी शामिल है; डेयरी स्प्रेड
8.	0406	पनीर, छेना या पनीर से भिन्न
9.	0408	पक्षियों के अंडे, बिना खोल के, तथा अंडे की जर्दी, ताजा, सूखी, भाप से पकाई गई या पानी में उबालकर, ढाली गई, जमाई गई या अन्यथा संरक्षित, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं
10.	0409	प्राकृतिक शहद, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
11.	0410	पशु मूल के कीड़े और अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
12.	0502	सूअर, सुअर या सूअर के बाल और झाड़; बेजर के बाल और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल; ऐसे झाड़ या झाड़ का अपशिष्ट
13.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त से भिन्न
14.	0505	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख और पंखों के भाग (चाहे किनारों को काटा गया हो या नहीं) और नीचे, जिन्हें साफ करने, रोगाणुरहित करने या संरक्षण के लिए उपचारित करने से भिन्न और कुछ नहीं किया गया हो; पंखों या पंखों के भागों का चूर्ण और अपशिष्ट
15.	0507 (0507 90 को छोड़कर)	हाथी दांत, कछुए का खोल, व्हेल की हड्डी और व्हेल की हड्डी के बाल, सींग, बिना काम किए या केवल तैयार किए गए किन्तु आकार में काटे नहीं गए; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
16.	0508	मूंगा और इसी प्रकार की सामग्री, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, किन्तु अन्यथा काम में नहीं ली गई; मोलस्क, क्रस्टेशियन या इकाइनोडर्म के कवच और कटल-बोन, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, किन्तु आकार में नहीं काटी गई, उसका पाउडर और अपशिष्ट
17.	0510	एम्बरग्रीस, कैस्टोरियम, सिवेट और कस्तूरी; कैंथराइड्स; पित्त, चाहे सूखा हो या नहीं; ग्रंथियां और अन्य पशु उत्पाद, जो दवा उत्पादों की तैयारी में उपयोग किए जाते हैं, ताजा, ठंडा, जमे हुए या अन्यथा अनंतिम रूप से संरक्षित
18.	0511	पशु उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; अध्याय 1 या 3 के मृत पशु, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, वीर्य से भिन्न, जिसमें जमा हुआ वीर्य भी शामिल है।
19.	07	जड़ी बूटी, छाल, सूखा पौधा, सूखी जड़, जिसे आमतौर पर जरीबूटी और सूखा फूल के नाम से जाना जाता है

20.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके सहित, छिलका सहित या बिना छिलके सहित, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त; ग्वार गम, परिष्कृत विभाजित
21.	0714	मेनिओक, अरारोट, सालेप, जेरूसलम आर्टिचोक, शकरकंद और इसी तरह की जड़ें और कंद जिनमें स्टार्च या इनुलिन की मात्रा अधिक हो, जमे हुए, कटे हुए या गोलियों के रूप में, पूर्व पैक और लेबलयुक्त
22.	0801	काजू, चाहे छिलके सहित हों या नहीं, सूखे नारियल; ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके सहित हों या नहीं
23.	0802	सूखे सुपारी, छिलके सहित या बिना छिलके वाले; अन्य सूखे मेवे, छिलके सहित या बिना छिलके वाले, जैसे बादाम, हेज़लनट या फ़िल्बर्ट (कोरिलस प्रजाति), शाहबलूत (कास्टानिया प्रजाति), पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट (कोला प्रजाति), पाइन नट, शाहबलूत (सिंघाड़ा), अखरोट, छिलके सहित या बिना छिलके वाले
24.	0802, 0813	शाहबलूत (सिंघाड़ा), सूखा हुआ <चाहे हो या नहीं> छिला हुआ या छिला हुआ
25.	08	सूखा मखाना, चाहे छिला हुआ हो या नहीं, पूर्व पैक और लेबलयुक्त
26.	0804	खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरुद, आम और मैंगोस्टीन, सूखे
27.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मँडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के खट्टे संकर, अंगूर, पोमेलो सहित, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया), सूखे
28.	0806	अंगूर, सूखे अंगूर और किशमिश
29.	0811	फल और मेवे, बिना पके या भाप में पकाए या पानी में उबालकर, जमे हुए, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
30.	0812	फल और मेवे, अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, नमकीन पानी में, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक घोल में), किन्तु उस अवस्था में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
31.	0813	फल, सूखा, शीर्षक 0801 से 0806 से भिन्न; अध्याय 8 के मेवों या सूखे फलों का मिश्रण [सूखी इमली से भिन्न]
32.	0814	खट्टे फल या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, जमे हुए, सूखे या अस्थायी रूप से नमकीन पानी, सल्फर जल या अन्य परिरक्षक घोल में संरक्षित
33.	0901	भुनी हुई कॉफी, चाहे कैफीन रहित हो या नहीं; कॉफी के छिलके और छिलके; किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त कॉफी के विकल्प [भुनी हुई कॉफी बीन्स से भिन्न]
34.	0902	चाय, स्वादयुक्त हो या न हो [चाय की अप्रसंस्कृत हरी पत्तियों से भिन्न]
35.	0903	साथी
36.	0904	पाइपर वंश की काली मिर्च; कैप्सिकम वंश या पिमेंटा वंश के सूखे या कुचले या पिसे हुए फल
37.	0905	वेनिला
38.	0906	दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल
39.	0907	लौंग (पूरा फल, लौंग और डंठल)
40.	0908	जायफल, जावित्री और इलायची
41.	0909	सौंफ, बदायन, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; जुनिपर बेरीज [बीज गुणवत्ता से भिन्न]
42.	0910 [0910 11 .10, 0910 30 10 से भिन्न]	अदरक < से भिन्न > ताजा अदरक, केसर, ताजा हल्दी (करकुमा) < से भिन्न > ताजा हल्दी, थाइम, तेज पत्ता, करी और अन्य मसाले
43.	1001	गेहूँ और मेस्लिन, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
44.	1002	राई, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
45.	1003	जौ, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त

46.	1004	ओट्स, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
47.	1005	मक्का (मक्का), पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
48.	1006	चावल, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
49.	1007	अनाज ज्वार, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
50.	1008	कुट्टू, बाजरा और कैनरी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
51.	1101	गेहूं या मेस्लिन का आटा, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
52.	1102	गेहूं या मेस्लिन से भिन्न अन्य अनाज का आटा, जैसे मक्का (मकई) का आटा, राई का आटा, आदि, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
53.	1103	अनाज के दाने, आटा और दाने, जिनमें सूजी और दलिया भी शामिल हैं, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
54.	1104	शीर्ष 1006 के चावल को छोड़कर, अन्यथा संसाधित अनाज (उदाहरण के लिए, रोल किए हुए, परतदार, मोतीदार, कटे हुए या किब्ल्ड); अनाज के बीज, पूरे, रोल किए हुए, परतदार या पीसे हुए (छिलके वाले अनाज से भिन्न)
55.	1105	आटा, आटा, पाउडर, फ्लेक्स, दाने और आलू की गोलियाँ, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
56.	1106	शीर्ष 0713 (दालें) की सूखी फलीदार सब्जियों का आटा, चूर्ण और पाउडर [ग्वार चूर्ण (एचएस 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट (एचएस 0713) से भिन्न], शीर्ष 0714 के साबूदाना या जड़ों या कंदों का आटा, चूर्ण या अध्याय 8 के उत्पाद, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
57.	1107	माल्ट, भुना हुआ हो या नहीं
58.	1108	स्टार्च; इनुलिन
59.	1109 00 00	गेहूं ग्लूटेन, चाहे सूखा हो या नहीं
60.	12	बीज की गुणवत्ता से भिन्न सभी माल
61.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी हुई हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता से भिन्न
62.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकी हुई नहीं, चाहे छिलके वाली हो या टूटी हुई, बीज की गुणवत्ता से भिन्न
63.	1203	खोपरा
64.	1204	अलसी, चाहे टूटी हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता से भिन्न
65.	1205	रेपसीड या कोल्ज़ा के बीज, चाहे वे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता से भिन्न
66.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता से भिन्न
67.	1207	अन्य तेल बीज और तेलयुक्त फल (अर्थात् ताड़ के बीज और गुठली, कपास के बीज, अरंडी के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमस टिक्टोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस, अजवायन, आम की गुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता से भिन्न अन्य
68.	1208	तिलहन या तेलयुक्त फलों का आटा और भोजन, सरसों से भिन्न
69.	1209	बोने के अलावा किसी भी अन्य उपयोग के लिए इमली के बीज
70.	1210 20 00	हॉप शंकु, पीसे हुए, चूर्णित या छरों के रूप में; ल्यूपुलिन
71.	1211	पौधे और पौधों के भाग (बीज और फल सहित), जिनका उपयोग मुख्य रूप से सुगंधशाला, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशक या इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जमे हुए या सूखे हुए, चाहे कटे हुए, कुचले हुए या चूर्णित हों या नहीं
72.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, जमे हुए या सूखे, <चाहे पीसे हुए हों या नहीं>; फल की गुठली और गिरी और अन्य वनस्पति उत्पाद (<इसमें> सिचोरियम इंडीबस सैटिवम किस्म की बिना भुनी हुई चिकोरी जड़ें शामिल हैं) जो मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं।

73.	1301	प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद-रेजिन और ओलियोरेसिन (उदाहरण के लिए, बाल्सम) [लाख और शेलैक से भिन्न]; मिश्रित हींग जिसे आमतौर पर हींग के रूप में जाना जाता है
74.	1302	वनस्पति रस और अर्क; पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट और पेक्टेट; अगर-अगर और अन्य म्यूसिलेज और गाढ़ा करने वाले पदार्थ, संशोधित हों या न हों, वनस्पति उत्पादों से प्राप्त, जिनमें इमली की गिरी का पाउडर भी शामिल है
75.	1401	वनस्पति सामग्री जो मुख्य रूप से बुनाई के लिए उपयोग की जाती है (उदाहरण के लिए, बांस, रतन, नरकट, सरकंडे, ओसियर, राफिया, साफ, प्रक्षालित या रंगे अनाज के भूसे, और चूने की छाल)
76.	1404 [1404 90 40, 1404 90 60 से भिन्न]	वनस्पति उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कपास के लिंटर, सोप नट्स, कठोर बीज, बीज, छिलके और मेवे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से नक्काशी के लिए किया जाता है, रुद्राक्ष के बीज, बीड़ी के पत्ते (तेंदु), भारतीय कत्था [<से भिन्न>पान के पत्ते, बिना काम किया हुआ नारियल का खोल]
77.	1404 या 3305	शंकु में मेहंदी का पेस्ट
78.	1501	सूअर की चर्बी (जिसमें चर्बी भी शामिल है) और कुक्कुट की चर्बी, शीर्ष 0209 या 1503 से भिन्न
79.	1502	गोजातीय पशुओं, भेड़ या बकरियों की वसा शीर्ष 1503 के अंतर्गत आने वाली वसा को छोड़कर
80.	1503	लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, ओलियो स्टीयरिन, ओलियो-तेल और टैलो तेल, इमल्सीफाइड या मिश्रित या अन्यथा तैयार नहीं
81.	1504	मछली या समुद्री स्तनधारियों के वसा और तेल और उनके अंश, <चाहे परिष्कृत हों या नहीं>, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
82.	1505	ऊन का ग्रीस और उससे प्राप्त वसायुक्त पदार्थ (लैनोलिन सहित)
83.	1506	अन्य पशु वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
84.	1507	सोयाबीन तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
85.	1508	मूंगफली का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
86.	1509	जैतून का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
87.	1510	अन्य तेल और उनके अंश, जो केवल जैतून से प्राप्त होते हैं, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं, जिनमें शीर्ष 1509 के तेलों या अंशों के साथ इन तेलों या अंशों का मिश्रण भी शामिल है
88.	1511	पाम तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
89.	1512	सूरजमुखी के बीज, कुसुम या कपास के बीज का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
90.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासु तेल और उसके अंश, <चाहे परिष्कृत हों या नहीं>, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
91.	1514	रेपसीड, कोल्ज़ा या सरसों का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
92.	1515	अन्य निश्चित वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
93.	1516	वनस्पति वसा और तेल तथा उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, किन्तु आगे तैयार नहीं
94.	1516	पशु या सूक्ष्मजीवी वसा और पशु या सूक्ष्मजीवी तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, किन्तु आगे तैयार नहीं

95.	1517	मार्जरीन, लिनोक्सिन; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां, शीर्ष 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों से भिन्न
96.	1518	पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल, उनके अंश, उबले हुए, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरीकृत, उड़ाए हुए, निर्वात में या निष्क्रिय गैस में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्ष 1516 को छोड़कर; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के अखाद्य मिश्रण या तैयारियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
97.	1520 00 00	ग्लिसरॉल, कच्चा; ग्लिसरॉल जल और ग्लिसरॉल लाइस
98.	1521	वनस्पति मोम (ट्राइग्लिसराइड्स से भिन्न), मोम, अन्य कीट मोम और शुक्राणु, चाहे परिष्कृत या रंगीन हों या नहीं
99.	1522	डीग्रास, वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति मोम के उपचार से उत्पन्न अवशेष
100.	1601	मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़ों से बने सॉसेज और इसी प्रकार के उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य पदार्थ
101.	1602	अन्य तैयार या संरक्षित मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़े
102.	1603	मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस
103.	1604	तैयार या संरक्षित मछली; मछली के अंडों से तैयार कैवियार और कैवियार के विकल्प
104.	1605	क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी तैयार या संरक्षित
105.	1701	गन्ना या चुकंदर चीनी और रासायनिक रूप से शुद्ध सुक्रोज, ठोस रूप में जिसमें परिष्कृत चीनी शामिल है जिसमें स्वाद या रंग मिलाया गया हो, चीनी के टुकड़े [सभी प्रकार के गुड़, खांडसारी चीनी, रब से भिन्न]
106.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिनमें गन्ना गुड़ (गुड़), पामिरा गुड़, खांडसारी चीनी, रब शामिल हैं, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
107.	1702 या 1704	पलमायरा चीनी, मिश्री, बताशा, बूरा, साकर, खादी साकर, हरदा, सकारिया, गट्टा, कुलिया, इलाइचिदाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरे की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल की चिक्की, तिलपट्टी, तिलरेवड़ी, चीनी मखाना, मूंगफली की मिठाइयाँ, गजक, खाजा, खजुली, अनरसा
108.	1702	अन्य शर्कराएं, जिनमें ठोस रूप में रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल हैं, ; चीनी सिरप जिसमें स्वाद या रंग नहीं मिलाया गया हो; कारमेल
109.	1703	गुड़
110.	1704	चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चॉकलेट सहित), जिसमें कोको न हो, चीनी में उबली हुई कन्फेक्शनरी
111.	1801	कोको बीन्स पूरे या टूटे हुए, कच्चे या भुने हुए
112.	1802	कोको के छिलके, भूसी, त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट
113.	1803	कोको पेस्ट, <चाहे या नही> वसा रहित
114.	1804	कोकोआ मक्खन, वसा और तेल
115.	1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ न हो
116.	1806	चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ
117.	1901 20 00	ब्रेड, पेस्ट्री और अन्य बेकरी उत्पादों की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा
118.	1901	बाजरे के आटे से बनी खाद्य सामग्री, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, पूर्व पैक और लेबलयुक्त; माल्ट एक्सट्रेक्ट, आटे, ग्राउंड्स, मील, स्टार्च या माल्ट एक्सट्रेक्ट से बनी खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 40% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से वसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; शीर्ष 0401 से 0404 तक के माल की खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 5% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से वसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित न हो

119.	1902	सेवइयां (सेवई); पास्ता, चाहे पकाया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे कि स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, लज़ान्या, ग्नोची, रैवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, चाहे तैयार किया गया हो या नहीं
120.	1903	स्टार्च से तैयार टैपिओका और उसके विकल्प, गुच्छे, अनाज, मोती, छनाई या इसी तरह के रूपों में (साबूदाना)
121.	1904	मुरमुरे, जिसे आमतौर पर मूरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या दबाया हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के नाम से जाना जाता है, पार्चर्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, पार्चर्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, पूर्व पैक और लेबलयुक्त
122.	1904	सभी माल अर्थात् मकई के फ्लेक्स, बल्गर गेहूं, अनाज के फ्लेक्स से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ, (पफ्ड राइस से भिन्न, जिसे आमतौर पर मूरी के रूप में जाना जाता है, चपटा या दबाया हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के रूप में जाना जाता है, पार्चर्ड चावल, जिन्हें आमतौर पर खोई के रूप में जाना जाता है, पार्चर्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल, जिन्हें आमतौर पर मुरकी के रूप में जाना जाता है); फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके)
123.	1905	पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद, चाहे उनमें कोको हो या न हो; कम्प्युनियन वेफर्स, दवाइयों के उपयोग के लिए उपयुक्त खाली कैशेट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी प्रकार के उत्पाद; बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया से निर्मित; एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या नमकीन
124.	1905 40 00	रस्क, टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के टोस्टेड उत्पाद
125.	2001	सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, जो सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित किए जाते हैं
126.	2002	सिरका या एसिटिक एसिड से भिन्न किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित टमाटर
127.	2003	मशरूम और ट्रफल, सिरका या एसिटिक एसिड से भिन्न किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित किए गए
128.	2004	सिरका या एसिटिक एसिड से भिन्न किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई गई, शीर्ष 2006 के उत्पादों से भिन्न
129.	2005	सिरका या एसिटिक एसिड से भिन्न किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई हुई नहीं, शीर्षक 2006 के उत्पादों से भिन्न
130.	2006	सब्जियां, फल, मेवे, फलों के छिलके और पौधों के अन्य भाग, चीनी द्वारा संरक्षित (सूखा, ग्लेस या क्रिस्टलीकृत)
131.	2007	जैम, फल जेली, मुरब्बा, फल या मेवे की प्यूरी और फल या मेवे के पेस्ट, जो पकाकर प्राप्त किए जाते हैं, चाहे उसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
132.	2008	फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, अन्यथा तैयार या संरक्षित, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्पिरिट हो, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; जैसे मूंगफली, काजू, भुना हुआ, नमकीन या भुना और नमकीन, अन्य भुने हुए मेवे और बीज, आम, नींबू संतरा, अनानास या अन्य फलों का स्ववैश
133.	2009	फलों या मेवों के रस (अंगूर के रस सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और बिना अतिरिक्त स्पिरिट के, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या न हो
134.	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी, पूर्व पैक और लेबलयुक्त
135.	2101 11, 2101 12 00	कॉफी के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या कॉफी के आधार पर तैयारियां
136.	2101 20	सभी माल अर्थात् चाय या मेट के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या चाय या मेट के आधार पर तैयारियां
137.	2101 30	भुनी हुई कासनी और अन्य भुनी हुई कॉफी के विकल्प, तथा उनके अर्क, सार और सांद्र
138.	2102	यीस्ट (सक्रिय और निष्क्रिय); अन्य एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव, मृत (किन्तु शीर्ष 3002 के टीके शामिल नहीं); तैयार बेकिंग पाउडर

139.	2103	सभी माल, जिनमें सॉस और उसके लिए तैयार सामग्री, मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाला; सरसों का आटा और भोजन और तैयार सरसों जिसमें करी पेस्ट, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग भी शामिल हैं
140.	2104	सूप और शोरबा तथा उनसे बनी तैयारियाँ; समरूप मिश्रित खाद्य तैयारियाँ
141.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको हो या न हो
142.	2106	बनावटयुक्त वनस्पति प्रोटीन (सोयाबारी), दालों से बनी बारी जिसमें मुंगोड़ी और बैटर शामिल हैं; भुने हुए चने की इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर; मिठाइयाँ
143.	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह की खाद्य सामग्री, उपभोग के लिए तैयार, चाहे पूर्व पैक और लेबल युक्त या नहीं
144.	2106 90 91	मधुमेह खाद्य पदार्थ
145.	2106 (21069020 से भिन्न)	अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न की गई खाद्य तैयारियाँ [पान मसाला से भिन्न]
146.	2201	जल, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल शामिल हैं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद नहीं मिलाया गया है
147.	2201 90 10	बर्फ और हिम
148.	2202 99	पौधे-आधारित दूध पेय, पेय पदार्थ के रूप में सीधे उपभोग के लिए तैयार
149.	2202 99 10	सोया दूध पेय, चाहे मीठा हो या स्वादयुक्त
150.	2202 99 20	फलों के गूदे या फलों के रस पर आधारित पेय [फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय से भिन्न]
151.	2202 99 30	दूध युक्त पेय पदार्थ
152.	2207	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों का प्रदाय की जाने वाली एथिल अल्कोहल
153.	2301	मांस या मांस के अवशेष, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों का आटा, भोजन और गोलियाँ, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं; ग्रीक्स
154.	2302	चोकर, तीखे पदार्थ और अन्य अवशेष, चाहे वे छर्छों के रूप में हों या नहीं, अनाज या फलीदार पौधों की छनाई, पिसाई या अन्य कार्य से प्राप्त [जलीय आहार से भिन्न, जिसमें झींगा आहार और झींगा आहार शामिल है, मुर्गी आहार और मवेशी आहार, घास, सूखी घास और पुआल, पूरक और योजक, दालों की भूसी, जिसमें चिल्का शामिल है, सांद्र, चुन्नी या चूरी, खंडा, गेहूँ का चोकर, तेल रहित केक शामिल है]
155.	2302	चावल की भूसी (तेल रहित चावल की भूसी से भिन्न)
156.	2303	स्टार्च निर्माण के अवशेष और इसी प्रकार के अवशेष, चुकंदर का गूदा, खोई और चीनी निर्माण का अन्य अपशिष्ट, शराब बनाने या आसवन के अवशेष और अपशिष्ट, चाहे वे छर्छों के रूप में हों या नहीं
157.	2304	सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त तेल-खली और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में
158.	2305	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो मूंगफली के तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं
159.	2306	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेलों के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं, शीर्ष 2304 या 2305 से भिन्न, कपास के तेल केक और तेल रहित चावल की भूसी से भिन्न
160.	2307	वाइन लीज़; अर्गॉल
161.	2309	मछली में घुलनशील पेस्ट
162.	2401	तंबाकू त्याग
163.	2502	बिना भुने लौह पाइराइट
164.	2503	सभी प्रकार के सल्फर, उर्ध्वपातित सल्फर, अवक्षेपित सल्फर और कोलाइडल सल्फर से भिन्न

165.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट
166.	2505	सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं, अध्याय 26 की धातु युक्त रेत से भिन्न
167.	2506	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत से भिन्न); क्वार्ट्जाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर काटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लेब में काटा गया हो
168.	2507	काओलिन और अन्य काओलिनिक मिट्टी, चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं
169.	2508	अन्य मिट्टी (शीर्ष 6806 की विस्तारित मिट्टी शामिल नहीं), एंडालुसाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं; मुलाइट; चामोट या डायनास मृदाएँ
170.	2509	चाक
171.	2510	प्राकृतिक कैल्शियम फॉस्फेट, प्राकृतिक एल्यूमीनियम कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फेटिक चाक
172.	2511	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स); प्राकृतिक बेरियम कार्बोनेट (विथेराइट), चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं, शीर्ष 2816 के बेरियम ऑक्साइड से भिन्न
173.	2512	सिलिकायुक्त जीवाश्म आहार (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट और डायटोमाइट) और इसी प्रकार के सिलिकायुक्त मृदा, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं, जिनका स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व 1 या उससे कम हो
174.	2513	झांवा; एमरी; प्राकृतिक कोरन्डम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षक, चाहे ताप-उपचारित हों या नहीं
175.	2514	स्लेट, चाहे वह मोटे तौर पर छँटी हुई हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लेब में काटी गई हो
176.	2515 [2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर] या 6802	इकाउसाइन और अन्य कैल्शियमयुक्त स्मारकीय या भवन पत्थर (संगमरमर और ट्रैवर्टिन से भिन्न), अलबास्टर, दर्पण पॉलिश पत्थर से भिन्न जो उपयोग के लिए तैयार है
177.	2515 11 00	संगमरमर और ट्रैवर्टिन, अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटे हुए
178.	2515 12 10	संगमरमर और ट्रैवर्टिन ब्लॉक
179.	2516 [2516 11 00, 2516 1200 को छोड़कर]	पोर्फिरी, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और अन्य स्मारकीय या इमारती पत्थर, चाहे या नहीं मोटे तौर पर छांटे गए हों या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लेब में काटे गए हों
180.	2516 11 00	ग्रेनाइट अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छँटा हुआ
181.	2516	ग्रेनाइट ब्लॉक
182.	2517	कंकड़, बजरी, टूटे या कुचले हुए पत्थर, जिनका उपयोग सामान्यतः कंक्रीट समुच्चयों, सड़क धातुकरण या रेलवे या अन्य गिट्टी, शिंगल और चकमक पत्थर के लिए किया जाता है, चाहे या नहीं ताप-उपचारित; स्लैग, कचरा या इसी तरह के औद्योगिक अपशिष्ट का मैकडैम, चाहे या नहीं जिसमें शीर्ष के पहले भाग में उल्लिखित सामग्री शामिल हो; तारकोलयुक्त मैकडैम; दाने, चिप्स और पाउडर, पत्थरों का शीर्ष 2515 या 2516 चाहे या नहीं ताप-उपचारित
183.	2518	डोलोमाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हो या सिंटरित, डोलोमाइट सहित, मोटे तौर पर छंटाई किया हुआ या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लेब में काटा हुआ
184.	2519	प्राकृतिक मैग्नीशियम कार्बोनेट (मैग्नेसाइट); संलयित मैग्नेशिया; मृत-जला हुआ (सिन्टर किया हुआ) मैग्नेशिया, जिसमें सिंटरिंग से पहले अन्य ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिलाई गई हो; अन्य मैग्नीशियम ऑक्साइड, शुद्ध हो या नहीं
185.	2520	जिप्सम; एनहाइड्राइट; प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट से बने) रंगीन हों या नहीं, त्वरक या मंदक की अल्प मात्रा के साथ या उसके बिना
186.	2521	चूना पत्थर फ्लक्स; चूना पत्थर और अन्य कैल्केरियास पत्थर, एक प्रकार का जो चूने या सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
187.	2522	बिना बुझा चूना, बुझा चूना और हाइड्रोलिक चूना, शीर्ष 2825 के कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड से भिन्न

188.	2524	अदह
189.	2525	अभ्रक, विभाजन सहित; अभ्रक अपशिष्ट
190.	2526	प्राकृतिक स्टीटाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर छांटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो; टैल्क
191.	2528	प्राकृतिक बोरेट्स और उनके सांद्र (चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं), किन्तु प्राकृतिक ब्राइन से अलग किए गए बोरेट्स को छोड़कर; प्राकृतिक बोरिक एसिड जिसमें 85% से अधिक H ₃ BO ₃ न हो (शुष्क भार पर गणना की गई)
192.	2529	फेल्डस्पार; ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट; फ्लोरस्पार
193.	2530	खनिज पदार्थ जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
194.	2611	टंगस्टन अयस्क और सांद्र
195.	2612	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सांद्र
196.	2613	मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्र
197.	2614	टाइटेनियम अयस्क और सांद्र
198.	2615	नियोबियम, टैंटालम, वैनेडियम या जिर्कोनियम अयस्क और सांद्र
199.	2616	बहुमूल्य धातु अयस्क और सांद्र
200.	2617	अन्य अयस्क और सांद्र
201.	2618	लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त दानेदार लावा (लावा रेत)
202.	2619	लिंज़-डोनाविटज़ (एलडी) स्लैग
203.	2621	फ्लाई ऐश
204.	27	जैव गैस
205.	2704	कोयले, लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमी कोक, (चाहे एकत्रित हो या नहीं); रिटॉर्ट कार्बन
206.	2705	कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और इसी प्रकार की गैसों, पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन से भिन्न
207.	2710	(क) केरोसिन तेल पीडीएस, (ख) जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर ईंधन, अर्थात्:- (i) आईएफओ 180 सीएसटी (ii) आईएफओ 380 सीएसटी (iii) समुद्री ईंधन 0.5% (एफओ)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
209.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
210.	28	थोरियम ऑक्साइड, समृद्ध केबीएफ 4 (समृद्ध पोटेशियम फ्लोरोबोरेट), समृद्ध मौलिक बोरॉन, परमाणु ईंधन
211.	28	एनेस्थेटिक्स, पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन, भाप
212.	2804 40 10	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
213.	2805 11	परमाणु ग्रेड सोडियम
214.	2807	गंधक का तेजाब
215.	2808	नाइट्रिक एसिड
216.	2809	उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड
217.	2814	अमोनिया

218.	2845	भारी जल और अन्य परमाणु ईंधन
219.	2847	औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरॉक्साइड
220.	2853	संपीड़ित हवा
221.	28 या 38	सूक्ष्म पोषक तत्व, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची I, भाग (क) की क्रम संख्या 1(छ) के अधीन आते हैं और उन निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अधीन पंजीकृत हैं।
222.	29 या 3808 93	जिबरेलिक अम्ल
223.	2906 11 10	प्राकृतिक मेन्थॉल
224.	2906 11 10, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल से बने निम्नलिखित उत्पाद:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिट (मेन्था तेल), ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ), ड. स्पीयरमिट तेल च. मेन्था पिपेरिटा तेल
225.	30	इंसुलिन, साइक्लोस्पोरिन, डेसफेरियोक्सामाइन इंजेक्शन या डेफेरिप्रोन, ओरल री-हाइड्रेशन सॉल्ट
226.	30 या कोई भी अध्याय	सभी औषधियाँ और दवाइयाँ, जिनमें उनके लवण और एस्टर और डायग्नोस्टिक टेस्ट किट शामिल हैं; थोक औषधियों से निर्मित फॉर्मूलेशन [हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/जीएसटी, दिनांक 17 सितंबर, 2025 के क्रम संख्या 113 में शून्य पर विनिर्दिष्ट से भिन्न]
227.	30	सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक किट
228.	30	जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ (पशु चिकित्सा औषधियों सहित)
229.	30	औषधियाँ (जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ भी शामिल हैं), जो ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) की प्रथम अनुसूची या भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जैसी भी स्थिति हो, की होम्योपैथिक फार्माकोपिया में विनिर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तकों में वर्णित सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से निर्मित की जाती हैं, और ऐसी पुस्तकों या फार्माकोपिया में विनिर्दिष्ट नाम के तहत बेची जाती हैं।
230.	3001	अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियाँ और अन्य अंग, सूखे, <चाहे या नहीं> चूर्णित; अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियों या अन्य अंगों या उनके स्त्रावों के अर्क; हेपरिन और उसके लवण; चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए तैयार अन्य मानव या पशु पदार्थ, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
231.	3002	चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार पशु रक्त; एंटीसेरा और अन्य रक्त अंश और संशोधित प्रतिरक्षा उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए हों या नहीं; विषाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन (यीस्ट को छोड़कर) और इसी तरह के उत्पाद; कोशिका संवर्धन, संशोधित किए गए हों या नहीं
232.	3002, 3006	पशु या मानव रक्त टीके
233.	3003	दो या दो से अधिक घटकों से बनी औषधियाँ (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के माल को छोड़कर) जिन्हें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए एक साथ मिलाया गया है, जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए मापी गई खुराक या रूपों या पैकिंग में नहीं रखा गया है, जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधियाँ भी शामिल हैं
234.	3004	औषधीय उत्पाद (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के माल को छोड़कर) जिनमें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद शामिल हैं, मापी गई खुराकों में (ट्रांसडर्मल प्रशासन प्रणालियों के रूप में शामिल) या खुदरा बिक्री के लिए रूपों या पैकिंग में, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक सिद्ध या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधीय उत्पाद भी शामिल हैं, जो खुदरा बिक्री के लिए रखे गए हैं

235.	3005	वैडिंग, गौज, पट्टियाँ और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग, चिपकने वाले प्लास्टर, पुल्टिस), जो औषधीय पदार्थों से संसेचित या लेपित हों या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखी गई हों
236.	3006	इस अध्याय के <टिप्पण> 4 में निर्दिष्ट औषधीय माल, अर्थात् जीवाणुरहित शल्यक्रिया कैंटगट, समान जीवाणुरहित सिवनी सामग्री (जिसमें जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत धागे भी शामिल हैं) और शल्यक्रिया के घाव को बंद करने के लिए जीवाणुरहित ऊतक चिपकाने वाले पदार्थ; जीवाणुरहित लेमिनेरिया और जीवाणुरहित लेमिनेरिया टेंट; जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत हेमोस्टेटिक्स; जीवाणुरहित शल्यक्रिया या दंत आसंजन अवरोध, चाहे शोषक हों या नहीं; अपशिष्ट औषधियाँ (गर्भनिरोधकों से भिन्न); ओस्टोमी उपकरण जिनमें थैली या प्लैज, स्टोमा चिपकाने वाला पेस्ट, अवरोध क्रीम, सिंचाई किट, स्लीव, बेल्ट, सूक्ष्म-छिद्र टेप भी शामिल हैं
237.	3101	सभी माल अर्थात् पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
238.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, उनसे भिन्न जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
239.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, उनसे भिन्न जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
240.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटाश उर्वरक, उनसे भिन्न जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
241.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में; उनसे भिन्न जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
242.	32	वाटल एक्सट्रेक्ट, क्वेब्राचो एक्सट्रेक्ट, चेस्टनट एक्सट्रेक्ट
243.	3202	प्री-टैनिंग के लिए एंजाइमेटिक तैयारियाँ
244.	3304	टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
245.	3305	बालों का तेल, शैम्पू
246.	3306	टूथपेस्ट
247.	3306 10 10	टूथ पाउडर
248.	3306 20 00	दांतों के बीच सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा (डेंटल फ्लॉस)
249.	3307	शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव लोशन
250.	3307 41 00	अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, सांभरानी
251.	3401	टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन से भिन्न) बार, केक, ढाले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में
252.	3402	सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल
253.	3406	मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ
254.	3503	जिलेटिन (आयताकार (वर्गाकार सहित) शीटों में जिलेटिन सहित, चाहे सतह-कार्यित हो या रंगीन) और जिलेटिन व्युत्पन्न; आइसिंगलास; पशु मूल के अन्य गोंद, शीर्ष 3501 के कैसिइन गोंद को छोड़कर
255.	3505	डेक्सट्रिन और अन्य संशोधित स्टार्च (उदाहरण के लिए, प्रीजिलेटिनाइज्ड या एस्टरीफाइड स्टार्च); स्टार्च, या डेक्सट्रिन या अन्य संशोधित स्टार्च पर आधारित गोंद
256.	3505 00 10	सभी माल
257.	3701	चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे हेतु फोटोग्राफिक प्लेटें और फिल्म
258.	3705	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, उजागर और विकसित, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म से भिन्न
259.	3706	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, <चाहे या नहीं> साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक से युक्त, <फीचर फिल्मों से भिन्न>

260.	3808	निम्नलिखित जैव-कीटनाशक, अर्थात् – 1 बैसिलस थुरिजिएंसिस वर. इजराइलेंसिस 2 बैसिलस थुरिजिएंसिस वर. कुस्ताकी 3 बैसिलस थुरिजिएंसिस वर. गैलेरिया 4 बैसिलस स्फेरिकस 5 ट्राइकोडर्मा विरिडे 6 ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 7 स्यूडोमोनास पलोरोसेंस 8 ब्यूवेरियाबैसियाना 9 हेलिकोवर्परमिगेरा का एनपीवी 10 स्पोडोप्टेरालिट्यूरा का एनपीवी 11 नीम आधारित कीटनाशक 12 सिम्बोपोगन
261.	3816	डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण
262.	3818	सिलिकॉन वेफर्स
263.	3822	सभी डायग्नोस्टिक किट या अभिकर्मक जिनमें प्रमाणित संदर्भ सामग्री भी शामिल है
264.	3826	तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो-डीजल का प्रदाय
265.	3926	दूध पिलाने की बोतलें, प्लास्टिक के मोती
266.	4001	प्राकृतिक रबर, बालाटा, गुट्टा-पर्चा, ग्वायुले, चिकल और इसी तरह के प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
267.	4004 00 00	रबड़ का अपशिष्ट, छिलके या स्क्रेप (कठोर रबड़ से भिन्न)
268.	4007	लेटेक्स रबर धागा
269.	4011	रियर ट्रैक्टर टायर और रियर ट्रैक्टर टायर ट्यूब
270.	4011 30 00	नए वायवीय टायर, विमान में इस्तेमाल होने वाले रबर के प्रकार के
271.	4011 70 00	ट्रैक्टरों के लिए टायर
272.	4011, 4013	रबर के वायवीय टायर या आंतरिक ट्यूब, जो एक प्रकार से साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में उपयोग किए जाते हैं
273.	4013 90 49	ट्रैक्टर टायरों के लिए ट्यूब
274.	4014	दूध पिलाने वाली बोतलों के निप्पल
275.	4015	सर्जिकल रबर के दस्ताने या चिकित्सा परीक्षण रबर के दस्ताने
276.	4016	रबर बैंड
277.	4017	कठोर रबर का अपशिष्ट या स्क्रेप
278.	4101	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्वीय पशुओं की कच्ची खालें और चमड़े (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, किन्तु टैन्ड, चर्मपत्र-संसाधित या आगे तैयार नहीं), चाहे बाल निकाले गए हों या नहीं
279.	4102	भेड़ या मेमनों की कच्ची खालें (ताजा, या नमकीन, सूखी, चूने से सनी, अचार में रखी या अन्यथा संरक्षित, किन्तु टैन्ड, चर्मपत्र-संसाधित या आगे तैयार नहीं), चाहे ऊन लगी हो या फटी हुई
280.	4103	अन्य कच्चे चमड़े और खाल (ताजा या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, किन्तु टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), <चाहे या नहीं> बाल रहित या विभाजित
281.	4104	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं की टैन्ड या क्रस्ट खाल और चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो या नहीं, किन्तु आगे तैयार नहीं किया गया हो
282.	4105	भेड़ या मेमनों की चमड़ी या पपड़ीदार खाल, ऊन रहित, <चाहे हो या न हों> फटी हुई, किन्तु आगे तैयार न की गई हो

283.	4106	अन्य पशुओं की चमड़ी या पपड़ीदार खाल और चमड़े, जिन पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे विभाजित हों या नहीं, किन्तु आगे तैयार नहीं किए गए हों
284.	4107	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं का, बिना बालों वाला, चाहे विभाजित हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े से भिन्न
285.	4112	चमड़ा जिसे टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया है, जिसमें भेड़ या मेमने का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा शामिल है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े से भिन्न
286.	4113	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें अन्य पशुओं का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, जिस पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े से भिन्न
287.	4114	चमोईस (संयोजन चमोईस सहित) चमड़ा; पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लेमिनेटेड चमड़ा; धातुकृत चमड़ा
288.	4115	चमड़े या चमड़े के रेशे पर आधारित मिश्रित चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी के रूप में, रोल में हो या न हो; चमड़े या मिश्रित चमड़े के छिलके और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त न हों; चमड़े का चूर्ण, पाउडर और आटा
289.	4202 22 20	सूती हैंड बैग और शॉपिंग बैग
290.	4202 22 30	जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
291.	4203	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने
292.	44 या कोई भी अध्याय	निम्नलिखित माल, अर्थात्: — (क) सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड; (ख) जूट पार्टिकल बोर्ड; (ग) चावल की भूसी का बोर्ड; (घ) ग्लास-फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड (जीआरजी) (ङ) सिसल-फाइबर बोर्ड; (च) बगास बोर्ड; और (छ) कॉटन स्टॉक पार्टिकल बोर्ड (ज) कृषि फसल अवशेषों से विनिर्मित पार्टिकल/फाइबर बोर्ड
293.	44, 68, 83	लकड़ी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातु [कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों से भिन्न]
294.	4401	लकड़ी के टुकड़े या कण; बुरादा और लकड़ी का अपशिष्ट और स्क्रेप, चाहे वह लट्टों, ब्रिकेट, छर्छों या इसी तरह के रूपों में एकत्रित हो या न हो
295.	4404	घेरा; विभाजित डंडे; लकड़ी के ढेर, पिकेट और खूंटे, नुकीले किन्तु लंबाई में काटे नहीं गए; लकड़ी की छड़ें, मोटे तौर पर काटी गई किन्तु मुड़ी हुई, मुड़ी हुई या अन्यथा काम की हुई नहीं, चलने वाली छड़ियों, छातों, औजारों के हैंडल या इसी तरह के निर्माण के लिए उपयुक्त
296.	4405	लकड़ी का ऊन; लकड़ी का आटा
297.	4406	लकड़ी के रेलवे या ट्रामवे स्लीपर (क्रॉस-टाई)
298.	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छिली हुई, समतल की गई, रेत से भरी हुई, जोड़ की गई या अंत में जोड़ी गई, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [मैच स्प्लिंट्स के लिए]
299.	4409	बांस का फर्श
300.	4415	लकड़ी के पैकिंग केस, बक्से, क्रेट, ड्रम और इसी तरह की पैकिंग; लकड़ी के केबल ड्रम; लकड़ी के पैलेट, बॉक्स पैलेट और अन्य लोड बोर्ड; लकड़ी के पैलेट कॉलर
301.	4416	लकड़ी से बने पीपे, बैरल, वॉट, टब और अन्य कूपर उत्पाद और उनके हिस्से, जिनमें डंडे भी शामिल हैं
302.	4417	लकड़ी के औजार, औजार के ढांचे, औजार के हैंडल, झाड़ू या ब्रश के ढांचे और हैंडल; लकड़ी के बूट या जूते के टाँके और पेड़,

303.	4418	बांस की लकड़ी की जुड़ाई इमारत
304.	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर
305.	4420	लकड़ी की मार्बेटी और जड़ाऊ लकड़ी; आभूषण या कटलरी के लिए संदूक और केस, तथा लकड़ी की इसी प्रकार की वस्तुएं; लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण; फर्नीचर की लकड़ी की वस्तुएं जो अध्याय 94 में नहीं आती हैं
306.	4421	लकड़ी की अन्य वस्तुएं; जैसे कपड़े टांगने वाले हैंगर, स्पूल, कॉप, बॉबिन, सिलाई धागे की रील और विभिन्न कपड़ा मशीनरी के लिए लकड़ी की तरह, माचिस की पेंसिल की पट्टियाँ, लकड़ी के हिस्से, जैसे जहाज, नाव और इसी तरह की अन्य तैरती संरचनाओं के लिए चप्पू, पैडल और पतवार, टेबलवेयर और रसोई के माल के रूप में उपयोग की जाने वाली घरेलू सजावटी वस्तुओं के हिस्से [लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी की वस्तुएं जो अन्यत्र शामिल या विनिर्दिष्ट नहीं हैं, टेबलवेयर और रसोई के माल के रूप में उपयोग की जाने वाली घरेलू सजावटी वस्तुओं के हिस्से से भिन्न]
307.	4501	प्राकृतिक कॉर्क, कच्चा या बस तैयार
308.	4502 00 00	प्राकृतिक कॉर्क, पीठ रहित या मोटे तौर पर वर्गाकार, या आयताकार (वर्ग सहित) ब्लॉक, प्लेट, शीट या पट्टी (कॉर्क या स्टॉपर के लिए तेज धार वाले रिक्त स्थान सहित)
309.	4503	प्राकृतिक कॉर्क से बनी वस्तुएं जैसे कॉर्क और स्टॉपर, शटलकॉक कॉर्क बॉटम
310.	4504	एकत्रित कॉर्क (बंधन पदार्थ के साथ या उसके बिना) और एकत्रित कॉर्क की वस्तुएं
311.	4601, 4602	पुआल, एस्पार्टो या अन्य बुनाई सामग्री का निर्माण; टोकरी के बर्तन और विकर का काम
312.	4701	यांत्रिक लकड़ी का गूदा
313.	4703	रासायनिक लकड़ी का गूदा, सोडा या सल्फेट, <घुलनशील ग्रेड से भिन्न>
314.	4704	रासायनिक लकड़ी लुगदी, सल्फाइट, <से भिन्न> घुलने वाले ग्रेड
315.	4705	यांत्रिक और रासायनिक लुगदी प्रक्रियाओं के संयोजन से प्राप्त लकड़ी का गूदा
316.	4706	पुनर्प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड या अन्य रेशेदार सेल्युलॉसिक सामग्री से प्राप्त फाइबर के गूदे
317.	4707	कागज या पेपरबोर्ड का बरामद कचरा या स्क्रेप
318.	48	माचिस की तीलियों के लिए कागज की पट्टियाँ, मोम लगी हुई हों या नहीं, डामर की छत की चादरें
319.	39, 48	कागज के बोरे/बैग और जैव-अपघटनीय बैग
320.	4801	अखबारी कागज, रोल या शीट में
321.	4817 30	कागज या पेपरबोर्ड से बने बक्से, थैलियाँ, बटुए और लेखन संग्रह, जिनमें विभिन्न प्रकार की कागज की स्टेशनरी होती है
322.	4819 10, 4819 20	कार्टन, बक्से और केस, — नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड
323.	4823	कागज की लुगदी से बनी ट्रे; पतंगें, कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं
324.	4901	ब्रोशर, पत्रक और इसी तरह की मुद्रित सामग्री, चाहे एकल शीट में हो या नहीं
325.	5004 से 5006	रेशमी धागा
326.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
327.	5104	ऊन या महीन या मोटे जानवरों के बालों का गार्नेटेड स्टॉक, घटिया ऊन
328.	5105	ऊन और महीन या मोटे जानवरों के बाल, कंघे हुए या कंघी किए हुए
329.	5106 से 5110	ऊन या जानवरों के बालों का धागा
330.	5111 से 5113	ऊन या जानवरों के बालों से बुने हुए कपड़े
331.	5201 से 5203	कपास और कपास अपशिष्ट
332.	5204	सूती सिलाई धागा, <चाहे हो या न हो> खुदरा बिक्री के लिए रखा गया

333.	5205 से 5207	सूती धागा [खादी धागे से भिन्न]
334.	5208 से 5212	सूती बुने हुए कपड़े
335.	5301	सभी माल अर्थात् सन, कच्चा या प्रसंस्कृत किन्तु कताई नहीं; सन टो और अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
336.	5302	असली भांग (कैनाबिस सैटिवा एल), कच्ची या प्रसंस्कृत, किन्तु काती हुई नहीं; असली भांग का टो और अपशिष्ट (धागे के अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
337.	5303	सभी माल अर्थात् कपड़ा बास्ट फाइबर [जूट फाइबर से भिन्न, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु काते हुए नहीं]; इन फाइबर का टो और अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
338.	5305 से 5308	सभी माल [नारियल कॉयर फाइबर से भिन्न] जिसमें सन, जूट, अन्य कपड़ा बास्ट फाइबर, अन्य वनस्पति कपड़ा फाइबर का धागा भी शामिल है; कागज का धागा जिसमें कॉयर पिथ कम्पोस्ट शामिल है, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
339.	5309 से 5311	अन्य वनस्पति वस्त्र रेशों, कागज के धागों से बुने हुए कपड़े
340.	5401	मानव निर्मित तंतुओं का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित सभी माल
342.	5407, 5408	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से बुने हुए कपड़े
343.	5501, 5502	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट टो
344.	5503, 5504, 5506, 5507	सिंथेटिक या कृत्रिम स्टेपल फाइबर
345.	5505	मानव निर्मित रेशों का अपशिष्ट
346.	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर से बने सिलाई धागे, खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध चाहे वह हो या न हो
347.	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का धागा
348.	5512 से 5516	मानव निर्मित स्टेपल रेशों से बुने हुए कपड़े
349.	5601	कपड़ा सामग्री और उससे बनी वस्तुओं की गद्दी; जैसे सिगरेट फिल्टर रॉड को छोड़कर अवशोषक रूई
350.	5602	फेल्ड, चाहे संसेचित, लेपित, ढका हुआ या लेमिनेटेड हो या नहीं
351.	5603	गैर-बुने हुए कपड़े, चाहे वे गर्भवती, लेपित, ढके हुए या लेमिनेटेड हों या नहीं
352.	5604	रबर धागा और डोरी, वस्त्र से आच्छादित; वस्त्र सूत, पट्टी और शीर्ष 5404 या 5405 के समान, रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित
353.	5605	धातुकृत सूत, चाहे वह जिम्ड हो या न हो, कपड़ा सूत, पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से आच्छादित, जिसमें असली जरी धागा (सोना) और चांदी का धागा भी शामिल है, कपड़ा धागे, नकली जरी धागा या सूत के साथ संयुक्त किया गया है, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है
354.	5606	शीर्ष 5404 या 5405 के जिम्ड यार्न, स्ट्रिप और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद, जिम्ड (शीर्ष 5605 और जिम्ड हॉर्सहेयर यार्न के <से भिन्न>); शनील यार्न (पलॉक शनील यार्न <सहित>); लूप वेल-यार्न
355.	5607	सुतली, डोरी, रस्सियाँ और केबल, <चाहे गूँथी हुई हों या नहीं> और <चाहे रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित हों या नहीं> जिसमें जूट की सुतली, नारियल की रस्सी या रस्सियाँ भी शामिल हैं
356.	5608	सुतली, डोरी या रस्सी से बने गाँठदार जाल; मछली पकड़ने के जाल और कपड़े से बने अन्य जाल
357.	5609	शीर्ष 5404 या 5405 के अधीन आने वाले सूत, पट्टी या इसी प्रकार की वस्तुएं, सुतली, डोरी, रस्सी या केबल, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, नारियल के उत्पाद

358.	5701	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गॉठदार, <चाहे या नहीं> निर्मित
359.	5702	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, बुने हुए, गुच्छेदार या गुच्छेदार नहीं, <चाहे बनाए गए हों या नहीं>, <जिनमें> "केलेम", "शूमाक्स", "करमानी" और इसी तरह के हाथ से बुने हुए गलीचे भी शामिल हैं
360.	5703	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), टपटेड, चाहे निर्मित हो या नहीं
361.	5704	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, फेल्ड से बने, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, <चाहे बने हों या नहीं>
362.	5705	अन्य कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, चाहे निर्मित हों या नहीं; जैसे मैट और मैटिंग, जिनमें बाथ मैट भी शामिल हैं, जिनमें वजन के हिसाब से कपास की प्रधानता होती है, हथकरघा से बने, हथकरघा से बने सूती गलीचे
363.	5702, 5703, 5705	नारियल की जूट की चटाई, चटाई, फर्श कवरिंग और हथकरघा दरी
364.	5801	सभी माल
365.	5802	टेरी टॉवेलिंग और इसी प्रकार के बुने हुए टेरी कपड़े, शीर्ष 5806 के संकीर्ण कपड़ों से भिन्न; गुच्छेदार कपड़ा कपड़े, शीर्ष 5703 के उत्पादों से भिन्न
366.	5803	गौज़, शीर्ष 5806 के संकीर्ण कपड़ों से भिन्न
367.	5804	ट्यूल और अन्य नेट कपड़े, जिनमें बुने हुए, बुने हुए या क्रोशिए वाले कपड़े शामिल नहीं हैं; टुकड़े में, पट्टियों में या रूपांकनों में लेस, शीर्ष 6002 से 6006 तक के कपड़ों से भिन्न
368.	5805	गोबेलिन, प्लैंडर्स, ऑब्यूसन, ब्यूवैस और इसी तरह के हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री, और सुई से काम किए गए टेपेस्ट्री (उदाहरण के लिए, पेटिट पॉइंट, क्रॉस स्टिच), <चाहे बने हों या नहीं>
369.	5806	संकीर्ण बुने हुए कपड़े, शीर्ष 5807 के माल से भिन्न; संकीर्ण कपड़े जिसमें बिना बाने के ताना होता है और जिसे चिपकने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) के माध्यम से जोड़ा जाता है।
370.	5807	लेबल, बैज और वस्त्र सामग्री के समान वस्तुएं, टुकड़े में, पट्टियों में या आकार या आकृति में काटी हुई, कढ़ाई न की हुई
371.	5808	टुकड़ों में चोटियाँ; कढ़ाई के बिना अलंकारिक सजावट, बुने हुए या क्रोशिए से बने हुए से भिन्न; लटकन, पोम्पोन और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; साड़ी का फाल
372.	5809	शीर्ष 5605 के धातु धागे से बुने हुए कपड़े और धातुकृत सूत से बुने हुए कपड़े, जो परिधान, फर्निशिंग कपड़े या इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; जैसे जरी बॉर्डर
373.	5809, 5810	कढ़ाई या जरी की वस्तुएं, अर्थात् इमी, जरी, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नकसी, कोरा, कांच के मोती, बदला, गिज़ई
374.	5810	कढ़ाई, पट्टियों या रूपांकनों में, कढ़ाई वाले बैज, रूपांकन और इसी तरह की अन्य वस्तुएं
375.	5811	टुकड़े में रजाईदार कपड़ा उत्पाद, जो सिलाई या अन्यथा पैडिंग के साथ इकट्ठे किए गए कपड़ा सामग्री की एक या अधिक परतों से बना है, शीर्ष 5810 की कढ़ाई से भिन्न
376.	5901	गोंद या एमाइलेसियस पदार्थों से लेपित वस्त्र, जिनका उपयोग पुस्तकों या इसी प्रकार की वस्तुओं के बाहरी आवरणों के लिए किया जाता है; अनुरेखण कपड़ा; तैयार चित्रकारी कैनवास; बकरम और इसी प्रकार के कठोर वस्त्र, जिनका उपयोग टोपी के आधार के लिए किया जाता है
377.	5902	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड, पॉलिएस्टर या विस्कोस रेयान के उच्च दृढ़ता वाले धागे से बना टायर कॉर्ड कपड़ा
378.	5903	प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेट किए गए वस्त्र कपड़े, शीर्ष 5902 के अधीन आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
379.	5904	लिनोलियम, <चाहे या नहीं> आकार में काटा गया; फर्श कवरिंग जिसमें कपड़े के आधार पर लगाया गया लेप या आवरण शामिल होता है, <चाहे या नहीं> आकार में काटा गया

380.	5905	कपड़ा दीवार कवरिंग
381.	5906	रबरयुक्त वस्त्र वस्त्र, शीर्ष 5902 के अधीन आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
382.	5907	वस्त्र फेबरिक जो अन्यथा संसेचित, लेपित या ढके हुए हों; चित्रित कैनवास जो नाट्य दृश्य हों, स्टूडियो बैक-क्लॉथ या इसी प्रकार के अन्य वस्त्र
383.	5908	लैंप, स्टोव, लाइटर, मोमबत्तियाँ या इसी तरह के अन्य माल के लिए बुनी हुई, गुंथी हुई या बुनी हुई कपड़ा बत्तियाँ; तापदीप्त गैस मेंटल और उसके लिए ट्यूबलर बुना हुआ गैस मेंटल कपड़ा, चाहे संसेचित हो या नहीं
384.	5909	कपड़ा नली पाइपिंग और इसी तरह की कपड़ा ट्यूबिंग, अस्तर, कवच या अन्य सामग्रियों के सहायक उपकरण के साथ या बिना
385.	5910	कपड़ा सामग्री से बने ट्रांसमिशन या कन्वेयर बेल्ट या बेल्टिंग, चाहे प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लैमिनेटेड हो या धातु या अन्य सामग्री से प्रबलित हो
386.	5911	तकनीकी उपयोगों के लिए वस्त्र उत्पाद और वस्तुएं, जो इस अध्याय के (टिप्पण) 7 में विनिर्दिष्ट हैं, जैसे वस्त्र कपड़े, फेल्ड और फेल्ड-लाइन वाले बुने हुए कपड़े, रबर, चमड़े या अन्य सामग्री से लेपित, ढके या लेमिनेट किए हुए, कार्ड क्लॉथिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के, और इसी प्रकार के अन्य तकनीकी प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े, जिसमें बुनाई तकुओं (बुनाई बीम) को ढंकने के लिए रबर में संसेचित मखमल से बने संकीर्ण कपड़े शामिल हैं; बोल्टिंग कपड़ा, (चाहे बना हो या नहीं); सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेल्ड, बुना हुआ; बुने हुए वस्त्र फेल्ड, (चाहे संसेचित या लेपित हों या नहीं, एक प्रकार के जो मालयतः अन्य मशीनों में उपयोग किए जाते हैं; सूती कपड़े और मशीनरी और संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले माल; जूट कपड़े और मशीनरी या संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले माल; धातुकृत धागे के वस्त्र कपड़े एक प्रकार के जो मालयतः कागज बनाने या अन्य मशीनरी में उपयोग किए जाते हैं; तेल प्रेस या इसी तरह के अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का छनाई कपड़ा, जिसमें मानव बाल भी शामिल हैं; कागज बनाने वाले का बुना हुआ कपड़ा; गार्सकेट, वॉशर, पॉलिशिंग डिस्क और कपड़ा वस्तुओं के अन्य मशीनरी भाग
387.	60	बुने हुए या क्रोशिए किए हुए कपड़े [सभी माल]
388.	61	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, बुने हुए या क्रोशिए से बने, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
389.	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हों, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
390.	63 [6305 32 00, 6305 33 00, 6309 से भिन्न]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, सेट, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
391.	6309 या 6310	फटे हुए कपड़े और अन्य फटी हुई वस्तुएं; चिथड़े
392.	64	2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक मूल्य के जूते
393.	6501	कपड़ा टोपियां
394.	6505	टोपियाँ (बुनी हुई/क्रोशित) या फीते या अन्य वस्त्रों से बनी हुई
395.	6601	छाते और धूप छाते (जिसमें वॉकिंग-स्टिक छाते, गार्डन छाते और इसी तरह के छाते शामिल हैं)
396.	6602	चाबुक, राइडिंग-क्रॉप और इसी तरह की वस्तुएं
397.	6602 00 00	चलने की छड़ें (सहित) सीट स्टिक
398.	6603	शीर्ष 6601 या 6602 की वस्तुओं के पुर्जे, सजावट और सहायक उपकरण
399.	6701	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख, पंखों के भाग, नीचे और उनकी वस्तुएं (शीर्ष 0505 के माल और तैयार क्विल और स्केप्स से भिन्न)

400.	68	रेत-चूने की ईंटें या पत्थर जड़ाई का काम
401.	6802	मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, कुर्सी, ऊँची या नीची उभरी हुई आकृतियाँ, क्रॉस, पशुओं की आकृतियाँ, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते, आदि; अन्य सजावटी सामान जो मूलतः पत्थर के बने हों
402.	6909	चीनी मिट्टी के बर्तन, जार और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ जो चीनी मिट्टी के सामान के परिवहन और पैकिंग के लिए उपयोग की जाती हैं
403.	6911	चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान
404.	6912	टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान, चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तनों के अलावा
405.	6913	मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तुएँ
406.	7001	कलेट या अन्य अपशिष्ट या कांच का टुकड़ा
407.	7015 10	सुधारात्मक चश्मे और चकमक बटन के लिए चश्मा
408.	7018	कांच के मोती
409.	7020	लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी
410.	7310 या 7326	गणितीय बक्से, ज्यामिति बक्से और रंग बक्से
411.	7310, 7323, 7612, या 7615	लोहे, स्टील या एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बे
412.	7317	जानवरों के जूतों के नाखून
413.	7319	सिलाई की सूइयाँ
414.	7321	केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लोहे या स्टील के लकड़ी जलाने वाले स्टोव
415.	7321 या 8516	सौर कुकर
416.	7323	लोहे और स्टील से बनी मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
417.	7418	तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
418.	7419 80 30	पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव
419.	7615	एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
420.	8306	आधार धातु से बनी घंटियाँ, घड़ियाल और इसी तरह की गैर-विद्युतीय वस्तुएँ; आधार धातु से बनी मूर्तियाँ और अन्य आभूषण; आधार धातु से बनी तस्वीर, फोटो या इसी तरह के फ्रेम; आधार धातु से बने दर्पण; धातु से बने बर्तन
421.	8401	परमाणु रिएक्टरों के लिए गैर-विकिरणित ईंधन तत्व (कारतूस)
422.	8407 10 00, 8411	विमान के इंजन
423.	8408	15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन
424.	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाला कृषि डीजल इंजन
425.	8413, 8413 91	हैंडपंप और उसके पुर्जे
426.	8413 81 90	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप
427.	8414 20 20	अन्य हैंडपंप
428.	8419 12	सौर जल हीटर और प्रणाली
429.	8420	हाथ से संचालित रबर रोलर
430.	8424	ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रिंकलर के लिए नोजल
431.	8424	स्प्रिंकलर; ड्रिप सिंचाई प्रणाली जिसमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर
432.	8432	मिट्टी की तैयारी या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी; लॉन या खेल-मैदान रोलर्स; पादर्स [8432 90]

433.	8433	कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास काटने की मशीन, उसके भाग शामिल हैं
434.	8436	अन्य कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गीपालन या मधुमक्खीपालन मशीनरी, जिसमें यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित अंकुरण संयंत्र, मुर्गीपालन इनक्यूबेटर और ब्रूडर, उसके भाग भी शामिल हैं।
435.	8452	सिलाई मशीनें, <पुस्तक से भिन्न> – शीर्ष 8440 की सिलाई मशीन; सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर, आधार और कवर; सिलाई मशीनें, सुइयां और सिलाई मशीनों के पुर्जे
436.	8479	खाद बनाने वाली मशीनें
437.	84, 85 या 94	निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके निर्माण हेतु पुर्जे:— (क) बायोगैस संयंत्र; (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण; (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर; (घ) पवन चक्कियाँ, पवन चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी); (ङ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/उपकरण; (च) सौर लालटेन/सौर लैंप; (छ) समुद्री तरंग/ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपकरण/संयंत्र; (ज) फोटो वोल्टेइक सेल, चाहे मॉड्यूल में संयोजित या पैनल में निर्मित < हों या नही> <व्याख्या>:- यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल का प्रदाय, किसी प्रदायकर्ता द्वारा, अन्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाय के साथ की जाती है, जिनमें हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एस.टी.-2, दिनांक 30 जून, 2017 में वर्णित तालिका की क्रम संख्या 38 में विनिर्दिष्ट एक करयोग्य सेवा है, इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए माल के प्रदाय का मूल्य ऐसे सभी प्रदायों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल का सत्तर प्रतिशत माना जाएगा और प्रभारित सकल प्रतिफल का शेष तीस प्रतिशत उक्त करयोग्य सेवा का मूल्य माना जाएगा।
438.	8504	विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन
439.	8525 60	रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किया जाने वाला दो-तरफा रेडियो (वॉकी-टॉकी)।
440.	87	ईंधन सेल मोटर वाहन, जिसमें ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन वाहन भी शामिल हैं
441.	87	विद्युत चालित वाहन, जिनमें दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। व्याख्या: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" से अभिप्राय है, ऐसे वाहन, जो पूरी तरह से बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे सड़क वाहनों में लगे एक या एक से अधिक विद्युत बैटरियों से चलते हैं और इसमें ई-साइकिल भी शामिल हैं।
442.	8701	ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर)
443.	8708	ट्रैक्टर के निम्नलिखित भाग: (क) ट्रैक्टर का पिछला पहिया रिम, (ख) ट्रैक्टर का केंद्र आवास, (ग) ट्रैक्टर आवास ट्रांसमिशन, (घ) ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल
444.	8708 10 10	ट्रैक्टरों के लिए बंपर और उनके पुर्जे
445.	8708 30 00	ट्रैक्टरों के लिए ब्रेक असेंबली और उसके पुर्जे
446.	8708 40 00	ट्रैक्टरों के लिए गियर बॉक्स और उसके पुर्जे
447.	8708 50 00	ट्रैक्टरों के लिए ट्रांसएक्सल और उसके पुर्जे
448.	8708 70 00	ट्रैक्टरों के लिए सड़क के पहिये और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण

449.	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर और उसके भागों के लिए रेडिएटर असेंबली (ii) ट्रैक्टर इंजन और उसके भागों के लिए शीतलन प्रणाली
450.	8708 92 00	ट्रैक्टर और उसके पुर्जों के लिए साइलेंसर असेंबली
451.	8708 93 00	ट्रैक्टरों के लिए क्लच असेंबली और उसके पुर्जे
452.	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्टीयरिंग व्हील और उसके पुर्जे
453.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक और उसके पुर्जे
454.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए फेंडर, हुड, रैपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उसके पुर्जे
455.	8710	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, मोटर चालित, हथियारों से सुसज्जित और ऐसे वाहनों के पुर्जे
456.	8712	साइकिलें और अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल सहित), मोटर चालित नहीं
457.	8713	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियाँ, चाहे मोटर चालित हों या नहीं या अन्यथा यंत्र चालित हों
458.	8714	साइकिलों और अन्य साइकिलों (डिलीवरी ट्राइसाइकिलों सहित) के पुर्जे और सहायक उपकरण, जो मोटर चालित नहीं हैं, शीर्ष 8712 के अधीन आते हैं
459.	8714 20	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के पुर्जे और सहायक उपकरण
460.	8716 20 00	कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रेलर
461.	8716 80	हाथ से चलने वाले वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन
462.	88 या कोई अन्य अध्याय	प्रक्षेपण यान, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, तंत्र, उपकरण, सहायक उपकरण, पुर्जे, घटक, स्पेयर, उपकरण, मॉक अप और मॉड्यूल, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं
463.	8802	निजी उपयोग (से भिन्न) अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज),
464.	8806	मानवरहित विमान
465.	8807	शीर्ष 8802 या 8806 के माल के भाग
466.	8901	व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए क्रूज जहाज, भ्रमण नौकाएं, फेरी-बोट, मालवाहक जहाज, बजरे और इसी तरह के जहाज
467.	8902	मछली पकड़ने वाले जहाज; कारखाने के जहाज और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण या संरक्षण के लिए अन्य जहाज
468.	8904	टग और पुशर शिप
469.	8905	हल्के जहाज, अग्नि-तैरने वाले जहाज, ड्रेजर, तैरते हुए क्रेन और अन्य जहाज जिनकी नौगम्यता उनके मुख्य कार्य के अतिरिक्त है; तैरते हुए डॉक; तैरते हुए या निमज्जनीय ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफॉर्म
470.	8906	अन्य जहाज, जिनमें युद्धपोत और जीवनरक्षक नौकाएं शामिल हैं, नौकायन नौकाओं से भिन्न
471.	8907	अन्य तैरती संरचनाएं (उदाहरण के लिए, राफ्ट, टैंक, कॉफ़र-डैम, लैंडिंग-स्टेज, बॉय और बीकन)
472.	कोई भी अध्याय	शीर्ष 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907 के माल के पुर्जे
473.	90	हृदय कैथेटर के साथ उपयोग के लिए कोरोनरी स्टेंट और कोरोनरी स्टेंट सिस्टम
474.	90 या कोई अन्य अध्याय	कृत्रिम किडनी
475.	90 या कोई अन्य अध्याय	रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) और परीक्षण स्ट्रिप्स
476.	90 या कोई अन्य अध्याय	पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस / एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑक्लूजन डिवाइस

477.	90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित वस्तुओं के भाग, अर्थात्: — (i) बैसाखी; (ii) व्हीलचेयर; (iii) चलने के फ्रेम; (iv) ट्राइसाइकिल; (v) ब्रेलर; और (vi) कृत्रिम अंग
478.	90 या कोई अन्य अध्याय	इस अनुसूची की सूची 1 में निर्दिष्ट सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और विकलांगों के लिए अन्य सामान
479.	90 या 84	डिस्पोजेबल स्टरलाइज्ड डायलाइजर या कृत्रिम किडनी का माइक्रो बैरियर
480.	9001	कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मे के लेंस
481.	9003	चश्मे, गॉगल्स या इसी तरह की चीजों के लिए फ्रेम और माउंटिंग, और उनके हिस्से
482.	9004	चश्मे, सुधारात्मक (दृष्टि सुधारने के लिए चश्मे सहित)
483.	9018	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उपकरण, जिनमें वैज्ञानिक उपकरण, अन्य विद्युत-चिकित्सा उपकरण और दृष्टि-परीक्षण उपकरण भी शामिल हैं
484.	9019	यांत्रिक चिकित्सा उपकरण; मालिश उपकरण; मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण उपकरण; ओजोन चिकित्सा, ऑक्सीजन चिकित्सा, एरोसोल चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन उपकरण
485.	9020	अन्य श्वास उपकरण और गैस मास्क, सुरक्षात्मक मास्क को छोड़कर जिनमें न तो यांत्रिक भाग हों और न ही बदले जा सकने वाले फिल्टर हों
486.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रस; स्प्लिंट और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो पहने जाते हैं या ले जाए जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, किसी दोष या विकलांगता की भरपाई के लिए; इंट्राओकुलर लेंस [श्रवण सहायक उपकरण से भिन्न]
487.	9022	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के लिए एक्स-रे या अल्फा, बीटा या गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण, जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सीयां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।
488.	9025	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर
489.	9027	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरण और तंत्र, भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए
490.	9403	पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर
491.	9404	नारियल के रेशे से बने उत्पाद (नारियल के गद्दों को छोड़कर)
492.	9404	पूर्णतः रजाईदार वस्त्र सामग्री से बने उत्पाद, जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति नग से अधिक नहीं होगी
493.	9404	2500 रुपये प्रति नग से अधिक मूल्य की सूती रजाइयां
494.	9401 10 00	विमान की सीटें
495.	9405	हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप / प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी और उसके हिस्से
496.	9503	प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने गुब्बारे
497.	9503	खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से भिन्न]
498.	9504	ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम, जैसे लूडो, आदि (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों से भिन्न)
499.	9506	मालय शारीरिक व्यायाम के लिए खेल सामग्री और उपकरणों से भिन्न
500.	9507	मछली पकड़ने के कांटे
501.	9507	मछली पकड़ने की छड़ें, और अन्य मछली पकड़ने की लाइन; मछली पकड़ने के जाल, तितली जाल और इसी तरह के जाल; फँसाने वाले पक्षी (शीर्ष 9208 या 9705 से भिन्न) और इसी तरह के शिकार या शूटिंग की आवश्यकताएं

502.	9601	हाथी दांत, हड्डी, कछुए के खोल, सींग, सींग, मूंगा, मोती और अन्य पशु नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मूंगा से बनी वस्तुएं (ढलाई द्वारा प्राप्त वस्तुएं सहित)
503.	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	झाड़ू (झाड़ू से भिन्न जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री से बनी होती हैं, हैंडल के साथ या बिना हैंडल के)
504.	9603 21 00	दूधब्रश (सहित) डेंटल-प्लेट ब्रश
505.	9607	स्लाइड फास्टरों और उसके भागों
506.	9615	कंधे, हेयर-स्लाइड और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर-कर्लर और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, शीर्ष 8516 के अधीन आने वाली वस्तुओं को छोड़कर और उनके भाग
507.	9619 00 30, 9619 00 40, या 9619 00 90	सभी माल
508.	9701	शीर्ष 4906 के चित्रों को छोड़कर तथा हाथ से चित्रित या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, पूर्णतः हाथ से बनाई गई पेंटिंग, रेखाचित्र और पेस्टल; कोलाज, मोजाइक और इसी प्रकार की सजावटी पट्टिकाएँ
509.	9702	मूल उत्कीर्णन, प्रिंट और लिथोग्राफ
510.	9703	किसी भी सामग्री में मूल मूर्तियाँ और प्रतिमा
511.	9704	डाक या राजस्व टिकट, स्टाम्प-पोस्टमार्क, प्रथम दिवस कवर, डाक स्टेशनरी (स्टाम्प पेपर), और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, प्रयुक्त या अप्रयुक्त, शीर्ष 4907 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर
512.	9705	प्राणिविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान, शारीरिक रचना, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जीवाश्म विज्ञान, नृवंशविज्ञान या मुद्राशास्त्रीय रुचि के संग्रह और संग्राहकों के टुकड़े, जिनमें मुद्राशास्त्रीय सिक्के भी शामिल हैं
513.	9706	एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएँ
514.	9804	सभी औषधियाँ या औषधियाँ (सहित) उनके लवण और एस्टर और नैदानिक परीक्षण किट और फॉर्मूलेशन जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं [उनसे भिन्न] जो हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/जीएसटी, दिनांक 17 सितंबर, 2025 में शून्य पर निर्दिष्ट है]
515.	कोई भी अध्याय	माला, प्रार्थना की माला या हवन सामग्री
516.	कोई भी अध्याय	बायोमास ब्रिकेट या ठोस जैव ईंधन छर्रे

सूची 1 [देखिए अनुसूची I की क्रम संख्या 478]

(क)	(1)	ब्रेल लेखक और ब्रेल लेखन उपकरण
	(2)	हस्तलेखन उपकरण ब्रेल फ्रेम, स्लेट, लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्क्रिप्ट लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्टाइलस, ब्रेल इरेज़र
	(3)	छड़ियाँ, सोनिक गाइड जैसी इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री
	(4)	ऑप्टिकल, पर्यावरणीय संसर
	(5)	टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित प्रकार), क्यूबरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैलकुलेटर जैसे अंकगणितीय सहायक उपकरण
	(6)	संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर, तराजू, कंपास और स्पायर व्हील जैसे ज्यामितीय सहायक उपकरण
	(7)	इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण, जैसे कैलिपर, माइक्रोमीटर, तुलनित्र, गेज, गेज ब्लॉक, लेवल, रूलर, रूलर और यार्डस्टिक
	(8)	ड्राफ्टिंग, ड्राईंग सहायक सामग्री, स्पर्शनीय प्रदर्शन
	(9)	विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और घड़ियाँ
(ख)	(1)	प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्या 87.13 के अधीन आने वाली व्हीलचेयर
	(2)	विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट
(ग)		कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र और उसके पुर्जे
(घ)		कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कान (कोक्लियर इम्प्लांट)

(ड)	(1)	बोलने वाली पुस्तकें (कैसेट, डिस्क या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, ब्रेल एम्बॉसर, बोलने वाले कैलकुलेटर, बोलने वाले थर्मामीटर
	(2)	ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के लिए उपकरण जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीन और स्टीरियो टाइपिंग मशीन
	(3)	ब्रेल पेपर
	(4)	सभी मूर्त उपकरण जिसमें शामिल वस्तुएं, यंत्र, उपकरण, विशेष रूप से दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई हैं
	(5)	दृष्टिहीनों की गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास और बाधा पहचान उपकरण और सफेद छड़ियां
	(6)	दृष्टिहीनों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायताएँ जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियाँ, शिक्षण और सीखने के सहायक उपकरण, खेल और अन्य उपकरण तथा दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित व्यावसायिक सहायताएँ
	(7)	सहायक श्रवण उपकरण, ऑडियोमीटर
	(8)	बाहरी कैथेटर, बिस्तर के घावों को रोकने के लिए विशेष जेली कुशन, सीढ़ी लिफ्ट, मूत्र संग्रह बैग
	(9)	गंभीर रूप से शारीरिक रूप से विकलांग रोगियों के लिए उपकरण और प्रत्यारोपण तथा जोड़ों के प्रतिस्थापन और रीढ़ की हड्डी के उपकरण और प्रत्यारोपण जिसमें शामिल हड्डी सीमेंट।

अनुसूची II - 9%

क्रम संख्या	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ-मद	माल का विवरण
1.	1702	कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिलाया गया हो या नहीं
2.	2207	किसी भी क्षमता के विकृत एथिल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट [मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को प्रदाय किए गए एथिल अल्कोहल से भिन्न]
3.	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट
4.	2209	एसिटिक एसिड से प्राप्त सिरका और सिरका के विकल्प
5.	2404 12 00	निकोटीन युक्त उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए है
6.	24049100, 24049200, 24049900	मौखिक उपयोग या त्वचा के पार उपयोग के लिए या मौखिक या त्वचा के पार उपयोग से भिन्न अन्य उपयोग के लिए उत्पाद, जिनमें निकोटीन होता है और जो तंबाकू के उपयोग को बंद करने में सहायता करने हेतु आशयित हैं
7.	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रैवर्टीन, ब्लॉकों से भिन्न
8.	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉकों से भिन्न
9.	2523	पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट, चाहे रंगीन हों या विलकर के रूप में हों
10.	2601	लौह अयस्क और सांद्र, जिनमें भुना हुआ लौह पाइराइट भी शामिल हैं
11.	2602	मैंगनीज अयस्क और सांद्र, जिनमें लौहयुक्त मैंगनीज अयस्क और सांद्र शामिल हैं, जिनमें 20% या उससे अधिक मैंगनीज सामग्री होती है, जिनकी गणना शुष्क भार के आधार पर की जाती है।
12.	2603	ताँबा के अयस्क और सांद्र
13.	2604	निकल अयस्क और सांद्र
14.	2605	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र
15.	2606	एल्युमीनियम अयस्क और सांद्र
16.	2607	सीसा अयस्क और सांद्र
17.	2608	जिंक अयस्क और सांद्र

18.	2609	टिन अयस्क और सांद्र
19.	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र
20.	2619	स्लैग, कचरा (दानेदार स्लैग से भिन्न), स्केलिंग और लोहे या इस्पात के निर्माण से उत्पन्न अन्य अपशिष्ट, लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग से भिन्न
21.	2620	धातु, आर्सेनिक या उनके यौगिकों से युक्त स्लैग, राख और अवशेष (लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त अवशेषों को छोड़कर)
22.	2621	अन्य लावा और राख, जिसमें समुद्री शैवाल राख (केल्प) शामिल हैं; नगरपालिका अपशिष्ट के दहन से राख और अवशेष [फ्लाई ऐश से भिन्न]
23.	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट, अंडाकार और इसी प्रकार के ठोस ईंधन
24.	2702	लिग्नाइट, <चाहे या नहीं> समूहित, <जेट को छोड़कर>
25.	2703	पीट (पीट कूड़े सहित), चाहे एकत्रित हो या नहीं
26.	2706	कोयले, लिग्नाइट या पीट और अन्य खनिज तार से आसुत तार, चाहे निर्जलित हो या आंशिक रूप से आसुत, पुनर्गठित तार सहित
27.	2707	उच्च तापमान कोल तार के आसवन से प्राप्त तेल और अन्य उत्पाद; समान उत्पाद जिनमें सुगंधित घटकों का भार गैर-सुगंधित घटकों से अधिक होता है, जैसे बेंज़ोल (बेंजीन), टोल्यूओल (टोल्यूईन), जाइलोल (जाइलीन), नेफथलीन
28.	2708	पिच और पिच कोक, कोयला तार या अन्य खनिज तार से प्राप्त
29.	2710	पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चे पेट्रोलियम से भिन्न; अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं की गई तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल तैयारियों के मूल घटक हैं; अपशिष्ट तेल; एवगैस (केरोसिन पीडीएस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ से भिन्न जो माल और सेवा कर में नहीं हैं)
30.	2711	पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और ब्यूटाडाइन [द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) से भिन्न, जो घरेलू उपभोक्ताओं को या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) के ग्राहकों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदाय के लिए हैं]
31.	2712	पेट्रोलियम जेली; पैराफिन मोम, माइक्रो-क्रिस्टलीय पेट्रोलियम मोम, स्लैक मोम, ओजोकेराइट, लिग्नाइट मोम, पीट मोम, अन्य खनिज मोम, और संश्लेषण या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त इसी तरह के उत्पाद, रंगीन हों या नहीं
32.	2713	पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम बिटुमेन और पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के अन्य अवशेष
33.	2714	बिटुमेन और डामर, प्राकृतिक; बिटुमिनस या तेल शेल और तार रेत; डामर और डामर चट्टानें
34.	2715	प्राकृतिक डामर, प्राकृतिक बिटुमेन, पेट्रोलियम बिटुमेन, खनिज तार या खनिज तार पिच (उदाहरण के लिए, बिटुमेन मैस्टिक्स, कट-बैक) पर आधारित बिटुमिनस मिश्रण
35.	28	सभी अकार्बनिक रसायन [हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/जीएसटी-2, दिनांक 17 सितंबर, 2025 या इस अधिसूचना की अन्य अनुसूचियों में निर्दिष्ट रसायनों से भिन्न]
36.	29	जिबरेलिक एसिड से भिन्न सभी कार्बनिक रसायन
37.	2906 11 90	प्राकृतिक मेन्थॉल से भिन्न अन्य माल
38.	29061190, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल से भिन्न अन्य से निर्मित निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिट (मेन्था तेल) ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ)

		घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ) ङ. स्पीयरमिट तेल च. मेन्था पिपेरिता तेल
39.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
40.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
41.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटाश उर्वरक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
42.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल, गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में, जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
43.	3201	वनस्पति मूल के टैनिंग अर्क; टैनिन और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न (वेटल अर्क, क्यूब्राचो अर्क, चेस्टनट अर्क से भिन्न)
44.	3202	सिंथेटिक कार्बनिक टैनिंग पदार्थ; अकार्बनिक टैनिंग पदार्थ; टैनिंग तैयारियाँ, चाहे उनमें प्राकृतिक टैनिंग पदार्थ हों या नहीं (टैनिंग-पूर्व के लिए एंजाइमेटिक तैयारियों से भिन्न)
45.	3203	वनस्पति या पशु मूल का रंग पदार्थ (रंगाई अर्क सहित, किन्तु पशु काला को छोड़कर), रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं; वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ के आधार पर इस अध्याय के टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट तैयारियाँ
46.	3204	सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं; सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ पर आधारित इस अध्याय के टिप्पण 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ; फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट या ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के सिंथेटिक कार्बनिक उत्पाद, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं
47.	3205	रंगीन झीलें; रंगीन झीलों के आधार पर इस अध्याय के <टिप्पण> 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ
48.	3206	अन्य रंग पदार्थ; इस अध्याय के <टिप्पण> 3 में विनिर्दिष्ट तैयारियाँ, शीर्ष 32.03, 32.04 या 32.05 के <से भिन्न>; एक प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जो ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं
49.	3207	तैयार वर्णक, तैयार अपारदर्शी और तैयार रंग, विट्रिफायबल एनामेल और ग्लेज़, एंगोब (स्लिप), द्रव्य चमक और इसी प्रकार की तैयारियाँ जो सिरैमिक, एनामेलिंग या काँच उद्योग में उपयोग की जाती हैं; काँच फ्रिट और अन्य काँच, पाउडर, कणिकाओं या गुच्छों के रूप में
50.	3208	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जो गैर-जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए हैं; इस अध्याय के टिप्पण 4 में परिभाषित समाधान
51.	3209	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए
52.	3210	अन्य पेंट और वार्निश (इनामेल, लैकर और डिस्टेंपर सहित); चमड़े की परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के तैयार जल वर्णक
53.	3211 00 00	तैयार ड्रायर
54.	3212	गैर-जलीय माध्यम में फैले हुए द्रव या पेस्ट के रूप में रंजक (धात्विक पाउडर और गुच्छे सहित), एक प्रकार के जो पेंट (इनामेल सहित) के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं; मुद्रांकन पन्नी; रंग और अन्य रंग पदार्थ जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखा जाता है।
55.	3213	कलाकारों, छात्रों या साइनबोर्ड चित्रकारों के रंग, संशोधित रंग, मनोरंजन रंग और इसी तरह की चीजें, टैबलेट, ट्यूब, जार, बोतल, पैन या इसी तरह के रूपों या पैकिंग में

56.	3214	ग्लेजियर्स पुट्टी, ग्राफिटिंग पुट्टी, रेजिन सीमेंट, कोल्किंग कम्पाउंड और अन्य मैस्टिक्स; पेंटर्स फिलिंग्स; अग्रभाग, आंतरिक दीवारों, फर्शों, छतों या इसी तरह के अन्य भागों के लिए गैर-दुर्लभ सतह तैयारियां
57.	3215	सभी माल, जिनमें मुद्रण स्याही, लेखन या चित्रकारी स्याही और अन्य स्याही शामिल हैं, चाहे वे सांद्रित हों या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही
58.	3301	आवश्यक तेल (टेरपीन रहित या नहीं), जिसमें कंक्रीट और एब्सोल्यूट शामिल हैं; रेजिनाइड; निकाले गए ओलियोरेसिन; वसा, स्थिर तेलों, मोम या इसी तरह के आवश्यक तेलों के सांद्र, जो एनफ्लूरेज या मैक्रेशन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं; आवश्यक तेलों के जलीय आसवन और जलीय घोल जैसे कि खट्टे फलों के आवश्यक तेल, खट्टे फलों के आवश्यक तेलों से भिन्न अन्य आवश्यक तेल जैसे कि नीलगिरी का तेल, आदि, सभी प्रकार के स्वाद सार (शराब के लिए शामिल), स्थिर तेल आधारों में सभी प्रकार के अंतर
59.	3302	गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण और इनमें से एक या अधिक पदार्थों के आधार पर मिश्रण (अल्कोहलिक घोल सहित), जिनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है; गंधयुक्त पदार्थों पर आधारित अन्य तैयारियां, जिनका उपयोग पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सिंथेटिक परफ्यूमरी यौगिक [प्राकृतिक मेन्थॉल और प्राकृतिक मेन्थॉल से बने माल, जैसे मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट (मेन्था ऑयल), फ्रैक्शनेटेड/डी-टरपेनेटेड मेन्था ऑयल (डीटीएमओ), डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल (डीएमओ), स्पीयरमिंट ऑयल, मेन्था पिपेरिता ऑयल]
60.	3303	इत्र और शौचालय का पानी
61.	3304	सौंदर्य या मेकअप की तैयारी और त्वचा की देखभाल के लिए तैयारी (औषधियों से भिन्न) जिसमें सनस्क्रीन या सन टैन की तैयारी शामिल है; मैनीक्योर या पेडीक्योर की तैयारी [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता, टैल्कम पाउडर और फेस पाउडर से भिन्न]
62.	3305	बालों पर बालों पर उपयोग के लिए तैयारियां [कोन में मेहंदी पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू से भिन्न]
63.	3306	मौखिक या दंत स्वच्छता के लिए तैयारियां, जिसमें व्यक्तिगत खुदरा पैकेज में डेन्चर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर भी शामिल हैं [दांतों के बीच सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट और धागे से भिन्न (डेंटल फ्लॉस)]
64.	3307	प्री-शेव, शेविंग या आपटर-शेव तैयारियां, व्यक्तिगत डिओडोरेंट, स्नान तैयारियां, डेपिलेटरी और अन्य सुगंधित पदार्थ, कॉस्मेटिक या शौचालय तैयारियां, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; तैयार रूम डिओडोराइज़र, चाहे सुगंधित हों या नहीं या जिनमें कीटाणुनाशक गुण हों [शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन और आपटरशेव लोशन से भिन्न]
65.	3307 41 00	गंधयुक्त तैयारी जो जलाने से संचालित होती है [अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, संभरानी से भिन्न]
66.	3401	साबुन; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में, साबुन युक्त हो या न हो [टॉयलेट साबुन से भिन्न, बार, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में]; त्वचा धोने के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां, तरल या क्रीम के रूप में और खुदरा बिक्री के लिए रखी गई, साबुन युक्त हो या न हो; कागज, वैडिंग, फेल्ड और नॉनवोवन, साबुन या डिटर्जेंट से संसंचित, लेपित या ढके हुए
67.	3402	कार्बनिक सतह-सक्रिय कारक (साबुन से भिन्न); सतह-सक्रिय तैयारियां, धुलाई तैयारियां (सहायक धुलाई तैयारियों सहित) और सफाई तैयारियां, चाहे साबुन युक्त हों या नहीं, शीर्ष 3401 से भिन्न [सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल से भिन्न]

68.	3403	स्नेहक तैयारियाँ (जिसमें कटिंग-ऑयल तैयारियाँ, बोल्ट या नट रिलीज़ तैयारियाँ, जंग-रोधी या संक्षारण-रोधी तैयारियाँ और स्नेहक पर आधारित मोल्ड रिलीज़ तैयारियाँ शामिल हैं) और कपड़ा सामग्री, चमड़ा, फरस्कन या अन्य सामग्रियों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली तैयारियाँ, किन्तु मूल घटकों के रूप में, पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के वजल के हिसाब से 70% या अधिक युक्त तैयारियों शामिल नहीं हैं।
69.	3404	कृत्रिम मोम और तैयार मोम
70.	3405	जूते, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पॉलिश और क्रीम, स्क्रबिंग पेस्ट और पाउडर और इसी तरह की तैयारियाँ (कागज, वैडिंग, फेल्ड, नॉनवोवन, सेलुलर प्लास्टिक या सेलुलर रबर के रूप में हों या न हो, ऐसी तैयारियों से संसेचित, लेपित या ढके हुए)। शीर्षक 3404 के मोम को छोड़कर
71.	3407	मॉडलिंग पेस्ट, जिनमें बच्चों के मनोरंजन के लिए रखे गए पेस्ट भी शामिल हैं; "डेंटल वैक्स" या "डेंटल इंप्रेशन कम्पाउंड" के रूप में जानी जाने वाली तैयारियाँ, जो खुदरा बिक्री के लिए सेट, पैकिंग में या प्लेटों, घोड़े की नाल के आकार, छड़ियों या इसी तरह के रूपों में उपलब्ध हैं; दंत चिकित्सा में उपयोग के लिए अन्य तैयारियाँ, प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट) के आधार के साथ
72.	3501	कैसीन, कैसीनेट और अन्य कैसीन व्युत्पन्न; कैसीन गोंद
73.	3502	एल्बुमिन (जिसमें दो या अधिक ढे प्रोटीन के सांद्र शामिल हैं, जिनमें शुष्क पदार्थ के आधार पर 80% से अधिक ढे प्रोटीन होते हैं), एल्बुमिनेट और अन्य एल्बुमिन व्युत्पन्न
74.	3504	पेप्टोन और उनके व्युत्पन्न; अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; छिपा हुआ पाउडर, क्रोमयुक्त हो या न हो; पृथक सोया प्रोटीन सहित
75.	3506	तैयार गोंद और अन्य तैयार चिपकाने वाले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त उत्पाद, गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए, जिनका शुद्ध भार एक किलोग्राम से अधिक न हो।
76.	3507	एंजाइम, तैयार एंजाइम
77.	3601	प्रणोदक पाउडर
78.	3602	तैयार विस्फोटक, प्रणोदक पाउडर से भिन्न, जैसे औद्योगिक विस्फोटक
79.	3603	सुरक्षा फ्यूज़; डेटोनेटिंग कॉर्ड; पर्व्यूशन या डेटोनेटिंग कैप; इग्नाइटर; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
80.	3604	आतिशबाजी, सिग्नलिंग फ्लेयर्स, वर्षा रॉकेट, कोहरे के संकेत और अन्य आतिशबाजी सामग्री
81.	3606	सभी रूपों में फेरो-सेरियम और अन्य पायरोफोरिक मिश्र धातुएँ; इस अध्याय के टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट दहनशील पदार्थों की वस्तुएँ; जैसे सिगरेट या इसी तरह के लाइटर को भरने या फिर से भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों में तरल या द्रवीकृत गैस ईंधन
82.	3701	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों से भिन्न किसी भी सामग्री के प्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म; प्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित, पैक में तत्काल प्रिंट फिल्म; जैसे तत्काल प्रिंट फिल्म, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म (चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे से भिन्न)
83.	3702	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों से भिन्न किसी भी सामग्री से बनी, संवेदनशील, अप्रकाशित, रोल में फोटोग्राफिक फिल्म; रोल में तत्काल प्रिंट फिल्म, संवेदनशील, अप्रकाशित
84.	3703	फोटोग्राफिक पेपर, पेपरबोर्ड और वस्त्र, संवेदनशील, अप्रकाशित
85.	3704	फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्म, कागज, पेपरबोर्ड और वस्त्र, उजागर किन्तु विकसित नहीं
86.	3706	सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, <चाहे या नहीं> जिसमें साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक हो
87.	3707	फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए रासायनिक तैयारियाँ (वार्निश, गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ और इसी प्रकार की तैयारियों से भिन्न); फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए अमिश्रित उत्पाद, मापित मात्रा में रखे गए या उपयोग के लिए तैयार रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए

88.	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट; कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट; पेस्ट, ब्लॉक, प्लेट या अन्य अर्ध-निर्मित सामग्री के रूप में ग्रेफाइट या अन्य कार्बन पर आधारित तैयारियाँ
89.	3802	सक्रिय कार्बन; सक्रिय प्राकृतिक खनिज उत्पाद; पशु काला, <सहित> व्यथित पशु काला
90.	3803 00 00	टॉल ऑयल, चाहे रिफाईंड हो या नहीं
91.	3804	लकड़ी की लुगदी के निर्माण से अवशिष्ट लाइ, चाहे सांद्रित, शर्करा रहित या रासायनिक रूप से उपचारित हो या न हो, जिसमें लिग्निन सल्फोनेट शामिल हैं, किन्तु शीर्ष 3803 के टॉल ऑयल को छोड़कर
92.	3805	गोंद, लकड़ी या सल्फेट तारपीन और अन्य टेरेपीनिक तेल जो शंकुधारी लकड़ी के आसवन या अन्य उपचार द्वारा उत्पादित होते हैं; अपरिष्कृत डिपेंटीन; सल्फाइट तारपीन और अन्य अपरिष्कृत पैरा-साइमीन; मुख्य घटक के रूप में अल्फा-टेरेपीनॉल युक्त चीड़ का तेल
93.	3806	राल और राल अम्ल, और उनके व्युत्पन्न; राल स्पिरिट और राल तेल; रन गम्स
94.	3807	लकड़ी का टार; लकड़ी का टार तेल; लकड़ी का क्रियोसोट; लकड़ी का नेपथा; वनस्पति पिच; ब्रुअर्स पिच और रोसिन, राल एसिड या वनस्पति पिच पर आधारित समान तैयारियाँ
95.	3808	कीटनाशक, कृतकनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक, अंकुरण रोधी उत्पाद और पौध-वृद्धि नियामक, कीटाणुनाशक और इसी प्रकार के उत्पाद [अनुसूची-1 की क्रम संख्या 260 के सामने उल्लिखित जैव-कीटनाशकों से भिन्न]
96.	3809	परिष्करण एजेंट, रंग वाहक, रंग पदार्थों और अन्य उत्पादों और तैयारियों (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग और रंगस्थापक) की रंगाई या स्थिरीकरण में तेजी लाने के लिए, एक प्रकार का कपड़ा, कागज, चमड़ा या इसी तरह के उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है
97.	3810	धातु की सतहों के लिए पिकलिंग तैयारियाँ; सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए फ्लक्स और अन्य सहायक तैयारियाँ; धातु और अन्य सामग्रियों से बने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग पाउडर और पेस्ट; वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या छड़ के लिए कोर या कोटिंग्स के रूप में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तैयारियाँ
98.	3811	खनिज तेलों (गैसोलीन सहित) या खनिज तेलों के समान प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य तरल पदार्थों के लिए, दस्तक-रोधी तैयारियाँ, ऑक्सीकरण अवरोधक, गोंद अवरोधक, श्यानता सुधारक, संक्षारण-रोधी तैयारियाँ और अन्य तैयार योजक
99.	3812	तैयार रबर त्वरक; रबर या प्लास्टिक के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; रबर या प्लास्टिक के लिए ऑक्सीकरण-रोधी तैयारियाँ और अन्य मिश्रित स्टेबलाइज़र जैसे रबर के लिए वल्केनाइजिंग एजेंट
100.	3813	अग्निशामक यंत्रों की तैयारी और प्रभार; आग बुझाने वाले ग्रेनेडों की तैयारी और प्रभार
101.	3814	कार्बनिक मिश्रित विलायक और पतले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; तैयार पेंट या वार्निश रिमूवर
102.	3815	प्रतिक्रिया आरंभक, प्रतिक्रिया त्वरक और उत्प्रेरक तैयारियाँ, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
103.	3816	दुर्दम्य सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट और इसी तरह की रचनाएं, शीर्ष 3801 के उत्पादों से भिन्न [डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण से भिन्न]
104.	3817	मिश्रित एल्काइलबेन्जीन और मिश्रित एल्काइलनेफथलीन, शीर्ष 2707 या 2902 से भिन्न
105.	3818	इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डिस्क, वेफर्स या समान रूपों में डोप किए गए रासायनिक तत्व; इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डोप किए गए रासायनिक यौगिक [सिलिकॉन वेफर्स से भिन्न]
106.	3819	हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए अन्य तैयार तरल पदार्थ, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों का भार 70% से कम या उससे कम हो
107.	3820	एंटी-फ्रीजिंग तैयारियाँ और तैयार डी-आइसिंग तरल पदार्थ

108.	3821	सूक्ष्म जीवों (वायरस और इसी तरह के जीवों सहित) या पौधे, मानव या पशु कोशिकाओं के विकास या रखरखाव के लिए तैयार संवर्धन माध्यम
109.	3823	औद्योगिक मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, शोधन से अम्लीय तेल; औद्योगिक फैटी अल्कोहल
110.	3824	फाउंड्री मोल्ड्स या कोर के लिए तैयार बाइंडर; रासायनिक उत्पाद और रासायनिक या संबद्ध उद्योगों की तैयारियां (प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण से बनी तैयारियां भी शामिल हैं), जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
111.	3825	रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [नगरपालिका अपशिष्ट; मल-गाद; इस अध्याय के <टिप्पण> 6 में विनिर्दिष्ट अन्य अपशिष्टों को छोड़कर]
112.	3826	बायोडीजल (तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए प्रदाय किए गए बायोडीजल से भिन्न)
113.	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हैलोजनयुक्त व्युत्पन्नों वाले मिश्रण, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
114.	3901 से 3913	सभी माल अर्थात् पॉलिमर; पॉलीएसीटल, अन्य पॉलीइथर, इपॉक्साइड रेजिन, पॉलीकार्बोनेट, एल्केड रेजिन, पॉलीएलिल एस्टर, अन्य पॉलिएस्टर; पॉलियामाइड; एमिनो-रेजिन, फेनोलिक रेजिन और पॉलीयूरेथेन; सिलिकॉन; पेट्रोलियम रेजिन, कूमारोन-इंडीन रेजिन, पॉलीटरपीन, पॉलीसल्फाइड, पॉलीसल्फोन और इस अध्याय के <टिप्पण> 3 में विनिर्दिष्ट अन्य उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; सेल्यूलोज और इसके रासायनिक व्युत्पन्न, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, एल्विनिक एसिड) और संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, कठोर प्रोटीन, प्राकृतिक रबर के रासायनिक व्युत्पन्न), जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राथमिक रूपों में
115.	3914	शीर्ष 3901 से 3913 के पॉलिमर पर आधारित आयन एक्सचेंजर्स, प्राथमिक रूपों में
116.	3915	प्लास्टिक का अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप
117.	3916	प्लास्टिक का मोनोफिलामेंट जिसका कोई भी अनुप्रस्थ काट आयाम एक मिमी से अधिक हो, छड़ें, छड़ें और प्रोफाइल आकार, <चाहे या नहीं> सतह पर काम किया गया हो किन्तु अन्यथा काम नहीं किया गया हो,
118.	3917	प्लास्टिक की ट्यूबें, पाइप और होज़, और उनकी फिटिंग
119.	3918	प्लास्टिक के फर्श कवरिंग, चाहे स्वयं चिपकने वाले हों या नहीं, रोल में या टाइल के रूप में; प्लास्टिक के दीवार या छत कवरिंग, जैसा कि इस अध्याय के टिप्पण 9 में परिभाषित किया गया है
120.	3919	स्वयं चिपकने वाली प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी, टेप, पट्टी और प्लास्टिक के अन्य सपाट आकार, चाहे रोल में हों या नहीं
121.	3920	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी, गैर-सेलुलर और प्रबलित नहीं, लैमिनेटेड, समर्थित या इसी तरह अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त नहीं
122.	3921	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी
123.	3922	स्नानघर, शावर-स्नानघर, सिंक, वॉश-बेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीटें और कवर, प्लशिंग सिस्टर्न और प्लास्टिक से बने इसी तरह के सैनिटरी वेयर
124.	3923	माल के परिवहन या पैकिंग के लिए प्लास्टिक की वस्तुएं; प्लास्टिक के स्टॉपर, ढक्कन, कैप और अन्य बंद करने वाले उपकरण
125.	3924	प्लास्टिक से बने टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू माल और स्वच्छता या शौचालय के माल
126.	3925	प्लास्टिक से बने बिल्डरों के सामान, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं

127.	3926	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं और शीर्ष 3901 से 3914 तक की अन्य सामग्रियों की वस्तुएं [प्लास्टिक की चूड़ियां, प्लास्टिक के मोती और दूध पिलाने की बोतलों से भिन्न]
128.	4002	तेलों से प्राप्त सिंथेटिक रबर और पदार्थ, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; शीर्ष 4001 के किसी भी उत्पाद का इस शीर्ष के किसी भी उत्पाद के साथ मिश्रण, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; जैसे लेटेक्स, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन रबर (बीआर), आइसोब्यूटीन-आइसोप्रीन (ब्यूटाइल) रबर (आईआईआर), एथिलीन-प्रोपिलीन-गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम)
129.	4003	प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में पुनः प्राप्त रबर
130.	4004	रबर के अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप से प्राप्त पाउडर और कणिकाएँ (कठोर रबर से भिन्न)
131.	4005	मिश्रित रबर, वल्कनीकृत नहीं, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
132.	4006	अन्य रूप (उदाहरण के लिए, छड़, ट्यूब और प्रोफाइल आकार) और वस्तुएं (उदाहरण के लिए, डिस्क और छल्ले), अनवल्कनाइज्ड रबर के
133.	4007	वल्कनीकृत रबर धागा और डोरी, लेटेक्स रबर धागे से भिन्न
134.	4008	कठोर रबर से भिन्न वल्कनीकृत रबर की प्लेटें, शीट, पट्टी, छड़ें और प्रोफाइल आकार
135.	4009	कठोर रबर से भिन्न वल्कनीकृत रबर से बनी ट्यूब, पाइप और होज़, उनकी फिटिंग के साथ या उसके बिना (उदाहरण के लिए, जोड़, कोहनी, प्लैज)
136.	4010	वल्कनीकृत रबर से बने कन्वेयर या ट्रांसमिशन बेल्ट या बेल्टिंग
137.	4011	रबर के नए वायवीय टायर (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा; पीछे के ट्रेक्टर टायरों से भिन्न; और विमान में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों से भिन्न)
138.	4012	रबर के पुनः तरीदार या प्रयुक्त वायवीय टायर; रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप
139.	4013	रबर की आंतरिक ट्यूबें (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/पर प्रयुक्त होने वाली प्रकार की ट्यूबों से भिन्न; और पीछे के ट्रेक्टर ट्यूबों से भिन्न)
140.	4014	वल्कनीकृत रबर से बनी स्वच्छ या औषधीय वस्तुएं (निष्पल सहित), कठोर रबर के फिटिंग के साथ या उसके बिना जैसे गर्म पानी की बोतलें, बर्फ की थैलियां [शीथ गर्भनिरोधक से भिन्न, रबर गर्भनिरोधक, पुरुष (कंडोम), रबर गर्भनिरोधक, महिला (डायफ्राम), जैसे ग्रीवा कैप]
141.	4015	सभी प्रयोजनों के लिए, वल्केनाइज्ड रबर से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं (दस्ताने, मिट्टेंस और मिट्स सहित) कठोर रबर से भिन्न [सर्जिकल दस्ताने से भिन्न]
142.	4016	वल्कनीकृत रबर की अन्य वस्तुएं <कठोर रबर से भिन्न> [रबर, रबर बैंड से भिन्न]
143.	4017	कठोर रबर (उदाहरण के लिए एबोनाइट) सभी रूपों में, अपशिष्ट और स्क्रेप से भिन्न; कठोर रबर की वस्तुएं
144.	4201	किसी भी सामग्री से बने किसी भी जानवर के लिए काठी और हार्नेस (जिसमें निशान, लीड, घुटने के पैड, थूथन, काठी के कपड़े, काठी बैग, कुत्ते के कोट और इसी तरह की अन्य वस्तुएं शामिल हैं),
145.	4202	ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केस, एग्जीक्यूटिव केस, ब्रीफ केस, स्कूल बैग, चश्मे के केस, दूरबीन केस, कैमरा केस, संगीत वाद्ययंत्र के केस, बंदूक केस, होल्स्टर और इसी तरह के कंटेनर यात्रा बैग, इंसुलेटेड खाद्य या पेय पदार्थ के बैग, शौचालय बैग, रुकसाक, हैंडबैग, शॉपिंग बैग, बटुए, पर्स, मानचित्र केस, सिगरेट केस, तंबाकू पाउच, टूल बैग, स्पोर्ट्स बैग, बोतल केस, आभूषण बॉक्स, पाउडर बॉक्स, कटलरी केस और इसी तरह के कंटेनर, चमड़े के, प्लास्टिक की शीटिंग के, कपड़ा सामग्री के, वल्केनाइज्ड फाइबर या पेपरबोर्ड के, या पूरी तरह या मुख्य रूप से ऐसी सामग्री से ढके हुए या कागज से [हैंडबैग और शॉपिंग बैग से भिन्न, कपास या जूट के]

146.	4203	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं [खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने से भिन्न]
147.	4205	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं
148.	4206	आंत के उत्पाद (रेशम-कीट की आंत से भिन्न), गोल्डबीटर की त्वचा, मूत्राशय या कंडरा के उत्पाद
149.	4301	कच्चे फर की खालें (सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग सहित, जो फर विक्रेताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं), शीर्ष 4101, 4102 या 4103 के कच्चे खाल और चमड़े से भिन्न।
150.	4302	टैन्ड या ड्रेसड फरस्किन (जिसमें सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग शामिल हैं), असंयोजित, या असंयोजित (अन्य सामग्री मिलाए बिना) शीर्ष 4303 से भिन्न
151.	4303	परिधान, वस्त्र सहायक सामग्री और फरस्किन से बनी अन्य वस्तुएं
152.	4304	कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं
153.	4403	खुरदरी लकड़ी
154.	4407	आरी से काटी गई या छिली गई लकड़ी
155.	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छिली हुई, समतल, रेत से भरी, जोड़ वाली या अंत में जोड़ी गई हो या नहीं, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [माचिस की पट्टियाँ से भिन्न]
156.	4409	लकड़ी (जिसमें लकड़ी के फर्श के लिए पट्टियाँ और फ्रिज शामिल हैं, जिन्हें जोड़ा नहीं गया है) लगातार आकार की (जीभयुक्त, नालीदार, रिबेटेड, चम्फरयुक्त, वी-ज्वाइंटेड, बीडेड, मोल्डेड, राउंडेड या इसी तरह की) किसी भी किनारे या चेहरे के साथ, चाहे प्लेन्ड, सैंडेड या एंड-ज्वाइंटेड हो या नहीं [बांस के फर्श से भिन्न]
157.	4410	पार्टिकल बोर्ड, ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड और लकड़ी या अन्य लिग्निनस सामग्रियों से बने समान बोर्ड (उदाहरण के लिए, वेफर बोर्ड), रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधनकारी पदार्थों से एकत्रित <चाहे हों या नहीं>, विनिर्दिष्ट बोर्डों के <से भिन्न>
158.	4411	लकड़ी या अन्य लिग्निनस सामग्रियों का फाइबर बोर्ड, रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधा हुआ हो या नहीं, विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न
159.	4412	प्लाईवुड, लिबास पैनल और इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी
160.	4413	सघन लकड़ी, ब्लॉक, प्लेट, पट्टी या प्रोफाइल आकार में
161.	4414	पेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण या इसी तरह की वस्तुओं के लिए लकड़ी के फ्रेम
162.	4418	बिल्डरों की लकड़ी की जॉइनरी और बढईगीरी, जिसमें सेलुलर लकड़ी के पैनल, इकट्टे फर्श पैनल, शिंगल और शेक शामिल हैं [बांस की लकड़ी के निर्माण जॉइनरी से भिन्न]
163.		लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी की वस्तुएं जो अन्यत्र शामिल या विनिर्दिष्ट नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग जो टेबलवेयर और किचनवेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं
164.	44 या कोई भी अध्याय	रेजिन से बंधी बांस की चटाई बोर्ड, बीच में लिबास के साथ या बिनाय बांस की फर्श टाइलें
165.	4501	अपशिष्ट कॉर्कय कुचला हुआ, दानेदार या पिसा हुआ कॉर्क
166.	4702	रासायनिक लकड़ी का गूदा, घुलने वाले ग्रेड
167.	4802	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, तथा बिना छिद्रित पंच-कार्ड और पंच टेप कागज, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीटों में, शीर्ष 4801 या 4803 के कागज से भिन्न; [केवल अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोट बुक और नोटबुक के लिए

		बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड से भिन्न]
168.	4803	टॉयलेट या फेशियल टिशू स्टॉक, तौलिया या नैपकिन स्टॉक और घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, <चाहे हों या नहीं> क्रेण्ड, क्रिंकलड, उभरे हुए, छिद्रित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या शीट में
169.	4804	रोल या शीट में बिना लेपित क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड, शीर्ष 4802 या 4803 से भिन्न
170.	4805	अन्य बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, रोल या शीट में, इस अध्याय के टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट के भिन्न आगे काम या प्रसंस्करण नहीं किया गया है
171.	4806	वनस्पति चर्मपत्र, ट्रेसिंग पेपर और अन्य चमकदार पारदर्शी या पारभासी कागज, रोल या शीट में
172.	4806 20 00	ग्रीसप्रूफ कागज
173.	4806 40 10	ग्लासिन कागज
174.	4807	मिश्रित कागज और पेपरबोर्ड (कागज या पेपरबोर्ड की सपाट परतों को चिपकाकर बनाया गया), सतह पर लेपित या संसेचित नहीं, आंतरिक रूप से प्रबलित, रोल या शीट में
175.	4808	कागज और पेपरबोर्ड, नालीदार (चिपके हुए सपाट सतह शीट के साथ या बिना), क्रेण्ड, क्रिंकलड, उभरे हुए या छिद्रित, रोल या शीट में, शीर्ष 4803 में वर्णित प्रकार के कागज से भिन्न
176.	4809	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (जिसमें डुप्लिकेटर स्टेंसिल या ऑफसेट प्लेट के लिए लेपित या संसेचित पेपर शामिल हैं), चाहे मुद्रित हों या नहीं, रोल या शीट में
177.	4810	कागज और पेपरबोर्ड, एक या दोनों तरफ काओलिन (चीनी मिट्टी) या अन्य अकार्बनिक पदार्थों से लेपित, बाइंडर के साथ या उसके बिना, और किसी अन्य कोटिंग के बिना, चाहे सतह-रंगीन हो या नहीं, सतह-सजाया या मुद्रित, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में
178.	4811	कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, लेपित, संसेचित, आच्छादित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीट में, किसी भी आकार के, शीर्ष 4803, 4809 या 4810 में वर्णित प्रकार के माल से भिन्न
179.	4812	कागज के गूदे के फिल्टर ब्लॉक, स्लैब और प्लेटें
180.	4813	सिगरेट का कागज, चाहे आकार में कटा हो या पुस्तिकाओं या ट्यूबों के रूप में
181.	4814	दीवार का कागज और इसी तरह की दीवार कवरिंग कागज की खिड़की की पारदर्शी सतह
182.	4816	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (शीर्ष 4809 से भिन्न), डुप्लिकेटर स्टेंसिल और ऑफसेट प्लेट, कागज के, चाहे बक्सों में रखे गए हों या नहीं
183.	817 [4817 30 को छोड़कर]	कागज या पेपरबोर्ड के लिफाफे, लेटर कार्ड, सादे पोस्टकार्ड और पत्राचार कार्ड [कागज या पेपरबोर्ड के बक्से, पाउच, बटुए और लेखन संग्रह से भिन्न, जिसमें लेखन ब्लॉक सहित विभिन्न प्रकार की कागजी स्टेशनरी शामिल है]
184.	4818	टॉयलेट पेपर और इसी तरह के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल, घरेलू या सैनिटरी प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले, 36 सेमी से अधिक चौड़ाई के रोल में, या आकार या आकृति के अनुसार कटे हुए रुमाल, सफाई करने वाले टिशू, तौलिए, टेबल क्लॉथ, नैपकिन, शिशुओं के लिए नैपकिन, टैम्पोन, चादरें और इसी तरह के घरेलू, सैनिटरी या अस्पताल के माल, परिधान और कपड़ों के माल, या पेपर पल्प, कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल
185.	4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर)	सभी माल (कार्टन, बॉक्स और केस से भिन्न, — (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड

186.	4820	रजिस्टर, खाता बही, ऑर्डर बुक, रसीद बुक, लेटर पैड, मेमोरेण्डम पैड, डायरियां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, ब्लॉटिंग पैड, बाइंडर (लूज-लीफ या अन्य), फोल्डर, फाइल कवर, मैनिफोल्ड बिजनेस फॉर्म, इंटरलीव्ड कार्बन सेट और स्टेशनरी की अन्य वस्तुएं, कागज या पेपरबोर्ड से बनी वस्तुएं और कागज या पेपरबोर्ड से बनी पुस्तक कवर [नोटबुक और अभ्यास पुस्तकों से भिन्न]
187.	4821	सभी प्रकार के कागज या पेपरबोर्ड लेबल, चाहे मुद्रित हों या नहीं
188.	4822	बॉबिन, स्पूल, कॉप्स और पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड के समान सपोर्ट (चाहे छिद्रित या कठोर हों या नहीं)
189.	4823	अन्य कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, आकार या आकृति में कटे हुए कागज लुगदी, कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल से बनी अन्य वस्तुएं [पेपर पल्प मोल्डेड ट्रे, ब्रेल पेपर, पतंग, पेपर माचे वस्तुओं से भिन्न]
190.	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के प्रयोजनों के लिए योजनाएं और चित्र, जो हाथ से खींचे गए मूल हों हस्तलिखित पाठ्य संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वोक्त की कार्बन प्रतियां
191.	4907	देश में वर्तमान या नए जारी किए गए अप्रयुक्त डाक, राजस्व या इसी तरह के टिकट, जिसमें उनका मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है या होगाय स्टाम्प-छापे हुए कागज बैंक नोटय चेक फॉर्मय स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और स्वामित्व के इसी तरह के दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स से भिन्न); चेक, खुले या पुस्तक के रूप में
192.	4908	स्थानान्तरण (डेकाल्कोमेनियास).
193.	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत शुभकामना संदेश या घोषणा वाले मुद्रित कार्ड, चाहे सचित्र हों या नहीं, लिफाफे या सजावट के साथ या उसके बिना
194.	4910	किसी भी प्रकार के मुद्रित कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर ब्लॉक भी शामिल हैं।
195.	4911	अन्य मुद्रित सामग्री, जिसमें मुद्रित चित्र और फोटोग्राफ शामिल हैं जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और इसी तरह की सामग्री, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटोग्राफ, वास्तुकला इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्र, जिन्हें कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस की सहायता से पुनरु प्रस्तुत किया गया है।
196.	5601 22 00	सिगरेट फिल्टर छड़े
197.	61	2500 रुपए प्रति नग से अधिक विक्रय मूल्य वाले बुने हुए या क्रोशिया किए हुए परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं
198.	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हैं, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपए प्रति नग से अधिक है
199.	63 (6309 से भिन्न)	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, 2500 रुपए प्रति पीस से अधिक विक्रय मूल्य के सेट [पहने हुए कपड़े और अन्य पहने हुए मालय चिथड़े से भिन्न]
200.	3923 या 6305	पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन पट्टियों या इसी तरह के बुने हुए और गैर-बुने हुए बैग और बोरे, <चाहे लेमिनेटेड हों या नहीं> , एक प्रकार के जो माल की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं
201.	6305 32 00	लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर
202.	6401	जलरोधक जूते जिनके बाहरी तलवे और ऊपरी भाग रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनका ऊपरी भाग न तो तलवे से जुड़ा होता है और न ही सिलाई, कील, पेंच, प्लगिंग या इसी तरह की प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ा जाता है।
203.	6402	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी भाग वाले अन्य जूते
204.	6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और चमड़े के ऊपरी भाग वाले जूते

205.	6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और कपड़ा सामग्री से बने ऊपरी भाग वाले जूते
206.	6405	अन्य जूते
207.	6406	जूते के भाग (जिसमें ऊपरी भाग शामिल है, चाहे वह बाहरी तलवों से भिन्न अन्य तलवों से जुड़ा हो या नहीं); हटाए जा सकने वाले अंदरूनी तलवे, एड़ी के कुशन और इसी प्रकार की वस्तुएं गैटर, लेगिंग और इसी प्रकार की वस्तुएं, और उनके भाग
208.	6501	टोपी के आकार, टोपी के शरीर और टोपी के हुड, न तो आकार के लिए अवरुद्ध और न ही बने हुए किनारों के साथ प्लेटों और मंचों (स्लिट मंचों सहित), कपड़े से बने [कपड़े से बनी टोपी से भिन्न]
209.	6502	टोपी के आकार, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या चोटी बनाकर बनाए गए, न तो आकार देने के लिए अवरुद्ध, न ही बने हुए किनारों के साथ, न ही रेखांकित, न ही छंटनी की गई
210.	6504 00 00	टोपी और अन्य हेडगियर, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या जोड़कर बनाए गए, चाहे वे रेखांकित हों या नहीं
211.	6505	अन्य हेडगियर, बुने हुए या क्रोशिए से बने, या लेस, फेल्ड या अन्य टेक्सटाइल फैब्रिक से बने, टुकड़े में (किन्तु पट्टियों में नहीं), <चाहे या नहीं> लाइन वाले या ट्रिम किए हुए; किसी भी सामग्री के हेयर-नेट, <चाहे या नहीं> लाइन वाले या ट्रिम किए हुए
212.	6506	अन्य हेडगियर, चाहे लाइनिंग या ट्रिमिंग हो या नहीं
213.	6507	हेड-बैंड, लाइनिंग, कवर, टोपी की नींव, टोपी के फ्रेम, चोटियाँ और चिनस्ट्रैप, हेडगियर के लिए
214.	6702	कृत्रिम फूल, पत्ते और फल और उनके भाग कृत्रिम फूल, पत्ते या फल से बनी वस्तुएं
215.	6703	ऊन या अन्य जानवरों के बाल या अन्य कपड़ा सामग्री, जो विग या इसी तरह की चीजें बनाने में उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं
216.	6704	मानव या पशु बाल या वस्त्र सामग्री से बने विग, नकली दाढ़ी, भौंहें और पलकें, स्विच और इसी तरह की अन्य वस्तुएं मानव बाल से बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
217.	6801	प्राकृतिक पत्थर (स्लेट को छोड़कर) के सेट, कर्बस्टोन और प्लैगस्टोन
218.	6802	काम किया हुआ स्मारकीय या इमारती पत्थर (स्लेट को छोड़कर) और उसकी वस्तुएं, शीर्ष 6801 की वस्तुओं से भिन्न प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के मोजेक क्यूब्स और उसी तरह की वस्तुएं, चाहे आधार पर हों या नहीं प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के कृत्रिम रूप से रंगीन कण, चिपिंग और पाउडर [मूर्तियों, प्रतिमाओं, पीठिकाओं या ऊंची या नीची नक्काशियों, क्रॉस, पशुओं की आकृतियों, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि से भिन्न मूलतः पत्थर से बनी अन्य सजावटी वस्तुएं] [अनुसूची 1 में क्रम संख्या 176 में शामिल वस्तुओं को छोड़कर]
219.	6803	काम की गई स्लेट और स्लेट या एकत्रित स्लेट से बनी वस्तुएं
220.	6804	चक्की के पाट, पीसने के पत्थर, पीसने वाले पहिये और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, बिना ढांचे के, पीसने, तेज करने, चमकाने, सही करने या काटने, हाथ से तेज करने या चमकाने के लिए, प्राकृतिक पत्थर, एकत्रित प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक या चीनी मिट्टी के पात्र के पत्थर और उनके हिस्से, अन्य सामग्रियों के हिस्सों के साथ या उनके बिना
221.	6805	प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक पाउडर या कण, कपड़ा सामग्री, कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्री के आधार पर, <चाहे या नहीं> आकार में काटा गया हो या सिला गया हो या अन्यथा बनाया गया हो
222.	6806	स्लैंग ऊन, रॉक ऊन और इसी तरह के खनिज ऊन एक्सफोलिएटेड वर्मीक्यूलाइट, विस्तारित मिट्टी, फोमयुक्त स्लैंग और इसी तरह के विस्तारित खनिज पदार्थ ऊष्मारोधी, ध्वनिरोधी या ध्वनि-अवशोषित खनिज पदार्थों के मिश्रण और वस्तुएं, शीर्ष 6811 या 6812 या अध्याय 69 से भिन्न

223.	6807	डामर या इसी तरह की सामग्री से बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, पेट्रोलियम बिटुमेन या कोल टार पिच)
224.	6808	पैनल, बोर्ड, टाइल, ब्लॉक और वनस्पति फाइबर, पुआल या छीलन, चिप्स, कण, चूरा या अन्य अपशिष्ट, लकड़ी के समान वस्तुएं, सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बाइंडरों के साथ एकत्रित
225.	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित रचनाओं से बनी वस्तुएं जैसे बोर्ड, शीट, पैनल, टाइलें और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, जिन पर अलंकरण नहीं किया गया हो
226.	6810	सीमेंट, कंक्रीट या कृत्रिम पत्थर से बनी वस्तुएं, चाहे प्रबलित हों या नहीं
227.	6811	एस्बेस्टस-सीमेंट, सेल्यूलोज फाइबर-सीमेंट या इसी तरह की वस्तुएं
228.	6812	गढ़े हुए एस्बेस्टस फाइबरय एस्बेस्टस के आधार वाले या एस्बेस्टस और मैग्नीशियम कार्बोनेट के आधार वाले मिश्रणय ऐसे मिश्रण या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, बुना हुआ कपड़ा, वस्त्र, हेडगियर, जूते, गास्केट), <चाहे प्रबलित हों या नहीं> , शीर्ष 6811 या 6813 के <से भिन्न> माल
229.	6813	घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, शीट, रोल, पट्टियां, खंड, डिस्क, वॉशर, पैड), ब्रेक, क्लच या इसी तरह के अन्य माल के लिए, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थों या सेल्यूलोज के आधार पर नहीं लगाई गई हैं, वस्त्रों या अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त हैं या नहीं
230.	6814	कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर काम किया हुआ अभ्रक और अभ्रक से बनी वस्तुएं, जिनमें एकत्रित या पुनर्गठित अभ्रक शामिल है, चाहे वह कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर हो या नहीं
231.	6815	पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं सहित), जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [फलाई ऐश ईंटों, फलाई ऐश समुच्चयोंय फलाई ऐश ब्लॉकों से भिन्न]
232.	6901	सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या इसी तरह के सिलिकायुक्त मिट्टी से बने ब्लॉक, टाइल और अन्य सिरैमिक माल
233.	6902	आग रोक ईंटें, ब्लॉक, टाइलें और इसी तरह की आग रोक सिरैमिक निर्माण सामग्री, सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या इसी तरह की सिलिकायुक्त मिट्टी से भिन्न
234.	6903	अन्य दुर्दम्य सिरैमिक माल (उदाहरण के लिए, रिटॉर्ट, क्रासिबल, मफल, नोजल, प्लग, सपोर्ट, कपल, ट्यूब, पाइप, शीथ और रॉड), सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या समान सिलिकायुक्त मिट्टी के माल से भिन्न
235.	6904	सिरैमिक फ्लोरिंग ब्लॉक, सपोर्ट या फिलर टाइलें और इसी तरह की अन्य वस्तुएं
236.	6905	चिमनी-पॉट, काउल, चिमनी लाइनर, वास्तुशिल्प आभूषण और अन्य सिरैमिक निर्माण संबंधी माल
237.	6906	सिरैमिक पाइप, नलिकाएं, गटरिंग और पाइप फिटिंग
238.	6907	सिरैमिक इंडे और फर्श, चूल्हा या दीवार टाइलेंय सिरैमिक मोजेक क्यूब्स और इसी तरह की अन्य चीजें, चाहे वे किसी बैकिंग पर हों या नहीं; सिरैमिक की फिनिशिंग
239.	6909	प्रयोगशाला, रासायनिक या अन्य तकनीकी उपयोगों के लिए सिरैमिक मालय कृषि में उपयोग किए जाने वाले सिरैमिक नांद, टब और इसी प्रकार के पात्रय माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिरैमिक बर्तन, जार और इसी प्रकार की वस्तुएं
240.	6910	सिरैमिक सिंक, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन पेडेस्टल, बाथटब, बिडेट, वॉटर क्लॉजेट पैन, फ्लशिंग सिस्टर्न, मूत्रालय और इसी तरह के सैनिटरी फिक्स्चर
241.	6914	अन्य सिरैमिक लेख
242.	7002	गेंदों में काँच (शीर्ष 70.18 के सूक्ष्ममंडलों से भिन्न), छड़ें या नलिकाएँ, बिना काम की हुई

243.	7003	कास्ट ग्लास और रोल्ड ग्लास, शीट या प्रोफाइल में, <चाहे या न> जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, किन्तु अन्यथा काम न किया गया हो
244.	7004	खींचा हुआ काँच और उड़ा हुआ काँच, शीटों में, <चाहे या न> जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, किन्तु अन्यथा काम न किया गया हो
245.	7005	फ्लोट ग्लास और सतह पर पिसा हुआ या पॉलिश किया हुआ ग्लास, शीटों में, <चाहे या न> जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, किन्तु अन्यथा काम न किया गया हो
246.	7006 00 00	शीर्ष 7003, 7004 या 7005 का कांच, मुड़ा हुआ, किनारे पर काम किया हुआ, उत्कीर्ण, छिद्रित, एनामेल किया हुआ या अन्यथा काम किया हुआ, किन्तु फ्रेमयुक्त या अन्य सामग्रियों से सुसज्जित नहीं
247.	7007	सुरक्षा ग्लास, जिसमें कठोर (टेम्पर्ड) या लैमिनेटेड ग्लास शामिल होता है
248.	7008	कांच की बहु-दीवार वाली इन्सुलेंटिंग इकाइयाँ
249.	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेमयुक्त हों या नहीं, पीछे देखने वाले दर्पण सहित
250.	7010	कांच के कार्बॉय, बोतलें, प्लास्क, जार, बर्तन, शीशियाँ, एम्बुल और अन्य कंटेनर, जो माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; कांच के परिरक्षण जारय कांच के डाट, ढक्कन और अन्य बंद करने वाले उपकरण
251.	7011	विद्युत लैंप और प्रकाश स्रोतों, कैथोड रे ट्यूब या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए, बिना फिटिंग के, खुले ग्लास लिफाफे (बल्ब और ट्यूब सहित), और उनके ग्लास भाग
252.	7013	मेज़, रसोई, शौचालय, कार्यालय, आंतरिक सजावट या इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन (शीर्ष 7010 या 7018 से भिन्न)
253.	7014	सिग्नलिंग ग्लासवेयर और कांच के ऑप्टिकल तत्व (शीर्ष 7015 से भिन्न), ऑप्टिकल रूप से काम नहीं किए गए
254.	7015	घड़ी या घड़ी के चश्मे और इसी प्रकार के चश्मे, गैर-सुधारात्मक चश्मों के लिए चश्मे, घुमावदार, मुड़े हुए, खोखले या इसी प्रकार के, प्रकाशिक रूप से काम न करने वाले; ऐसे चश्मे के निर्माण के लिए खोखले कांच के गोले और उनके खंड
255.	7016	फर्श के लिए ब्लॉक, स्लेब, ईंटें, चौकोर टुकड़े, टाइलें और दबाए गए या ढाले गए कांच की अन्य वस्तुएं, तारयुक्त हों या नहीं, भवन या निर्माण के काम में आने वाली; कांच के क्यूब्स और कांच की अन्य छोटी वस्तुएं, आधार पर हों या नहीं, मोजाइक या इसी तरह के सजावटी कामों के लिए; सीसा लगी लाइटें और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; ब्लॉक, पैनल, प्लेट, शैल या इसी तरह के रूपों में बहुकोशिकीय या फोम ग्लास
256.	7017	प्रयोगशाला, स्वच्छ या औषधीय कांच के बने पदार्थ, चाहे स्नातक या अंशांकित हों या नहीं
257.	7018	नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर और इसी तरह के छोटे कांच के बर्तन, और उनकी वस्तुएं, नकली आभूषणों से भिन्न; कृत्रिम वस्तुओं से भिन्न कांच की आखें; लैंप-वर्क किए गए कांच की मूर्तियाँ और अन्य आभूषण, नकली आभूषणों से भिन्न; एक मिमी व्यास से अनधिक कांच के सूक्ष्मगोले
258.	7019	ग्लास फाइबर (ग्लास वूल सहित) और उससे बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, रोविंग, बुने हुए कपड़े)
259.	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी (से भिन्न)]
260.	7201	पिग आयरन और स्पीगेलाइज़न पिग्स, ब्लॉक्स या अन्य प्राथमिक रूपों में
261.	7202	फैरो-मिश्र
262.	7203	लौह अयस्क और अन्य स्पंजी लौह उत्पादों के प्रत्यक्ष अपचयन से प्राप्त लौह उत्पाद, गांठों, छर्चों या समान रूपों में; भार के अनुसार न्यूनतम 99.94% शुद्धता वाला लोहा, गांठों, छर्चों या समान रूपों में

263.	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप; लोहे या इस्पात के स्क्रेप सिलिलियों को पुनः पिघलाना
264.	7205	पिग आयरन, स्पीगेलिसन, लोहे या स्टील के दाने और पाउडर
265.	7206	सिलिलियों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात (शीर्ष 7203 के लोहे को छोड़कर)
266.	7207	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयार उत्पाद
267.	7208 से 7212	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
268.	7213 से 7215	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें
269.	7216	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोण, आकार और खंड
270.	7217	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात का तार
271.	7218	सिलिलियों या अन्य प्राथमिक रूपों में स्टेनलेस स्टील; स्टेनलेस स्टील के अर्ध-तैयार उत्पाद
272.	7219, 7220	स्टेनलेस स्टील के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
273.	7221, 7222	सभी बार और छड़ें स्टेनलेस स्टील की हैं
274.	7223	स्टेनलेस स्टील का तार
275.	7224	सिलिलियों या अन्य प्राथमिक रूपों में अन्य मिश्र धातु इस्पात; अन्य मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयार उत्पाद
276.	7225, 7226	अन्य मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
277.	7227, 7228	अन्य मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें।
278.	7229	अन्य मिश्र धातु इस्पात के तार
279.	7301	लोहे या स्टील की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल की गई हो, छिद्रित की गई हो या संयोजन तत्वों से बनी हो; लोहे या स्टील के वेल्डेड कोण, आकार और अनुभाग
280.	7302	लोहे या स्टील से बनी रेलवे या ट्रामवे ट्रैक निर्माण सामग्री, निम्नलिखित: पटरियां, चेक-रेल और रैक रेल, स्विच ब्लेड, क्रॉसिंग फ्रॉग, पॉइंट रॉड और अन्य क्रॉसिंग टुकड़े, स्लीपर (क्रॉस-टाई), फिश-प्लेट, कुर्सियां, कुर्सी वेज, सोल प्लेट (बेस प्लेट), रेल क्लिप, बेडप्लेट, टाई और पटरियों को जोड़ने या फिक्स करने के लिए विशेषीकृत अन्य सामग्री
281.	7303	कच्चे लोहे से बनी ट्यूबें, पाइप और खोखले प्रोफाइल
282.	7304	लोहे (ढलवां लोहे से भिन्न) या स्टील से बनी ट्यूब, पाइप और खोखली प्रोफाइल, बिना जोड़ वाली
283.	7305	अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्डेड, रिबेटेड या इसी तरह से बंद), जिनका अनुप्रस्थ काट गोलाकार हो, जिनका बाहरी व्यास 406.4 मिमी से अधिक हो, लोहे या स्टील से बने हों
284.	7306	लोहे या स्टील के अन्य ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल (उदाहरण के लिए, खुली सीम या वेल्डेड, रिबेटेड या इसी तरह बंद)
285.	7307	लोहे या स्टील की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
286.	7308	लोहे या इस्पात की संरचनाएं (शीर्ष 94.06 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, लॉक-गेट, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, दरवाजे और खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए दहलीज, शटर, बालस्ट्रेड, स्तंभ और स्तंभ); लोहे या इस्पात की संरचनाओं के उपयोग के लिए तैयार प्लेट, छड़, कोण, आकार, खंड, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं [ट्रांसमिशन टावरों को छोड़कर]
287.	7309	किसी भी सामग्री (संपीड़ित या द्रवीकृत गैस से भिन्न) के लिए जलाशय, टैंक, वैट और इसी तरह के कंटेनर, लोहे या स्टील के, 300 लीटर से अधिक क्षमता के, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, किन्तु यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
288.	7310	टैंक, पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीड़ित या द्रवीकृत गैस से भिन्न), लोहे या स्टील से बने, 300 लीटर से अधिक क्षमता के नहीं, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, किन्तु यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं, लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बे से भिन्न

289.	7311	संपीडित या द्रवीकृत गैस के लिए लोहे या स्टील के कंटेनर
290.	7312	लोहे या स्टील के फंसे हुए तार, रस्सियाँ, केबल, लटके हुए बैंड, स्लिंग और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ, जो विद्युत रूप से इंसुलेट न की गई हों
291.	7313	लोहे या स्टील का कांटेदार तार; मुड़ा हुआ घेरा या एकल सपाट तार, कांटेदार हो या न हो, और ढीले ढंग से मुड़ा हुआ दोहरा तार, बाड़ लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला, लोहे या स्टील का
292.	7314	लोहे या स्टील के तार से बना कपड़ा (अंतहीन बैंड सहित), ग्रिल, जाल और बाड़; लोहे या स्टील की विस्तारित धातु
293.	7315	7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90 के अधीन आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके हिस्से
294.	7316	लोहे या स्टील के लंगर, ग्रैपनेल और उनके हिस्से
295.	7317	कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, नालीदार कीलें, स्टेपल (शीर्ष 8305 के स्टेपल से भिन्न) और इसी तरह की वस्तुएँ, लोहे या स्टील की, चाहे अन्य सामग्री के शीर्ष के साथ हों या नहीं, किन्तु ताँबे के शीर्ष वाली ऐसी वस्तुओं को छोड़कर
296.	7318	लोहे या स्टील के स्क्रू, बोल्ट, नट, कोच स्क्रू, स्क्रू हुक, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वॉशर (स्प्रिंग वॉशर सहित) और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ
297.	7319	बुनाई की सुइयाँ, बोडकिन, क्रोशिया हुक, कढ़ाई के स्टिलेटो और इसी प्रकार की वस्तुएँ, हाथ में उपयोग के लिए, लोहे या स्टील की; सेपटी पिन और लोहे या स्टील की अन्य पिन, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
298.	7320	लोहे और स्टील के स्प्रिंग और स्प्रिंग के पत्ते
299.	7321	लोहे या स्टील से बने स्टोव, रेंज, ग्रेट, कुकर (जिनमें केंद्रीय हीटिंग के लिए सहायक बॉयलर शामिल हैं), बारबेक्यू, ब्रेज़ियर, गैस रिंग, प्लेट वार्मर और इसी तरह के गैर-इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरण और उनके हिस्से [केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव, लोहे या स्टील से बने लकड़ी जलाने वाले स्टोव और सौर कुकर से भिन्न]
300.	7322	केंद्रीय हीटिंग के लिए रेडिएटर, जो विद्युत से गर्म नहीं होते, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं; एयर हीटर और गर्म हवा वितरक (वितरक जो ताजी या वातानुकूलित हवा भी वितरित कर सकते हैं सहित), जो विद्युत से गर्म नहीं होते, जिनमें मोटर चालित पंखा या ब्लोअर शामिल होता है, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं
301.	7323	लोहे या स्टील की ऊन; बर्तन साफ करने वाले उपकरण और साफ़ई या पॉलिश करने वाले पैड, दस्ताने और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ, लोहे या स्टील की (लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बों से भिन्न)
302.	7323 9410	घमेला
303.	7324	लोहे और इस्पात से बने सेनेटरी वेयर और उसके पुर्जे
304.	7325	लोहे या स्टील की अन्य ढली हुई वस्तुएँ
305.	7326	लोहे या स्टील की अन्य वस्तुएँ
306.	7401	ताँबे मैट; सीमेंट ताँबा (अवक्षेपित ताँबा)
307.	7402	अपरिष्कृत ताँबा; विद्युत अपघटनी शोधन के लिए ताँबे के एनोड
308.	7403	परिष्कृत ताँबा और ताँबे की मिश्र धातु, बिना गढ़े
309.	7404	ताँबे का अपशिष्ट और स्क्रेप
310.	7405	ताँबे की मास्टर मिश्र धातु
311.	7406	ताँबे के पाउडर और गुच्छे
312.	7407	ताँबे की सलाखें, छड़ें और प्रोफाइल
313.	7408	ताँबे का तार
314.	7409	0.15 मिमी से अधिक मोटाई वाली ताँबे की प्लेटें, शीट और पट्टी
315.	7410	ताँबे की पन्नी

316.	7411	तांबे की ट्यूब और पाइप
317.	7412	तांबे की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
318.	7413	फंसे हुए तार और केबल
319.	7415	तांबे के या लोहे या इस्पात के बने तांबे के शीर्ष वाले कीलें, टैक, ड्राईंग पिन, स्टेपल (शीर्ष 83.05 के अतिरिक्त) और इसी प्रकार की वस्तुएं; तांबे के स्क्रू, बोल्ट, नट, स्क्रू हुक, रिवेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वॉशर (सिंगल वॉशर सहित) और इसी प्रकार की वस्तुएँ
320.	7418	सभी माल (तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू माल; बर्तनों से भिन्न)
321.	7419	तांबे की अन्य वस्तुएँ (पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव से भिन्न)
322.	7501	निकल मैट, निकल ऑक्साइड सिंटर और निकल धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद
323.	7502	अनरॉट निकल
324.	7503	निकल अपशिष्ट और स्क्रेप
325.	7504	निकल पाउडर और फ्लेक्स
326.	7505	निकल बार, छड़, प्रोफाइल और तार
327.	7506	निकल प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
328.	7507	निकल ट्यूब, पाइप और ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
329.	7508	निकल के अन्य उत्पाद
330.	7601	कच्चा एल्युमीनियम
331.	7602	एल्युमीनियम अपशिष्ट और स्क्रेप
332.	7603	एल्युमीनियम पाउडर और फ्लेक्स
333.	7604	एल्युमीनियम बार, छड़ और प्रोफाइल
334.	7605	एल्युमीनियम तार
335.	7606	0.2 मिमी से अधिक मोटाई वाली एल्युमीनियम प्लेटें, शीट और पट्टी
336.	7607	एल्युमीनियम फॉइल (चाहे मुद्रित हो या नहीं या कागज, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की बैकिंग सामग्री से समर्थित) जिसकी मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) 0.2 मिमी से अधिक न हो
337.	7608	एल्युमीनियम ट्यूब और पाइप
338.	7609	एल्युमीनियम ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
339.	7610	एल्युमीनियम संरचनाएं (शीर्ष 9406 के पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत ढांचे, कटघरा, स्तंभ और स्तम्भ); एल्युमीनियम प्लेट, छड़, प्रोफाइल, ट्यूब और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, जो संरचनाओं में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं
340.	7611	एल्युमीनियम जलाशय, टैंक, वैट और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री (संपीड़ित या द्रवीकृत गैस से भिन्न), 300 लीटर से अधिक क्षमता के, चाहे अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, किन्तु यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं।
341.	7612	एल्युमीनियम के पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से, आदि, एल्युमीनियम से बने दुध के डिब्बों से भिन्न
342.	7613	संपीड़ित या तरलीकृत गैस के लिए एल्युमीनियम कंटेनर
343.	7614	एल्युमीनियम से बने फंसे हुए तार, केबल, लटके हुए बैंड और इसी तरह के अन्य सामान, जो विद्युत रूप से इंसुलेट नहीं किए गए हों
344.	7615	सभी सामान (एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान से भिन्न; एल्युमीनियम से बने बर्तन, दूध के डिब्बे)
345.	7616	एल्युमीनियम की अन्य सामान
346.	7801	बिना गढ़ा सीसा
347.	7802	सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप

348.	7804	सीसा प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी; सीसा पाउडर और गुच्छे
349.	7806	सीसे से बनी अन्य वस्तुएँ (सैनिटरी फिक्स्चर और भारतीय सीसे की सील सहित)
350.	7901	कच्चा जस्ता
351.	7902	जिक अपशिष्ट और स्क्रेप
352.	7903	जिक धूल, पाउडर और गुच्छे
353.	7904	जिक बार, छड़, प्रोफाइल और तार
354.	7905	जिक प्लेट, शीट, पट्टी और पन्नी
355.	7907	जिक से बनी अन्य वस्तुएँ जिनमें सैनिटरी फिक्स्चर भी शामिल हैं
356.	8001	कच्चा टिन
357.	8002	टिन अपशिष्ट और स्क्रेप
358.	8003	टिन की सलाखें, छड़ें, प्रोफाइल और तार
359.	8007	टिन के अन्य सामान
360.	8101 से 8112	अन्य आधार धातुएँ, अर्थात् टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटालम, मैंगनीशियम, कोबाल्ट मैट, और कोबाल्ट धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, बिस्मथ, कैडमियम, टाइटेनियम, जिंकोनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, बेरिलियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम, गैलियम, हेफनियम, इंडियम, नाइओबियम (कोलंबियम), रेनियम और थैलियम, और उनकी वस्तुएँ, जिनमें अपशिष्ट और स्क्रेप भी शामिल हैं
361.	8113	सेर्मेट्स और उनकी वस्तुएँ, अपशिष्ट और स्क्रेप सहित
362.	8202	हाथ आरी; सभी प्रकार की आरियों के ब्लेड (स्लिटिंग, स्लॉटिंग या टूथलेस आरी ब्लेड सहित)
363.	8203	फाइलें, रैस्प्स, प्लायर्स (कटिंग प्लायर्स सहित), पिसर, चिमटी, धातु काटने वाली कैंची, पाइप-कटर, बोल्ट क्रॉप्स, छिद्रण पंच और इसी तरह के अन्य हाथ उपकरण
364.	8204	हस्त-संचालित स्पैनर और रिंच (टॉर्क मीटर रिंच सहित, किन्तु टैप रिंच शामिल नहीं); अदला-बदली करने योग्य स्पैनर सॉकेट, हैंडल सहित या बिना हैंडल के
365.	8205	हाथ के औजार (ग्लेजियर्स के हीरे सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; ब्लो लैंप; वाइस, क्लैम्प और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ, मशीन-औजारों या जल-जेट काटने वाली मशीनों के सहायक उपकरणों और भागों से भिन्न; निहाई; पोर्टेबल फोर्ज; फ्रेमवर्क सहित हाथ या पैडल से चलने वाले पीसने वाले पहिये
366.	8206	शीर्ष 8202 से 8205 तक के दो या अधिक के उपकरण, खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए
367.	8207	हस्त औजारों के लिए विनिमेय औजार, चाहे वे बिजली से चलने वाले हों या नहीं, या मशीन औजारों के लिए (उदाहरण के लिए, दबाने, मुद्रांकन, छिद्रण, दोहन, सूत्रण, ड्रिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, टर्निंग या स्कू ड्राइविंग के लिए), जिनमें धातु निकालने या निकालने के लिए डाई, और रॉक ड्रिलिंग या अर्थ बोरिंग उपकरण भी शामिल हैं
368.	8208	मशीनों या यांत्रिक उपकरणों के लिए चाकू और काटने वाले ब्लेड
369.	8209	प्लेटें, छड़ें, टिप्स और इसी तरह के उपकरण, अनमाउंटेड, सेर्मेट्स के
370.	8210 00 00	हाथ से संचालित यांत्रिक उपकरण, जिनका वजन 10 कि.ग्रा. या उससे कम होता है, जिनका उपयोग भोजन या पेय की तैयारी, कंडीशनिंग या परोसने में किया जाता है
371.	8211	काटने वाले ब्लेड वाले चाकू, दाँतेदार हों या नहीं (छँटाई करने वाले चाकू सहित), शीर्ष 8208 के चाकू से भिन्न और उसके ब्लेड
372.	8212	रेज़र और रेज़र ब्लेड (स्ट्रिप्स में रेज़र ब्लेड ब्लैक सहित)
373.	8213 00 00	कैंची, दर्जी की कैंची और इसी प्रकार की कैंची, और उनके ब्लेड
374.	8214	कटलरी के अन्य माल (उदाहरण के लिए, बाल काटने वाले उपकरण, कसाई या रसोई के क्लीवर, चॉपर और कीमा बनाने वाले चाकू); मैनीक्योर या पेडीक्योर सेट और उपकरण जिनमें नाखुन काटने वाली फाइलें भी शामिल हैं (पेंसिल शार्पनर से भिन्न)

375.	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, रिकमर, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह के रसोई या टेबलवेयर
376.	8301	आधार धातु से बने पैडलॉक और ताले (कुंजी, संयोजन या विद्युत चालित); आधार धातु से बने ताले सहित क्लैस्प और क्लैस्प फ्रेम; आधार धातु से बने उपरोक्त वस्तुओं में से किसी की भी कुंजियाँ,
377.	8302	फर्नीचर, दरवाजें, सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ, ब्लाइंड, कोचवर्क, सैडलरी, ट्रंक, चेस्ट, कास्केट या इसी तरह की अन्य चीजों के लिए उपयुक्त बेस मेटल माउंटिंग, फिटिंग्स और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ; बेस मेटल हैट-रैक, हैट-पेग, ब्रैकेट और इसी तरह की अन्य फिक्चर्स; बेस मेटल के माउंटिंग वाले कैस्टर; बेस मेटल के स्वचालित दरवाजा क्लोजर
378.	8303	आधार धातु से बने बख्तरबंद या सुदृढ़ तिजोरियाँ, मजबूत बक्से और दरवाजे तथा सुरक्षित जमा लॉकर, नकदी या विलेख बक्से और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ
379.	8304	फाइलिंग कैबिनेट, कार्ड-इंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर रेस्ट, पेन ट्रे, ऑफिस-स्टाम्प स्टैंड और इसी तरह के कार्यालय या डेस्क उपकरण, आधार धातु से बने, शीर्ष 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न
380.	8305	ढीले-पत्ते बाइंडरों या फाइलों, लेटर क्लिप, लेटर कॉर्नर, पेपर क्लिप, इंडेक्सिंग टैग और इसी तरह के कार्यालय लेखों के लिए फिटिंग, आधार धातु से बने; स्ट्रिप्स में स्टेपल (उदाहरण के लिए, कार्यालयों, असबाब, पैकेजिंग के लिए), आधार धातु से बने
381.	8307	आधार धातु की लचीली ट्यूबिंग, फिटिंग के साथ या बिना
382.	8308	आधार धातु से बने क्लैप्स, क्लैप्स, बकल, बकल-क्लैप, हुक, आई, आईलेट आदि सहित फ्रेम, जिनका उपयोग वस्त्र या वस्त्र सहायक सामग्री, जूते, आभूषण, कलाई घड़ी, पुस्तकें, शामियाना, चमड़े के सामान, यात्रा के माल या काठी या अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है; आधार धातु से बने ट्यूबलर या द्विभाजित रिवेट्स; आधार धातु से बने मोती और स्पैंगल्स
383.	8309	आधार धातु से बने स्टॉपर, कैप और ढक्कन (क्राउन कॉर्क, स्कू कैप और पोरिंग स्टॉपर सहित), बोतलों के लिए कैप्सूल, थ्रेडेड बंग, बंग कवर, सील और अन्य पैकिंग सहायक उपकरण
384.	8310	आधार धातु से बनी साइन-प्लेटें, नाम-प्लेटें, पता-प्लेटें और इसी प्रकार की प्लेटें, संख्याएँ, अक्षर और अन्य प्रतीक, शीर्ष 9405 को छोड़कर
385.	8311	आधार धातु या धातु कार्बाइड से बने तार, छड़, ट्यूब, प्लेट, इलेक्ट्रोड और इसी प्रकार के उत्पाद, पलक्स सामग्री से लेपित या कोरयुक्त, धातु या धातु कार्बाइड के सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या निक्षेपण के लिए प्रयुक्त; धातु छिड़काव के लिए प्रयुक्त, एकत्रित आधार धातु पाउडर से बने तार और छड़
386.	84	केवल या मुख्य रूप से 15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
387.	84 या 85	केवल या मुख्य रूप से बिजली चालित पंपों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग, जो मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि अपकेंद्री पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप
388.	8401	परमाणु रिएक्टर; आइसोटोप पृथक्करण के लिए मशीनरी और उपकरण
389.	8402	भाप या अन्य वाष्प उत्पन्न करने वाले बॉयलर (केंद्रीय हीटिंग गर्म पानी बॉयलर से भिन्न जो कम दबाव भाप उत्पन्न करने में भी सक्षम हैं); अति-उष्ण जल बॉयलर
390.	8403	केंद्रीय हीटिंग बॉयलर (शीर्ष 8402 से भिन्न)
391.	8404	शीर्ष 8402 या 8403 के बॉयलरों के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र (उदाहरण के लिए, इकोनोमाइज़र, सुपर-हीटर, सूट रिमूवर, गैस रिकवरीर); भाप या अन्य वाष्प विद्युत इकाइयों के लिए कंडेनसर
392.	8405	उत्पादक गैस या जल गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना; एसिटिलीन गैस जनरेटर और इसी प्रकार के जल प्रक्रिया गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना
393.	8406	भाप टर्बाइन और अन्य वाष्प टर्बाइन

394.	8407	स्पार्क-इग्निशन रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन खविमान इंजन से भिन्न,
395.	8408	संपीडन-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)
396.	8409	शीर्ष 8407 या 8408 के इंजनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
397.	8410	हाइड्रोलिक टर्बाइन, जल पहिये और उनके नियामक
398.	8411	टर्बो-जेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन [विमान इंजन से भिन्न]
399.	8412	अन्य इंजन और मोटर (टर्बो जेट, हाइड्रोलिक पावर इंजन और मोटर, न्यूमेटिक पावर इंजन और मोटर, अन्य भागों से भिन्न प्रतिक्रिया इंजन) [पवन टरबाइन या इंजन से भिन्न]
400.	8413	(क) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (ख) अन्य रोटरी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (ग) मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए पावर संचालित पंप, अर्थात्, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, पनडुब्बी पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप]; फिलिंग स्टेशनों या गैरेज में उपयोग किए जाने वाले ईंधन या स्नेहक वितरित करने के लिए पंप [8413 11], आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहन या शीतलन माध्यम पंप [8413 30]
401.	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; पंखे सहित वेंटिलेशन या रिसाइक्लिंग हुड, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं; गैस-तंग जैविक सुरक्षा कैबिनेट, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं [साइकिल पंप, अन्य हैंड पंप और वायु या निर्वात पंप के भागों और साइकिल पंप के कम्प्रेसर से भिन्न]
402.	8414 10 20	साइकिल पंप
403.	84 90 12	साइकिल पंपों के वायु या वैक्यूम पंप और कम्प्रेसर के पुर्जे
404.	8415	एयर कंडीशनिंग मशीनें, जिनमें मोटर चालित पंखा और तापमान और आर्द्रता को बदलने के लिए तत्व शामिल हैं, जिनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जिनमें आर्द्रता को अलग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है
405.	8416	तरल ईंधन, चूर्णित ठोस ईंधन या गैस के लिए भट्टी बर्नर; यांत्रिक स्टोकर, उनके यांत्रिक ग्रेट, यांत्रिक राख निस्सारक और इसी तरह के उपकरणों सहित
406.	8417	औद्योगिक या प्रयोगशाला भट्टियां और ओवन, भस्मक सहित, गैर-विद्युत
407.	8418	रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य प्रशीतन या हिमीकरण उपकरण, विद्युत या अन्य; हीट पंप, शीर्ष 8415 की वातानुकूलन मशीनों से भिन्न
408.	8419 [8419 12 से भिन्न]	मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे विद्युत रूप से गर्म किए गए हों या नहीं (शीर्ष 8514 के भट्टियों, ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर), तापमान में परिवर्तन जैसे कि गर्म करना, पकाना, भूनना, आसवन, सुधारना, जीवाणुरहित करना, पाश्चुरीकरण, भाप देना, सुखाना, वाष्पित करना, वाष्पीकृत करना, संघनित करना या ठंडा करना जैसी प्रक्रिया द्वारा सामग्री के उपचार के लिए, घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी या संयंत्र से भिन्न; तात्कालिक या भंडारण जल हीटर, गैर-विद्युत [सौर जल हीटर और प्रणाली से भिन्न]
409.	8420	धातु या कांच के लिए कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीनें, और उनके सिलेंडर [हाथ से संचालित रबर रोलर से भिन्न]
410.	8421	सेंट्रीफ्यूज, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी शामिल हैं; तरल पदार्थ या गैसों के लिए फिल्टरिंग या शुद्धिकरण मशीनरी और उपकरण
411.	8422	बर्तन धोने की मशीनें, घरेलू [8422 11 00] और अन्य [8422 19 00]; बोतलों या अन्य कंटेनरों को साफ करने या सुखाने के लिए मशीनरी; बोतलों, डिब्बों, बक्खों, थैलों या अन्य कंटेनरों को भरने, बंद करने, सील करने या लेबल लगाने के लिए मशीनरी; बोतलों, जार, ट्यूबों और इसी तरह के कंटेनरों को कैप्सूल करने के लिए मशीनरी; अन्य पैकिंग या लपेटने की मशीनरी (ताप-सिकुड़ने वाली लपेटने की मशीनरी सहित); पेय पदार्थों को वातित करने के लिए मशीनरी
412.	8423	तौल मशीनें (5 सेंटीग्राम या उससे अधिक संवेदनशीलता वाली तुलाओं को छोड़कर), तौल से संचालित गिनती या जाँच मशीनों सहित; सभी प्रकार की तौल मशीनें

413.	8424	तरल पदार्थ या पाउडर को प्रक्षेपित करने, फैलाने या छिड़कने के लिए यांत्रिक उपकरण (हाथ से संचालित हो या न हो); अग्निशामक यंत्र, चार्ज किए गए हो या न हो; स्प्रे गन और इसी तरह के उपकरण; भाप या रेत ब्लास्टिंग मशीन और इसी तरह की जेट प्रक्षेपित करने वाली मशीनें [स्प्रिंकलर से भिन्न; ड्रिप सिंचाई प्रणालियां जिनमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर; ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रिंकलर के लिए नोजल]
414.	8425	पुली टैकल और होइस्ट, स्किप होइस्ट से भिन्न; विंच और कैपस्टन; जैक
415.	8426	जहाज के डेरिक; केबल क्रेन सहित क्रेन; मोबाइल लिफ्टिंग फ्रेम, स्ट्रैडल कैरियर और क्रेन से सुसज्जित कार्य ट्रक
416.	8427	फोर्क-लिफ्ट ट्रक; उठाने या हंडलिंग उपकरण से सुसज्जित अन्य कार्य ट्रक
417.	8428	अन्य उठाने, संभालने, लादने या उतारने वाली मशीनरी (उदाहरण के लिए, लिफ्ट, एस्केलेटर, कन्वेयर, टेलीफेरिक्स)
418.	8429	स्व-चालित बुलडोजर, एंगल्डोजर, ग्रेडर, लेवलर, स्कूपर, मैकेनिकल शॉवेल, उत्खननकर्ता, शॉवेल लोडर, टैम्पिंग मशीन और रोड रोलर
419.	8430	मिट्टी, खनिज या अयस्कों के लिए अन्य गतिशील, ग्रेडिंग, समतलीकरण, खुरचना, उत्खनन, टैपिंग, कॉम्पैक्टिंग, निष्कर्षण या बोरिंग मशीनरी; पाइलड्राइवर और पाइल-एक्सट्रैक्टर; बर्फ हटाने वाले हल और बर्फ हटाने वाले यंत्र
420.	8431	शीर्ष 8425 से 8430 की मशीनरी के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
421.	8433	अण्डों, फलों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, शीर्ष 8437 की मशीनरी से भिन्न; उसके भाग [8433 90 00]
422.	8434	दूध देने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी
423.	8435	वाइन, साइडर, फलों के रस या इसी तरह के पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त प्रेस, क्रशर और इसी तरह की मशीनरी
424.	8437	बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त मशीनें, कृषि प्रकार की मशीनरी और उनके भागों से भिन्न।
425.	8438	खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या विनिर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, पशु या स्थिर वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा या तेलों के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी से भिन्न
426.	8439	रेशेदार सेल्युलॉसिक सामग्री की लुगदी बनाने या कागज या पेपरबोर्ड बनाने या परिष्करण के लिए मशीनरी
427.	8440	पुस्तक-बाइंडिंग मशीनरी, जिसमें पुस्तक-सिलाई मशीनें भी शामिल हैं
428.	8441	कागज की लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड बनाने के लिए अन्य मशीनरी, जिसमें सभी प्रकार की कटिंग मशीनें भी शामिल हैं
429.	8442	प्लेट, मुद्रण घटक तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ष 8456 से 8465 की मशीनों से भिन्न); प्लेट, सिलेंडर और लिथोग्राफिक पत्थर, मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार (उदाहरण के लिए, समतल, दानेदार या पॉलिश किए हुए)
430.	8443	शीर्ष 8442 के प्लेटों, सिलेंडरों और अन्य मुद्रण घटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए प्रयुक्त मुद्रण मशीनरी; अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीनें और प्रतिकृति मशीनें, चाहे संयुक्त हों या नहीं; उनके पुर्जों और सहायक उपकरण
431.	8444	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री को निकालने, चित्रित करने, बनावट देने या काटने के लिए मशीनें
432.	8445	कपड़ा रेशे तैयार करने के लिए मशीनें; कपड़ा धागा बनाने के लिए कताई, दोहरीकरण या घुमाव मशीनें और अन्य मशीनरी; कपड़ा रीलिंग या वाइंडिंग (वेपट-वाइंडिंग सहित) मशीनें और शीर्ष 8446 या 8447 की मशीनों पर उपयोग के लिए कपड़ा धागा तैयार करने के लिए मशीनें
433.	8446	बुनाई मशीनें (करघे)

434.	8447	बुनाई मशीनें, सिलाई-बंधन मशीनें और गिम्ड यार्न, ट्यूल, लेस, कढ़ाई, ट्रिमिंग, ब्रैड या नेट बनाने के लिए मशीनें और टपिंग के लिए मशीनें
435.	8448	शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरण के लिए, डॉबी, जैक्वार्ड, स्वचालित स्टॉप मोशन, शटल बदलने की प्रणाली); इस शीर्ष या शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, स्पिंडल और स्पिंडल फ्लायर्स, कार्ड क्लोथिंग, कंधे, एक्सट्रूडिंग निपल्स, शटल, हील्ड और हील्ड फ्रेम, होजरी सुइयां)
436.	8449	टुकड़े या आकार में फेल्ड या नॉनवोवन के निर्माण या परिष्करण के लिए मशीनरी, जिसमें फेल्ड हैट बनाने के लिए मशीनरी शामिल है; हैट बनाने के लिए ब्लॉक
437.	8450	घरेलू या कपड़े धोने वाली वाशिंग मशीनें, जिनमें धोने और सुखाने वाली मशीनें भी शामिल हैं
438.	8451	कपड़े धोने, साफ करने, निचोड़ने, सुखाने, इस्त्री करने, दबाने (फ्यूजिंग प्रेस सहित), ब्लीचिंग, रंगाई, ड्रेसिंग, फिनिशिंग, कोटिंग या कपड़ा धागों, कपड़ों या तैयार कपड़ा वस्तुओं को संसेचित करने के लिए मशीनरी (शीर्ष 8450 की मशीनों से भिन्न) और आधार कपड़े या लिनोलियम जैसे फर्श कवरेज के निर्माण में प्रयुक्त अन्य सहारे पर पेस्ट लगाने के लिए मशीनें; कपड़ा कपड़ों को रीलिंग, अनरीलिंग, फोल्डिंग, कटिंग या पिंकिंग करने के लिए मशीनें
439.	8453	खाल, चमड़े या चमड़ा तैयार करने, उसे रंगने या उस पर काम करने या जूते या खाल, चमड़े या चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं बनाने या उनकी मरम्मत करने के लिए मशीनरी, सिलाई मशीनों से भिन्न
440.	8454	कन्वर्टर, लैडल, इन्गॉट मोल्ड और कास्टिंग मशीनें, एक प्रकार की जो धातु विज्ञान या धातु ढलाईघरों में उपयोग की जाती हैं
441.	8455	धातु-रोलिंग मिलें और उनके रोल
442.	8456	किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा काम करने के लिए मशीन-टूल्स
443.	8457	धातु पर काम करने के लिए मशीनिंग केंद्र, इकाई निर्माण मशीनें (एकल स्टेशन) और बहु-स्टेशन स्थानांतरण मशीनें
444.	8458	धातु हटाने के लिए खराद (टर्निंग सेंटर सहित)
445.	8459	ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, थ्रेडिंग या धातु हटाकर टैपिंग के लिए मशीन-टूल्स (वे-टाइप यूनिट हेड मशीनों सहित), शीर्ष 8458 के खराद (टर्निंग सेंटर सहित) से भिन्न
446.	8460	धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, चमकाने, लैपिंग करने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, या पीसने वाले पत्थरों, अपघर्षकों या पॉलिशिंग उत्पादों के माध्यम से धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, शीर्ष 8461 के गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण मशीनों से भिन्न
447.	8461	समतलीकरण, आकार देने, खांचा बनाने, ब्रोचिंग, गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण, काटने, काटने और धातु या सेमेट को हटाकर काम करने वाले अन्य मशीन-टूल, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
448.	8462	फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई फोर्जिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) (रोलिंग मिलों को छोड़कर); झुकने, मोड़ने, सीधा करने, चपटा करने, कतरने, छिद्रण, नोचिंग या निबलिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन और कट-टू-लेंथ लाइन सहित) (ड्रॉ-बेंच को छोड़कर); धातु या धातु कार्बाइड पर काम करने के लिए प्रेस, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं
449.	8463	सामग्री को हटाए बिना धातु या सेमेट्स पर काम करने के लिए अन्य मशीन-टूल्स
450.	8464	पत्थर, चीनी मिट्टी, कंक्रीट, एस्बेस्टस-सीमेंट या इसी तरह के खनिज पदार्थों पर काम करने के लिए या कांच पर ठंडे काम करने के लिए मशीन-टूल

451.	8465	लकड़ी, कॉर्क, हड्डी, कठोर रबर, कठोर प्लास्टिक या इसी तरह की कठोर सामग्रियों पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (कील ठोकने, स्टेपल लगाने, चिपकाने या अन्यथा संयोजन करने वाली मशीनों सहित)
452.	8466	शीर्ष 8456 से 8465 तक की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण जिनमें शामिल हैं: कार्य या उपकरण धारक, स्वतः खुलने वाले डाईहेड, विभाजक शीर्ष और मशीनों के लिए अन्य विशेष अनुलग्नक; हाथ से काम करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण के लिए उपकरण धारक
453.	8467	हाथ से काम करने के लिए उपकरण, वायवीय, हाइड्रोलिक या स्व-निहित विद्युत या गैर-विद्युत मोटर के साथ
454.	8468	सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए मशीनरी और उपकरण, चाहे काटने में सक्षम हों या नहीं, शीर्ष 8515 के अधीन आने वाले उपकरणों को छोड़कर; गैस चालित सतह टेम्परिंग मशीनें और उपकरण
455.	8470	गणना मशीनें और पॉकेट आकार के डेटा रिकॉर्डिंग, गणना कार्यों के साथ पुनरुत्पादन और प्रदर्शन मशीनें; लेखा मशीनें, डाक-फ्रैंकिंग मशीनें, टिकट जारी करने वाली मशीनें और इसी तरह की मशीनें, एक गणना उपकरण को शामिल करना; कैश रजिस्टर
456.	8471	स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीनें और उनकी इकाइयाँ; चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर, कोडित रूप में डेटा मीडिया पर डेटा को लिखने के लिए मशीनें और ऐसे डेटा को संसाधित करने के लिए मशीनें, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
457.	8472	अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरण के लिए, हेक्टोग्राफ या स्टेंसिल डुप्लिकेटिंग मशीनें, एड्रेसिंग मशीनें, स्वचालित बैंकनोट डिस्पेंसर, सिक्का छंटाई मशीनें, सिक्का गिनने या लपेटने वाली मशीनें, पेंसिल शार्पनिंग मशीनें, छिद्रण या स्टेपलिंग मशीनें) ख़बल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या गैर-इलेक्ट्रिक से भिन्न,
458.	8473	भाग और सहायक उपकरण (क्वर, कैरी केस और इसी तरह की अन्य वस्तुओं से भिन्न) जो केवल या मुख्य रूप से शीर्ष 8470 से 8472 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
459.	8474	ठोस (पाउडर या पेस्ट सहित) रूप में मिट्टी, पत्थर, अयस्कों या अन्य खनिज पदार्थों को छांटने, छानने, अलग करने, धोने, कुचलने, पीसने, मिलाने या गूँथने के लिए मशीनरी; ठोस खनिज ईंधन, सिरमिक पेस्ट, कठोर न किए गए सीमेंट, प्लास्टर सामग्री या अन्य खनिज उत्पादों को पाउडर या पेस्ट के रूप में एकत्रित करने, आकार देने या ढालने के लिए मशीनरी; रेत के ढलाई सांचे बनाने के लिए मशीनें
460.	8475	कांच के लिफाफों में विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक लैंप, ट्यूब या वाल्व या फ्लैश बल्ब को जोड़ने के लिए मशीनें; कांच या कांच के बर्तनों के निर्माण या गर्म कार्य के लिए मशीनें
461.	8476	स्वचालित माल बेचने वाली मशीनें (उदाहरण के लिए, डाक टिकट, सिगरेट, खाद्य या पेय पदार्थ बेचने वाली मशीनें), जिनमें पैसे बदलने वाली मशीनें भी शामिल हैं
462.	8477	रबर या प्लास्टिक पर काम करने या इन सामग्रियों से उत्पादों के निर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है
463.	8478	तम्बाकू तैयार करने या बनाने की मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है
464.	8479	मशीनें और यांत्रिक उपकरण जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [कंपोस्टिंग मशीनों से भिन्न]
465.	8480	धातु ढलाई के लिए मोल्डिंग बक्से; मोल्ड बेस; मोल्डिंग पैटर्न; धातु के लिए मोल्ड (पिंड मोल्ड से भिन्न), धातु कार्बाइड, कांच, खनिज सामग्री, रबर या प्लास्टिक
466.	8481	पाइप, बॉयलर शेल, टैंक, वैट या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए नल, कॉक, वाल्व और इसी तरह के उपकरण, जिनमें दबाव कम करने वाले वाल्व और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित वाल्व शामिल हैं
467.	8482	बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग
468.	8483	ट्रांसमिशन शाफ्ट (कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सहित) और क्रैंक; बेयरिंग हाउसिंग और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग; गियर और गियरिंग; बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तक, टॉर्क कन्वर्टर सहित; फ्लाईव्हील और पुली, पुली ब्लॉक सहित; क्लच और शाफ्ट कपलिंग (यूनिवर्सल जॉइंट सहित)

469.	8484	धातु शीटिंग के गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़, अन्य सामग्री के साथ या धातु की दो या अधिक परतों के साथ संयुक्त; गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़ों के सेट या वर्गीकरण, संरचना में भिन्न, थैलियों, लिफाफों या इसी प्रकार की पैकिंग में रखे गए; यांत्रिक सील
470.	8485	एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के लिए मशीनें
471.	8486	अर्धचालक बौल्स या वेफर्स, अर्धचालक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट या प्लैट पैनल डिस्प्ले के विनिर्माण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनें और उपकरण; इस अध्याय के < टिप्पण > 11(ग) में विनिर्दिष्ट मशीनें और उपकरण; पुर्जे और सहायक उपकरण
472	8487	मशीनरी के ऐसे भाग जिनमें विद्युत कनेक्टर, इन्सुलेटर, कॉइल, संपर्क या अन्य विद्युत विशेषताएं नहीं हैं जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
473.	84 या 85	ई-अपशिष्ट व्याख्या.- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट से अभिप्राय हैं, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 (भारत के राजपत्र में जी.एस.आर. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित) की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिन्हें उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है।
474.	8501	विद्युत मोटर और जनरेटर (जनरेटिंग सेट को छोड़कर)
475.	8502	विद्युत जनरेटिंग सेट और रोटरी कन्वर्टर
476.	8503	शीर्ष 8501 या 8502 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
477.	8504	विद्युत ट्रांसफार्मर, स्थैतिक कन्वर्टर (उदाहरण के लिए, रेक्टिफायर) और इंडक्टर, विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न
478.	8505	विद्युत-चुम्बक; स्थायी चुम्बक और चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक बनने के लिए प्रयुक्त वस्तुएँ; विद्युत-चुम्बकीय या स्थायी चुम्बक चक, क्लैम्प और इसी प्रकार के धारण उपकरण; विद्युत-चुम्बकीय युग्मन, क्लच और ब्रेक; विद्युत-चुम्बकीय उत्पादक शीर्ष
479.	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियाँ
480.	8507	विद्युत संचायक, <सहित> इसके विभाजक, <चाहे आयताकार हों या नहीं> (वर्गाकार सहित)
481.	8508	निर्वात मार्जक
482.	8509	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घरेलू उपकरण, स्व-निहित विद्युत मोटर के साथ, शीर्ष 8508 के वैक्यूम क्लीनर से भिन्न
483.	8510	शेवर, हेयर क्लिपर और बाल हटाने वाले उपकरण, स्व-निहित इलेक्ट्रिक मोटर के साथ
484.	8511	स्पार्क-इग्निशन या कम्प्रेशन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजनों के लिए प्रयुक्त विद्युत इग्निशन या स्टार्टिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटो, मैग्नेटो-डायनेमो, इग्निशन कॉइल, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर); जनरेटर (उदाहरण के लिए, डायनेमो, अल्टरनेटर) और ऐसे इंजनों के साथ संयोजन में प्रयुक्त कट-आउट
485.	8512	विद्युत प्रकाश या संकेत उपकरण (शीर्ष 8539 के लेखों को छोड़कर), विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्टर और डिमिस्टर, साइकिल या मोटर वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के
486.	8513	अपने स्वयं के ऊर्जा स्रोत (उदाहरण के लिए, सूखी बैटरी, संचायक, मैग्नेटो) द्वारा कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए पोर्टेबल विद्युत लैंप, शीर्ष 8512 के प्रकाश उपकरणों से भिन्न
487.	8514	औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत भट्टियाँ और ओवन (प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा संचालित भट्टियाँ और ओवन सहित); प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा सामग्रियों के ताप उपचार के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपकरण
488.	8515	विद्युत (विद्युतीय रूप से गर्म गैस सहित), लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रॉन बीम, चुंबकीय पल्स या प्लाज्मा आर्क सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग मशीनें और उपकरण, काटने में सक्षम हों या नहीं; धातुओं या सेमेट्स के गर्म छिड़काव के लिए विद्युत मशीनें और उपकरण

489.	8516	विद्युत तात्कालिक या भंडारण जल हीटर और विसर्जन हीटर; विद्युत अंतरिक्ष हीटिंग उपकरण और मिट्टी हीटिंग उपकरण; इलेक्ट्रो थर्मिक हेयरड्रेसिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर, कर्लिंग टोंग हीटर) और हैंड ड्रायर; इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन; घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण [सौर कुकर से भिन्न]; इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रतिरोधक, शीर्ष 8545 से भिन्न
490.	8517	सभी माल
491.	8518	माइक्रोफोन और स्टैंड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवरण में लगे हों या नहीं; हेडफोन और इयरफोन, चाहे वे माइक्रोफोन के साथ लगे हों या नहीं, तथा माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकरों से युक्त सेट; ऑडियो-फ्रीक्वेंसी विद्युत प्रवर्धक; विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट
492.	8519	ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण
493.	8521	वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण, जिसमें वीडियो ट्यूबर शामिल हो या न हो
494.	8522	शीर्ष 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग और सहायक उपकरण
495.	8523	डिस्क, टेप, टोस-अवस्था गैर-वाष्पशील भंडारण उपकरण, "स्मार्ट कार्ड" और ध्वनि या अन्य घटनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए अन्य मीडिया, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं, डिस्क के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस और मास्टर्स सहित, किन्तु अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर प्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, चाहे उनमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हों या नहीं
496.	8524	प्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, चाहे उनमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हों या नहीं
497.	8525	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए संचरण उपकरण, जिसमें रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या न हो; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर [रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो (वॉकी टॉकी) से भिन्न]
498.	8526	रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशनल सहायता उपकरण और रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण
499.	8527	रेडियो प्रसारण के लिए रिसेप्शन उपकरण, (चाहे हो या न हो), एक ही आवास में, ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त
500.	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन सहित), कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन के लिए सेट टॉप बॉक्स; मॉनिटर और प्रोजेक्टर, जिनमें टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण शामिल नहीं हैं, टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, जिनमें रेडियो-प्रसारण रिसेवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हैं या नहीं
501.	8529	शीर्ष 8525 से 8528 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
502.	8530	रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह प्रतिष्ठान या हवाई क्षेत्र (शीर्ष 8608 से भिन्न) के लिए विद्युत सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण
503.	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेत उपकरण (उदाहरण के लिए, घंटियाँ, सायरन, संकेतक पैनल, चोर या अग्नि अलार्म), शीर्ष 8512 या 8530 से भिन्न
504.	8532	विद्युत संधारित्र, स्थिर, परिवर्तनीय या समायोज्य (पूर्व-सेट)
505.	8533	विद्युत प्रतिरोधक (रिओस्टेट और पोटेंशियोमीटर सहित), तापन प्रतिरोधकों से भिन्न
506.	8534 00 00	मुद्रित सर्किट
507.	8535	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने के लिए, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, फ्यूज, तड़ित अवरोधक, वोल्टेज सीमक, सर्ज सप्रेसर, प्लग और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए
508.	8536	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, रिले, फ्यूज, सर्ज सप्रेसर, प्लग, सॉकेट, लैपहोल्डर और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए: ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए कनेक्टर

509.	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक उपकरणों से सुसज्जित बोर्ड, पैनल, कंसोल, डेस्क, कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या उपकरण शामिल हैं, और संख्यात्मक नियंत्रण उपकरण, शीर्ष 8517 के स्विचिंग उपकरण से भिन्न
510.	8538	शीर्ष 8535, 8536 या 8537 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
511.	8539	विद्युत फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप इकाइयां और अल्ट्रा-वायलेट या इन्फ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप
512.	8540	थर्मिओनिक, शीत कैथोड या फोटो-कैथोड वाल्व और ट्यूब (उदाहरण के लिए, वैक्यूम या वाष्प या गैस से भरे वाल्व और ट्यूब, पारा चाप सुधारक वाल्व और ट्यूब, कैथोड-रे ट्यूब, टेलीविजन कैमरा ट्यूब)
513.	8541	अर्धचालक उपकरण (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक आधारित ट्रांसड्यूसर); प्रकाश-संवेदी अर्धचालक उपकरण; प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किए गए हों या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल
514.	8542	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट
515.	8543	विद्युत मशीनें और उपकरण, जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
516.	8544	इंसुलेटेड (इन्सुलेटड या एनोडाइज्ड सहित) तार, केबल (को-एक्सियल केबल सहित) और अन्य इंसुलेटेड विद्युत कंडक्टर, चाहे कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों या नहीं; ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो व्यक्तिगत रूप से शीथ किए गए फाइबर से बने होते हैं, चाहे विद्युत कंडक्टर के साथ इकट्ठे किए गए हों या कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों
517.	8545	कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन ब्रश, लैंप कार्बन, बैटरी कार्बन और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन की अन्य वस्तुएं, धातु के साथ या उसके बिना, विद्युत प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ
518.	8546	किसी भी सामग्री के विद्युत इंसुलेटर
519.	8547	विद्युत मशीनों, उपकरणों या उपकरणों के लिए इंसुलेटिंग फिटिंग्स, जो धातु के किसी छोटे घटक (उदाहरण के लिए, थ्रेडेड सॉकेट) को छोड़कर पूरी तरह से इंसुलेटिंग सामग्री से बनी फिटिंग्स हैं, जिन्हें केवल संयोजन के प्रयोजनों के लिए मोल्डिंग के दौरान शामिल किया गया है, शीर्ष 8546 के इंसुलेटरों से भिन्न; विद्युत कंड्यूट ट्यूबिंग और उनके जोड़, इंसुलेटिंग सामग्री से पंक्तिबद्ध आधार धातु के
520.	8548 00 00	मशीनरी या उपकरण के विद्युत भाग, जो अध्याय 85 में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
521.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्कैप
522.	8601	रेल इंजन बाहरी विद्युत स्रोत या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित होते हैं
523.	8602	अन्य रेल इंजन; इंजन टैंडर; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन और उनके टैंडर
524.	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अधीन आने वाले कोचों को छोड़कर
525.	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे वे स्व-चालित हों या नहीं (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)
526.	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं; सामान वैन, डाकघर डिब्बे और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं (शीर्ष 8604 के डिब्बे को छोड़कर)
527.	8606	रेलवे या ट्रामवे मालवाहक वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं
528.	8607	रेलवे या ट्रामवे इंजन या रोलिंग स्टॉक के भाग; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, धुरी और पहिए, और उनके भाग
529.	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह स्थापना या हवाई क्षेत्र के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वोक्त के भाग

530.	8609	कंटेनर (द्रवों के परिवहन के लिए कंटेनर सहित) विशेष रूप से एक या अधिक परिवहन साधनों द्वारा परिवहन के लिए डिज़ाइन और सुसज्जित [रेफ्रिजरेटेड कंटेनर सहित]
531.	8701	1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टर
532.	8702	दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिसमें चालक भी शामिल है [सार्वजनिक परिवहन में उपयोग के लिए बसें भी शामिल हैं, जो विशेष रूप से जैव-ईंधन पर चलती हैं]
533.	8702 या 8703	ऐसे मोटर वाहन जो एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत किए गए हों, ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित हों
534.	8702, 8703 21 या 8703 22	पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
535.	8702, 8703 31	डीजल चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
536.	8703	निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो, अर्थात्: — (क) पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और (ख) डीजल चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, इस 'शर्त' के अधीन कि भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल का उपयोग अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा
537.	8703	तीन पहिया वाहन
538.	8703 40, 8703 60	निम्नलिखित वाहन, जिनमें स्पाक-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए विद्युत मोटर दोनों हैं; ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित, एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन तीन पहिया वाहन जिन मोटर वाहनों की इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
539.	8703 50, 8703 70	निम्नलिखित वाहन, जिनमें संपीडन-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल या अर्ध-डीजल, और प्रणोदन हेतु विद्युत मोटर दोनों हों; (क) ऐसे मोटर वाहन जिन्हें एम्बुलेंस के रूप में अनुमोदित किया गया हो और जो ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरणों से सुसज्जित हों। तीन पहिया वाहन ऐसे मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
540.	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिनमें प्रशीतित मोटर वाहन भी शामिल हैं

541.	8705	विशेष प्रयोजन मोटर वाहन, «उनसे भिन्न» जो मुख्य रूप से व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (उदाहरण के लिए, ब्रेकडाउन लॉरी, क्रेन लॉरी, अग्निशमन वाहन, कंक्रीट-मिक्सर लॉरी, रोड स्वीपर लॉरी, स्प्रेडिंग लॉरी, मोबाइल वर्कशॉप, मोबाइल रेडियोलॉजिकल यूनिट)
542.	8706	शीर्ष 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए इंजन से सुसज्जित चैसिस
543.	8707	निकाय («कैब सहित») शीर्ष 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए
544.	8708	शीर्ष 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरण [ट्रैक्टरों के निर्दिष्ट पुर्जों से भिन्न]
545.	8709	कार्य ट्रक, स्व-चालित, उठाने या संभालने वाले उपकरणों से सुसज्जित नहीं, माल के अल्प दूरी के परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, गोदी क्षेत्रों या हवाई अड्डों में प्रयुक्त प्रकार के; रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर प्रयुक्त प्रकार के ट्रैक्टर; पूर्वोक्त वाहनों के भाग
546.	8711	मोटरसाइकिलें (मोपेड सहित) और साइकिलें जिनमें 350 सीसी से अधिक की सहायक मोटर नहीं लगी हो, साइड-कार के साथ या उसके बिना; साइड-कार
547.	8714	शीर्ष 8711 के वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरण
548.	8715	शिशु गाड़ियाँ और उनके पुर्जों
549.	8716	ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर; अन्य वाहन, जो यंत्रचालित नहीं हैं; उनके भाग [कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रेलरों से भिन्न, और हस्तचालित वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन]
550.	8801	गुब्बारे और दिरिजिबल्स, ग्लाइडर और अन्य गैर-संचालित विमान
551.	8804	पैराशूट (जिसमें निर्देशित पैराशूट और पैराग्लाइडर शामिल हैं) और रोटोशूट; इसके पुर्जों और सहायक उपकरण और इसके पुर्जों
552.	8805	विमान प्रक्षेपण गियर, डेक अरेस्टर या समान गियर; ग्राउंड फ्लाईंग ट्रेनर और उसके हिस्से
553.	8807	शीर्ष 8801 के माल के पुर्जों
554.	8903	नौकायन नावें और डोंगियाँ
555.	8908 00 00	टूटने के लिए जहाज और अन्य तैरती संरचनाएं
556.	9001	ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर बंडल; शीर्ष 8544 के ऑप्टिकल फाइबर केबलों को छोड़कर; ध्रुवीकरण सामग्री की शीट और प्लेटें, प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री के, अनमाउंटेड, ऑप्टिकली काम न करने वाले कांच के ऐसे तत्वों को छोड़कर
557.	9002	लेंस, प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री से बने, उपकरणों या उपकरणों के भाग या फिटिंग के रूप में, कांच के ऐसे तत्वों से भिन्न जो ऑप्टिकल रूप से काम नहीं करते हैं [इंट्राओक्यूलर लेंस से भिन्न]
558.	9004	चश्मा [सुधारात्मक से भिन्न]; गॉगल्स [सुधारात्मक से भिन्न]
559.	9005	दूरबीन, एकोशिकीय, अन्य प्रकाशीय दूरदर्शी और उनके लिए माउंटिंग; अन्य खगोलीय उपकरण और उनके लिए माउंटिंग, किन्तु रेडियो-खगोल विज्ञान के लिए उपकरण शामिल नहीं हैं
560.	9006	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक से भिन्न) कैमरे; फोटोग्राफिक फ्लैशलाइट उपकरण और फ्लैशबल्ब, शीर्ष 8539 के डिस्चार्ज लैंप से भिन्न
561.	9007	सिनेमैटोग्राफिक कैमरे और प्रोजेक्टर, चाहे उनमें ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं
562.	9008	छवि प्रोजेक्टर, सिनेमैटोग्राफिक से भिन्न; फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक से भिन्न) एन्लार्जर और रिड्यूसर
563.	9010	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक सहित) प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; नेगेटोस्कोप; प्रोजेक्शन स्क्रीन
564.	9011	संयुक्त प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, जिनमें फोटोमाइक्रोग्राफी, सिनेफोटोमाइक्रोग्राफी या माइक्रोप्रोजेक्शन के लिए उपयोग होने वाले भी शामिल हैं
565.	9012	प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से भिन्न अन्य सूक्ष्मदर्शी; विवर्तन उपकरण

566.	9013	लेज़र, लेज़र डायोड से भिन्न; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
567.	9014	दिशा-निर्देशक कम्पास; अन्य दिशासूचक उपकरण और यंत्र
568.	9015	सर्वेक्षण (फोटोग्रामेट्रिकल सर्वेक्षण सहित), जल सर्वेक्षण, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान या भूभौतिकीय उपकरण और उपकरण, कम्पास को छोड़कर; रेंजफाइंडर
569.	9016	5 cg या उससे बेहतर संवेदनशीलता का संतुलन, भार के साथ या बिना
570.	9017	ड्राईंग, मार्किंग या गणितीय गणना करने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्रापिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल, डिस्क कैलकुलेटर); हाथ में उपयोग के लिए लंबाई मापने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, मापने वाली छड़ें और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
571.	9022	एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों से भिन्न], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सीयां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं शामिल हैं
572.	9023	प्रदर्शनात्मक प्रयोजनों (उदाहरण के लिए, शिक्षा या प्रदर्शनियों में) के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण, उपकरण और मॉडल, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त
573.	9024	सामग्रियों (उदाहरण के लिए, धातु, लकड़ी, वस्त्र, कागज, प्लास्टिक) की कठोरता, शक्ति, संपीड़नशीलता, लोच या अन्य यांत्रिक गुणों के परीक्षण के लिए मशीनें और उपकरण
574.	9025	हाइड्रोमीटर और इसी तरह के तैरने वाले उपकरण, थर्मामीटर, पाइरोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर, रिकॉर्डिंग करने वाले या न करने वाले, और इन उपकरणों का कोई भी संयोजन [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर से भिन्न]
575.	9026	तरल पदार्थों या गैसों के प्रवाह, स्तर, दबाव या अन्य चरों को मापने या जांचने के लिए उपकरण और तंत्र (उदाहरण के लिए, प्रवाह मीटर, स्तर गेज, मैनोमीटर, ताप मीटर), शीर्ष 9014, 9015, 9028 या 9032 के उपकरणों और तंत्रों को छोड़कर
576.	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण और यंत्र (उदाहरण के लिए, पोलरिफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); श्यानता, सरंघता, विस्तार, पृष्ठ तनाव या इसी तरह के मापन या जांच के लिए उपकरण और यंत्र; ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए उपकरण और यंत्र (एक्सपोजर मीटर सहित); माइक्रोटोम [भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरणों और यंत्रों से भिन्न]
577.	9028	गैस, तरल या बिजली आपूर्ति या उत्पादन मीटर, इसके लिए अंशांकन मीटर सहित
578.	9029	क्रांति काउंटर, उत्पादन काउंटर, टैक्सीमीटर, माइलोमीटर, पेडोमीटर और इसी तरह के उपकरण; गति सूचक और टैकोमीटर, शीर्ष 9014 या 9015 से भिन्न; स्ट्रोबोस्कोप
579.	9030	विद्युत मात्राओं को मापने या जांचने के लिए ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य उपकरण और यंत्र, शीर्ष 9028 के मीटरों को छोड़कर; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, ब्रह्मांडीय या अन्य आयनकारी विकिरणों को मापने या पता लगाने के लिए उपकरण और यंत्र
580.	9031	मापने या जांचने वाले उपकरण, उपकरण और मशीनें, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रोफाइल प्रोजेक्टर
581.	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरण और तंत्र
582.	9033	अध्याय 90 की मशीनों, उपकरणों, यंत्रों या उपकरणों के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण (इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं)
583.	9101	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, जिनका केस कीमती धातु से बना हो या जिन पर कीमती धातु चढ़ी हो
584.	9102	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, शीर्ष 9101 के अंतर्गत आने वाली घड़ियों को छोड़कर
585.	9103	घड़ी की गति वाली घड़ियाँ, शीर्ष 9104 की घड़ियों को छोड़कर

586.	9104	वाहनों, विमानों, अंतरिक्ष यानों या जलयानों के लिए उपकरण पैनल घड़ियाँ और इसी प्रकार की घड़ियाँ
587.	9105	अन्य घड़ियाँ
588.	9106	दिन का समय रिकॉर्ड करने वाले उपकरण और समय के अंतराल को मापने, रिकॉर्ड करने या अन्यथा इंगित करने वाले उपकरण, घड़ी या घड़ी की गति के साथ या सिंक्रोनस मोटर के साथ (उदाहरण के लिए, समय-रजिस्टर, समय-रिकॉर्डर)
589.	9107	घड़ी या घड़ी की गति या तुल्यकालिक मोटर के साथ समय स्विच
590.	9108	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
591.	9109	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
592.	9110	पूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असंयोजित या आंशिक रूप से असेंबल (मूवमेंट सेट); अपूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असेंबल; कच्ची घड़ी या घड़ी मूवमेंट
593.	9111	घड़ी के केस और उसके पुर्जे
594.	9112	इस अध्याय के अन्य सामानों के लिए घड़ी के केस और इसी प्रकार के केस, और उनके भाग
595.	9113	घड़ी के पट्टे, घड़ी के बैंड और घड़ी के कंगन, और उनके हिस्से
596.	9114	अन्य घड़ी या घड़ी के पुर्जे
597.	9201	पियानो, जिसमें स्वचालित पियानो, हार्पसी-कॉर्ड और अन्य कुंजीपटल तार वाले वाद्य यंत्र शामिल हैं
598.	9202	अन्य तार वाले संगीत वाद्ययंत्र (उदाहरण के लिए, गिटार, वायलिन, वीणा)
599.	9205	वायु वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, कीबोर्ड पाइप ऑर्गन, अकॉर्डियन, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, बैगपाइप), मेला ग्राउंड ऑर्गन और मैकेनिकल स्ट्रीट ऑर्गन से भिन्न
600.	9206 00 00	ताल वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, ड्रम, ज़ाइलोफोन, सिम्बोल, कैस्टनेट, माराकास)
601.	9207	संगीत वाद्ययंत्र, जिनकी ध्वनि विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है, या बढ़ाई जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, ऑर्गन, गिटार, अकॉर्डियन)
602.	9208	संगीत बॉक्स, मेला ग्राउंड ऑर्गन, यांत्रिक स्ट्रीट ऑर्गन, यांत्रिक गायन पक्षी, संगीत आरी और अन्य संगीत वाद्ययंत्र जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं; सभी प्रकार की डिक्कॉय कॉल; सीटियां, कॉल हॉर्न और अन्य मुंह से बजाए जाने वाले ध्वनि संकेत यंत्र
603.	9209	संगीत वाद्ययंत्रों के भाग (उदाहरण के लिए, संगीत बक्सों के लिए तंत्र) और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, यांत्रिक उपकरणों के लिए कार्ड, डिस्क और रोल); सभी प्रकार के मेट्रोमोम, ट्यूनिंग फोर्क और पिच पाइप
604.	9301	सैन्य हथियार (रिवॉल्वर, पिस्तौल से भिन्न)
605.	9303	अन्य आग्नेयास्त्र और इसी प्रकार के उपकरण जो विस्फोटक चार्ज के फायर द्वारा संचालित होते हैं (उदाहरण के लिए, खेल शॉटगन और राइफल, थूथन-लोडिंग आग्नेयास्त्र, बहुत पिस्तौल और अन्य उपकरण जो केवल सिग्नल फ्लेयर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खाली गोला बारूद फायर करने के लिए पिस्तौल और रिवॉल्वर, कैप्टिव-बोल्ट मानव हत्यारे, लाइन-थ्रोइंग बंदूकें)
606.	9304	अन्य हथियार (उदाहरण के लिए, स्प्रिंग, वायु या गैस बंदूकें और पिस्तौल, ट्रंचियन), शीर्ष 9307 के हथियारों को छोड़कर
607.	9305	शीर्ष 9301 से 9304 तक की वस्तुओं के पुर्जे और सहायक उपकरण
608.	9306	बम, ग्रेनेड, टारपीडो, बारूदी सुरंगें, मिसाइलें और युद्ध के समान हथियार और उनके हिस्से; कारतूस और अन्य गोला-बारूद और प्रक्षेपास्त्र और उनके हिस्से, जिनमें गोली और कारतूस के बंडल भी शामिल हैं
609.	9307	तलवारें, कटी हुई लेस, संगीनें, बरछे और इसी प्रकार के हथियार और उनके भाग तथा उनके म्यान और म्यान
610.	9401 [9401 10 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 की सीटों से भिन्न), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, जिनमें मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटें शामिल हैं, विमानों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों से भिन्न

611.	9402	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा फर्नीचर (उदाहरण के लिए, ऑपरेशन टेबल, जांच टेबल, यांत्रिक फिटिंग वाले अस्पताल के बिस्तर, दंत चिकित्सकों की कुर्सियाँ); नाई की कुर्सियाँ और इसी तरह की कुर्सियाँ, जिनमें घूमने के साथ-साथ झुकने और ऊपर उठने की भी व्यवस्था हो; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग
612.	9403	अन्य फर्नीचर [पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बने फर्नीचर से भिन्न] और उसके हिस्से
613.	9404	गद्दे के सहारे; बिस्तर और इसी तरह की साज-सज्जा की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, गद्दे, रजाई, ईडरडाउन, कुशन, पाउफ और तकिए) जो स्प्रिंग से लगे हों या किसी सामग्री से भरे हों या आंतरिक रूप से लगे हों या सेलुलर रबर या प्लास्टिक से बने हों, ढके हुए हों या नहीं [कॉयर उत्पादों से भिन्न (कॉयर गद्दे को छोड़कर), पूरी तरह से रजाई वाले कपड़ा सामग्री से बने उत्पाद जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो और सूती रजाई जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो]
614.	9405	लुमिनेयर और प्रकाश फिटिंग जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उनके हिस्से शामिल हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नामपट्टिकाएं और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जिनमें स्थायी रूप से स्थिर प्रकाश स्रोत होता है, और उनके हिस्से जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्से जिनमें गैस मेंटल शामिल हैं, हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोलैक्स, कांच की चिमनी और उसके हिस्से से भिन्न]
615.	9406	पूर्वनिर्मित इमारतें
616.	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे तिपहिया वाहन, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित)
617.	9504	वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएं, टेबल या पार्लर गेम, जिसमें पिंटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसीनो गेम्स के लिए विशेष टेबल और स्वचालित बॉलिंग एली उपकरण शामिल हैं [इससे भिन्न ताश, गंजीफा कार्ड, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और लूडो जैसे अन्य बोर्ड गेम इत्यादि]
618.	9505	उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन संबंधी लेख, जिनमें जादू-टोने और नए चुटकुले शामिल हैं
619.	9506	मालय शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्विमिंग पूल और पैडिंग पूल के लिए सामग्री और उपकरण [खेल के सामान से भिन्न]
620.	9508	यात्रा करने वाले सर्कस और यात्रा करने वाले चिड़ियाघर; मनोरंजन पार्क की सवारी और जल मनोरंजन; मेला स्थल मनोरंजन, शूटिंग गैलरी सहित; यात्रा करने वाले थिएटर
621.	9602	संसाधित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन या मॉडलिंग पेस्ट से बनी ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, और अन्य ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; संसाधित, कठोरीकृत जिलेटिन (शीर्ष 3503 के जिलेटिन को छोड़कर) और कठोरीकृत जिलेटिन से बनी वस्तुएं
622.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	बटन, प्लास्टिक के बने, कपड़ा सामग्री से ढके नहीं, आधार धातु के, नारियल के खोल के बटन, बटन ब्लैक
623.	9603 [9603 10 00 और 9603 21 00 के अलावा]	ब्रश (जिनमें मशीनों, उपकरणों या वाहनों के भाग बनाने वाले ब्रश शामिल हैं), हाथ से चलने वाले यांत्रिक फर्श स्वीपर, मोटर चालित नहीं, मोप्स और पंख डस्टर; झाड़ू या ब्रश बनाने के लिए तैयार गांठें और गुच्छे; पेंट पैड और रोलर्स; स्क्वीजी (रोलर स्क्वीजी से भिन्न) [झाड़ू और ब्रश से भिन्न, जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्रियों से बने होते हैं, हैंडल के साथ या बिना, और टूथ ब्रश जिनमें डेंटल-प्लेट ब्रश शामिल हैं]
624.	9604 00 00	हाथ की छलनी और हाथ की पहेलियाँ
625.	9605	व्यक्तिगत शौचालय, सिलाई या जूते या कपड़े साफ करने के लिए यात्रा सेट

626.	9608	बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ड टिप वाले और अन्य छिद्रयुक्त टिप वाले पेन और मार्कर; फाउंटैन पेन; स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलो; पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और इसी प्रकार के होल्डर; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के भागों को छोड़कर
627.	9610 00 00	बोर्ड, लेखन या चित्रांकन सतह के साथ, «फ्रेमयुक्त हो या नहीं»
628.	9611	दिनांक, सील या संख्यांकन टिकटें, और इसी तरह की अन्य वस्तुएं (लेबल मुद्रित करने या उभारने के लिए उपकरण सहित), जिन्हें हाथ से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; हाथ से संचालित कम्पोज़िंग स्टिक और ऐसी कम्पोज़िंग स्टिक को शामिल करने वाले हाथ से मुद्रण सेट
629.	9612	टाइपराइटर या इसी तरह के रिबन, स्याही लगे हुए या अन्यथा छाप देने के लिए तैयार, स्पूल पर या कार्ट्रिज में «चाहे हों या नहीं»; इंक-पैड, स्याही लगे हुए हों या नहीं, बॉक्स के साथ या उसके बिना
630.	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या विद्युतीय हों या नहीं, और उनके भाग चकमक पत्थर या बत्ती से भिन्न
631.	9616	सुगंध स्प्रै और इसी प्रकार के शौचालय स्प्रै, तथा उनके लिए माउंट और हेड; सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारियों के प्रयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड
632.	9617	वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम पात्र, पूर्ण; कांच के अंदरूनी भाग से भिन्न उनके अन्य भाग
633.	9618	दर्जी की डमी और अन्य मालय आकृतियाँ; ऑटोमेटा और अन्य एनिमेटेड प्रदर्शन, जिनका उपयोग दुकान की खिड़की को सजाने के लिए किया जाता है
634.	9620 00 00	मोनोपॉड, बाइपॉड, ट्राइपॉड और इसी तरह के अन्य सामान
635.	6801	विनिर्दिष्ट: (1) औद्योगिक संयंत्र, (2) सिंचाई परियोजना, (3) बिजली परियोजना, (4) खनन परियोजना, (5) तेल या अन्य खनिजों की खोज के लिए परियोजना, और (6) ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करें कि मशीनरी की सभी वस्तुएं जिनमें प्राइम मूवर, उपकरण, तंत्र और उपकरण, नियंत्रण गियर और ट्रांसमिशन उपकरण, सहायक उपकरण (अनुसंधान और विकास प्रयोजनों, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण सहित) शामिल हैं, साथ ही सभी घटक (चाहे तैयार हों या नहीं) या उपरोक्त वस्तुओं और उनके घटकों के निर्माण के लिए कच्चा माल, जो किसी इकाई की प्रारंभिक स्थापना, या किसी मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए आवश्यक है, और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चे माल (उपभोज्य माल की अर्ध-तैयार सामग्री सहित) जो ऊपर विनिर्दिष्ट माल के मूल्य के 10% से अधिक नहीं है, बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त पुर्जे, कच्चे माल या उपभोज्य माल ऊपर (1) से (6) में उल्लिखित संयंत्र या परियोजना के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।
636.	6802	प्रयोगशाला रसायन
637.	कोई भी अध्याय	बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का स्थायी हस्तांतरण
638.	कोई भी अध्याय	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की पहली अनुसूची में अध्याय शीर्ष 2523 के अधीन आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट से भिन्न किसी भी माल की आपूर्ति, एक अपजीकृत व्यक्ति द्वारा एक प्रमोटर को परियोजना के निर्माण के लिए, जिस पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (4) के अधीन माल के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रमोटर द्वारा कर भुगतानयोग्य है, जैसा कि हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 49/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2019 में निर्धारित व्याख्या:- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (i) "प्रमोटर"शब्द का वही अर्थ होगा जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खंड (य ट) में उसे दिया गया है। (ii) "प्रोजेक्ट"से अभिप्राय होगा, भू-संपदा प्रोजेक्ट (आरईपी) या आवासीय भू-संपदा प्रोजेक्ट (आरआरईपी) (iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)"शब्द का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खंड (य ढ) में उसे दिया गया है।

		(iv) "आवासीय भू-संपदा प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" से अभिप्राय होगा, आरईपी जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया आरईपी में सभी अपार्टमेंटों के कुल कारपेट एरिया का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। (v) यह प्रविष्टि उन सभी माल पर लागू मानी जाएगी जो इसमें विहित शर्तों को पूरा करती हैं, भले ही वे इस अधिसूचना में कहीं और अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर की गई हों।
639.	कोई भी अध्याय	वे माल जो अनुसूची I, III, IV, V, VI या VII में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
640	9804	आशयित व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी शुल्क योग्य वस्तुएं

अनुसूची III—20 %

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्षक/ उपशीर्षक/ टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	सभी माल (जिसमें वातित जल शामिल), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं
2.	2202 91 00, 2202 99 90	अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय [इस अधिसूचना की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट से भिन्न]
3.	2202 99 90	कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
4.	2202	फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय
5.	8703	मोटर ऑटोमोबाइल और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से लोक के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं (अलग-अलग वे जो शीर्ष 8702 के हैं), जिसमें स्टेशन वैगन और रेसिंग ऑटोमोबाइल शामिल हैं किन्तु अनुसूची में II की क्रम संख्या, 533, 534, 535, 536, 537, 538 और 539 के सामने वर्णित माल को छोड़कर हैं
6.	8703, 40, 8703 60	मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
7.	8703, 50, 8703 70	संपीडन-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल-या अर्ध डीजल, और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाले मोटर वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
8.	8711	350 cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल
9.	8802	निजी उपयोग के लिए विमान
10.	8903	आनंद या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
11.	9302	रिवॉल्वर और पिस्तौल, से भिन्न शीर्ष वाले 9303 या 9304
12.	9614	धूम्रपान पाइप (जिसमें शामिल पाइप बाउल) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उसके हिस्से
13.	कोई भी अध्याय	विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा: व्याख्या: हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2(102क) में परिभाषित "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से अभिप्राय है, निम्नलिखित में या इनके माध्यम से अन्तर्वर्तित अनुयोज्य दावा - (i) सट्टेबाजी; (ii) कैसीनो; (iii) जुआ; (iv) घुड़दौड़; (v) लॉटरी; या (vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;

अनुसूची IV – 1-5%

क्रम संख्या	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7101	मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, चाहे हो या न हो प्रसंस्कृत या श्रेणीबद्ध, किन्तु पिरोए, आरोहित या जड़े नहीं गए; मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए
2.	7105	प्राकृतिक या सिंथेटिक कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों की धूल और पाउडर
3.	7106	चांदी (जिसमें शामिल सोने या प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी), बिना गढ़ी हुई या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
4.	7107	चांदी से आच्छादित आधार धातुएं, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई हैं
5.	7108	सोना (जिसमें शामिल प्लैटिनम से मढ़ा हुआ सोना) बिना गढ़ा हुआ या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
6.	7109	आधार धातु या चांदी, सोने से मढ़ी हुई, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई
7.	7110	प्लैटिनम, बिना गढ़े या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
8.	7111	आधार धातुएँ, चाँदी या सोना, प्लैटिनम से आच्छादित, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं किया गया
9.	7112	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु का अपशिष्ट और स्क्रेप; बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु यौगिक युक्त अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिसका उपयोग मुख्यतः बहुमूल्य धातु की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
10.	7113	बहुमूल्य धातु से बने आभूषण और उनके भाग या बहुमूल्य धातु से मढ़े हुए धातु
11.	7114	सुनार या चांदी के कारीगरों की वस्तुएं और उनके हिस्से, बहुमूल्य धातु से बने या बहुमूल्य धातु से मढ़े हुए
12.	7115	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु से बनी अन्य वस्तुएँ
13.	7116	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों (प्राकृतिक, कृत्रिम या पुनर्निर्मित) से बनी वस्तुएं
14.	7117	नकली आभूषण [लाख/शैलैक की चूड़ियों से भिन्न]
15.	7118	सिक्का

अनुसूची V – 0.125%

क्रम संख्या	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	कच्चे हीरे या केवल आरी से काटे गए हीरे, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक
2.	7103	बहुमूल्य पत्थर (हीरे से भिन्न) और अर्ध-कीमती पत्थर, चाहे वे काम किए गए हों या ग्रेड किए गए हों या नहीं, किन्तु पिरोए, लगाए या सेट नहीं किए गए होय गैर-ग्रेड किए गए बहुमूल्य पत्थर (हीरे से भिन्न) और अर्ध-कीमती पत्थर, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हों
3.	7104	सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न], चाहे काम किया गया हो या ग्रेड किया गया हो या नहीं, किन्तु पिरोया, चढ़ाया या सेट नहीं किया गया होय गैर-ग्रेडेड सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न], परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोया गया होय सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम किए या केवल आरी से काटे गए या मोटे तौर पर आकार दिए गए हों

अनुसूची VI – 0.75%

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची V में क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुएं
2.	7104	अनुसूची V में क्रम संख्या 3 के सामने विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुएं

अनुसूची VII – 14%

क्रम संख्या	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू की पत्तियों से भिन्न]
3.	2402	सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प से बने
4.	2403	अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू; तम्बाकू के अर्क और सुगंध (बीड़ी सहित)
5.	2404 11 00	तम्बाकू या पुनर्गठित तम्बाकू युक्त उत्पाद और बिना दहन के साँस लेने के लिए
6.	2404 19 00	तम्बाकू या निकोटीन के विकल्प वाले उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं

व्याख्या.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(क) अभिव्यक्तियों, —

- "यूनिट कंटेनर" से अभिप्राय है, एक पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिजाइन किया गया हो, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया हो;
- "पूर्व-पैक और लेबल युक्त" से अभिप्राय है, खुदरा बिक्री के लिए सभी वस्तुएं, जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 के खंड (ठ) में परिभाषित अनुसार "पूर्व-पैक" हैं, जहां पैकेज जिसमें वस्तु पूर्व-पैक है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ लेबल है, उस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों घोषणाएं अंकित होनी आवश्यक हैं;
- "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय है, क्रमशः टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय होगा जैसा कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(ख) धारा और अध्याय टिप्पणों तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणों सहित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के निवर्चन के नियम, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना के निवर्चन पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियाँ किन्तु हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 19), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 36 /GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of state tax of-

- (i) 2.5 per cent in respect of goods specified in Schedule I;
- (ii) 9 per cent in respect of goods specified in Schedule II;
- (iii) 20 per cent in respect of goods specified in Schedule III;
- (iv) 1.5 per cent in respect of goods specified in Schedule IV;
- (v) 0.125 per cent in respect of goods specified in Schedule V;
- (vi) 0.75 per cent in respect of goods specified in Schedule VI, and
- (vii) 14 per cent in respect of goods specified in Schedule VII,

given below (hereinafter referred to as the said Schedules) that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedules, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry under column (2) of the said Schedules.

Schedule I – 2.5%

Serial Number	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	Live horses
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
4.	0402	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, including condensed milk
5.	0403	Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa; Pre-packaged and labelled Curd, Lassi and Butter milk
6.	0404	Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
7.	0405	Butter and other fats and oils derived from milk, including ghee; dairy spreads
8.	0406	Cheese, other than chena or paneer
9.	0408	Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
10.	0409	Natural honey, pre-packaged and labelled

11.	0410	Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
12.	0502	Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
13.	0504	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
14.	0505	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers
15.	0507 (Except 050790)	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
16.	0508	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.
17.	0510	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.
18.	0511	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption, other than semen including frozen semen.
19.	07	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jaribooti and dry flower
20.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split pre-packaged and labelled; Guar gum refined split
21.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, pre-packaged and labelled
22.	0801	Cashew nuts, whether or not shelled or peeled, desiccated coconuts; Brazil nuts, dried, whether or not Shelled or Peeled
23.	0802	Dried areca nuts, whether or not shelled or peeled; Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Pine nuts, chestnuts (singhada), Walnuts, whether or not shelled
24.	0802, 0813	Chestnuts (singhada), dried whether or not shelled or peeled
25.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled pre-packaged and labelled
26.	0804	Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried
27.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), dried
28.	0806	Grapes, dried, and raisins
29.	0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
30.	0812	Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

31.	0813	Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind]
32.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
33.	0901	Coffee roasted, whether or not decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion [other than coffee beans not roasted]
34.	0902	Tea, whether or not flavoured [other than unprocessed green leaves of tea]
35.	0903	Maté
36.	0904	Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
37.	0905	Vanilla
38.	0906	Cinnamon and cinnamon-tree flowers
39.	0907	Cloves (whole fruit, cloves and stems)
40.	0908	Nutmeg, mace and cardamoms
41.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [other than of seed quality]
42.	0910 [other than 0910 11 10, 0910 30 10]	Ginger other than fresh ginger, saffron, turmeric (curcuma) other than fresh turmeric, thyme, bay leaves, curry and other spices
43.	1001	Wheat and meslin, pre-packaged and labelled
44.	1002	Rye, pre-packaged and labelled
45.	1003	Barley, pre-packaged and labelled
46.	1004	Oats, pre-packaged and labelled
47.	1005	Maize (corn), pre-packaged and labelled
48.	1006	Rice, pre-packaged and labelled
49.	1007	Grain sorghum, pre-packaged and labelled
50.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, pre-packaged and labelled
51.	1101	Wheat or meslin flour, pre-packaged and labelled
52.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin i.e. maize (corn) flour, Rye flour, etc., pre-packaged and labelled
53.	1103	Cereal groats, meal and pellets, including suji and dalia, pre-packaged and labelled
54.	1104	Cereal grains otherwise worked (for example, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground (other than hulled cereal grains)
55.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes, pre-packaged and labelled
56.	1106	Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 0713)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8, pre-packaged and labelled
57.	1107	Malt, whether or not roasted
58.	1108	Starches; inulin
59.	1109 00 00	Wheat gluten, whether or not dried
60.	12	All goods other than of seed quality
61.	1201	Soya beans, whether or not broken other than of seed quality.

62.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken other than of seed quality.
63.	1203	Copra
64.	1204	Linseed, whether or not broken other than of seed quality.
65.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken other than of seed quality.
66.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken other than of seed quality
67.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, other than of seed quality
68.	1208	Flour and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard
69.	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing
70.	1210 20 00	Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
71.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
72.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included
73.	1301	Natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) [other than lac and shellac]; Compounded asafoetida commonly known as heeng
74.	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products including tamarind kernel powder
75.	1401	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)
76.	1404 [other than 1404 90 40, 1404 90 60]	Vegetable products not elsewhere specified or included such as, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, Rudraksha seeds, bidi wrapper leaves(tendu), Indian katha [other than betel leaves, coconut shell unworked]
77.	1404 or 3305	Mehendi paste in cones
78.	1501	Pig fats (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503
79.	1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503
80.	1503	Lard stearin, lard oil, oleo stearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared
81.	1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified
82.	1505	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)
83.	1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

84.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
85.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
86.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
87.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
88.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
89.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
90.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
91.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
92.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
93.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
94.	1516	Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
95.	1517	Margarine, linolein; Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
96.	1518	Animal, vegetable or microbial fats and oils their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included
97.	1520 00 00	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes
98.	1521	Vegetable waxes (other than triglycerides), Beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
99.	1522	Degras, residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
100.	1601	Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products
101.	1602	Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects
102.	1603	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
103.	1604	Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
104.	1605	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved

105.	1701	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes [other than jaggery of all types, khandsari sugar, rab]
106.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, Khandsari Sugar, Rab, pre-packaged and labelled
107.	1702 or 1704	Palmyra sugar, mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets, gajak, khaja, khajuli, anarsa
108.	1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; caramel
109.	1703	Molasses
110.	1704	Sugar confectionary (including white chocolate), not containing cocoa, sugar boiled confectionary
111.	1801	Cocoa beans whole or broken, raw or roasted
112.	1802	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
113.	1803	Cocoa paste whether or not de-fatted
114.	1804	Cocoa butter, fat and oil
115.	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
116.	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa
117.	1901 20 00	Mixes and doughs for the preparation of bread, pastry and other baker's wares
118.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled; Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included
119.	1902	Seviyan (vermicelli); Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared
120.	1903	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms (sabudana)
121.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki, pre-packaged and labelled
122.	1904	All goods i.e. Corn flakes, bulgar wheat, prepared foods obtained from cereal flakes (other than puffed rice, commonly known as muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki); Fortified Rice Kernel (FRK)
123.	1905	Pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products; Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion; Extruded or expanded products, savoury or salted

124.	1905 40 00	Rusks, toasted bread and similar toasted products
125.	2001	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid
126.	2002	Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
127.	2003	Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
128.	2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006
129.	2005	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006
130.	2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
131.	2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
132.	2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included; such as Ground-nuts, Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted, Other roasted nuts and seeds, squash of Mango, Lemon, Orange, Pineapple or other fruits
133.	2009	Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
134.	2009 89 90	Tender coconut water, pre-packaged and labelled
135.	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
136.	2101 20	All goods i.e Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate
137.	2101 30	Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
138.	2102	Yeasts (active and inactive); other single cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders
139.	2103	All goods, including sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard including Curry paste, mayonnaise and salad dressings
140.	2104	Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
141.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
142.	2106	Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters; Roasted Gram idli/dosa batter, chutney powder; Sweetmeats
143.	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, whether or not pre-packaged and labelled
144.	2106 90 91	Diabetic foods
145.	2106 (other than 21069020)	Food preparations not elsewhere specified or included [other than pan masala]

146.	2201	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured
147.	2201 90 10	Ice and snow
148.	2202 99	Plant-based milk drinks, ready for direct consumption as beverages
149.	2202 99 10	Soya milk drinks, whether or not sweetened or flavoured
150.	2202 99 20	Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]
151.	2202 99 30	Beverages containing milk
152.	2207	Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)
153.	2301	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves
154.	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]
155.	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)
156.	2303	Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets
157.	2304	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil
158.	2305	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
159.	2306	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake and de-oiled rice bran
160.	2307	Wine lees; argol
161.	2309	Fish soluble paste
162.	2401	Tobacco leave
163.	2502	Unroasted iron pyrites
164.	2503	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur
165.	2504	Natural graphite
166.	2505	Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
167.	2506	Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
168.	2507	Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined
169.	2508	Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths
170.	2509	Chalk
171.	2510	Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk

172.	2511	Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816
173.	2512	Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less
174.	2513	Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated
175.	2514	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
176.	2515 [Except 2515 12 20, 2515 12 90] or 6802	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone (other than marble and travertine), alabaster, other than mirror polished stone which is ready to use
177.	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed
178.	2515 12 10	Marble and travertine blocks
179.	2516 [Except 2516 11 00, 2516 12 00]	Porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
180.	2516 11 00	Granite crude or roughly trimmed
181.	2516	Granite blocks
182.	2517	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones heading 2515 or 2516 whether or not heat-treated
183.	2518	Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
184.	2519	Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure
185.	2520	Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders
186.	2521	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.
187.	2522	Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825
188.	2524	Asbestos
189.	2525	Mica, including splitting; mica waste.
190.	2526	Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
191.	2528	Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H ₃ BO ₃ (calculated on dry weight)
192.	2529	Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar
193.	2530	Mineral substances not elsewhere specified or included

194.	2611	Tungsten ores and concentrates
195.	2612	Uranium or thorium ores and concentrates
196.	2613	Molybdenum ores and concentrates
197.	2614	Titanium ores and concentrates
198.	2615	Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates
199.	2616	Precious metal ores and concentrates
200.	2617	Other ores and concentrates
201.	2618	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel
202.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag
203.	2621	Fly Ash
204.	27	Bio-gas
205.	2704	Coke and semi coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
206.	2705	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
207.	2710	(a) Kerosene oil PDS, (b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely, i. IFO 180 CST ii. IFO 380 CST iii. Marine Fuel 0.5% (FO)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited
209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers
210.	28	Thorium oxalate, Enriched KBF ₄ (enriched potassium fluoborate), Enriched elemental boron, Nuclear fuel
211.	28	Anaesthetics, Potassium Iodate, Iodine, Steam
212.	2804 40 10	Medical grade oxygen
213.	2805 11	Nuclear grade sodium
214.	2807	Sulphuric Acid
215.	2808	Nitric acid
216.	2809	Fertilizer grade phosphoric acid
217.	2814	Ammonia
218.	2845	Heavy water and other nuclear fuels
219.	2847	Medicinal grade hydrogen peroxide
220.	2853	Compressed air
221.	28 or 38	Micronutrients, which are covered under serial number 1(g) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985
222.	29 or 3808 93	Gibberellic acid
223.	2906 11 10	Natural Menthol
224.	2906 11 10, 30, 3301	Following goods from Natural Menthol namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil), c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO), e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil

225.	30	Insulin, Cyclosporin, Desferrioxamine injection or deferiprone, Oral re-hydration salts
226.	30 or any Chapter	All Drugs and medicines including their salts and esters and diagnostic test kits; formulations manufactured from bulk drugs [other than those specified at nil at serial number 113 of the the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.37/GST-2, dated the 17 th September, 2025]
227.	30	Diagnostic kits for detection of all types of hepatitis
228.	30	Medicaments (including veterinary medicaments) used in bio-chemic systems
229.	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia
230.	3001	Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included
231.	3002	Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; cell cultures whether or not modified
232.	3002, 3006	Animal or Human Blood Vaccines
233.	3003	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, Siddha, homoeopathic or Bio-chemic systems medicaments
234.	3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, homoeopathic siddha or Bio-chemic systems medicaments, put up for retail sale
235.	3005	Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes
236.	3006	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter i.e. Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable; Waste pharmaceuticals (other than contraceptives); Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes

237.	3101	All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled
238.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
239.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
240.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
241.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers
242.	32	Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract
243.	3202	Enzymatic preparations for pre-tanning
244.	3304	Talcum powder, Face powder
245.	3305	Hair oil, shampoo
246.	3306	Toothpaste
247.	3306 10 10	Tooth powder
248.	3306 20 00	Yarn used to clean between the teeth (Dental floss)
249.	3307	Shaving cream, shaving lotion, aftershave lotion
250.	3307 41 00	Agarbatti, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambraani
251.	3401	Toilet Soap (other than industrial soap) in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes
252.	3402	Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil
253.	3406	Candles, tapers and the like
254.	3503	Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501
255.	3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
256.	3605 00 10	All goods
257.	3701	Photographic plates and film for x-ray for medical use
258.	3705	Photographic plates and films, exposed and developed, other than cinematographic film
259.	3706	Photographic plates and films, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track, other than feature films
260.	3808	The following Bio-pesticides, namely - 1 Bacillus thuringiensis var. israelensis 2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki 3 Bacillus thuringiensis var. galleriae 4 Bacillus sphaericus 5 Trichoderma viride 6 Trichoderma harzianum 7 Pseudomonas fluorescens 8 Beauveria bassiana 9 NPV of Helicoverpa armigera 10 NPV of Spodoptera litura 11 Neem based pesticides 12 Cymbopogon

261.	3816	Dolomite ramming mix
262.	3818	Silicon wafers
263.	3822	All diagnostic kits or reagents including certified reference materials
264.	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel
265.	3926	Feeding bottles, Plastic beads
266.	4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip
267.	4004 00 00	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)
268.	4007	Latex Rubber Thread
269.	4011	Rear Tractor tyres and rear tractor tyre tubes
270.	4011 30 00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft
271.	4011 70 00	Tyre for tractors
272.	4011, 4013	Pneumatic tyres or inner tubes, of rubber, of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws
273.	4013 90 49	Tube for tractor tyres
274.	4014	Nipples of feeding bottles
275.	4015	Surgical rubber gloves or medical examination rubber gloves
276.	4016	Rubber bands
277.	4017	Waste or scrap of hard rubber
278.	4101	Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
279.	4102	Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split
280.	4103	Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
281.	4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared
282.	4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared
283.	4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared
284.	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
285.	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
286.	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114

287.	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
288.	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour
289.	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
290.	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute
291.	4203	Gloves specially designed for use in sports
292.	44 or any Chapter	The following goods, namely: — a. Cement Bonded Particle Board; b. Jute Particle Board; c. Rice Husk Board; d. Glass-fibre Reinforced Gypsum Board (GRG) e. Sisal-fibre Boards; f. Bagasse Board; and g. Cotton Stalk Particle Board h. Particle/fibre board manufactured from agricultural crop residues
293.	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]
294.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
295.	4404	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like
296.	4405	Wood wool; wood flour
297.	4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
298.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [for match splints]
299.	4409	Bamboo flooring
300.	4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
301.	4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
302.	4417	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
303.	4418	Bamboo wood building joinery
304.	4419	Tableware and Kitchenware of wood
305.	4420	Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
306.	4421	Other articles of wood; such as clothes hangers, Spools, cops, bobbins, sewing thread reels and the like of turned wood for various textile machinery, Match splints, Pencil slats, Parts of wood, namely oars, paddles and rudders for ships, boats and other similar floating structures, Parts of domestic decorative articles

		used as tableware and kitchenware [other than Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware]
307.	4501	Natural cork, raw or simply prepared
308.	4502 00 00	Natural cork, debarked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
309.	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
310.	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork
311.	4601, 4602	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork
312.	4701	Mechanical wood pulp
313.	4703	Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades
314.	4704	Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades
315.	4705	Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes
316.	4706	Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material
317.	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard
318.	48	Paper splints for matches, whether or not waxed, Asphaltic roofing sheets
319.	39, 48	Paper Sacks/Bags and bio-degradable bags
320.	4801	Newsprint, in rolls or sheets
321.	4817 30	Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
322.	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, - (a) Corrugated paper or paper boards; or (b) Non-corrugated paper or paper board
323.	4823	Paper pulp moulded trays; Kites, Paper mache articles
324.	4901	Brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets
325.	5004 to 5006	Silk yarn
326.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
327.	5104	Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, shoddy wool
328.	5105	Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed
329.	5106 to 5110	Yarn of wool or of animal hair
330.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
331.	5201 to 5203	Cotton and Cotton waste
332.	5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
333.	5205 to 5207	Cotton yarn [other than khadi yarn]
334.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
335.	5301	All goods i.e. flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garneted stock)
336.	5302	True hemp (<i>Cannabis sativa</i> L), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garneted stock)

337.	5303	All goods i.e. textile bast fibres [other than jute fibres, raw or processed but not spun]; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garneted stock)
338.	5305 to 5308	All goods [other than coconut coir fibre] including yarn of flax, jute, other textile bast fibres, other vegetable textile fibres; paper yarn including coir pith compost pre-packaged and labelled
339.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
340.	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	All goods including synthetic or artificial filament yarns
342.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
343.	5501, 5502	Synthetic or artificial filament tow
344.	5503, 5504, 5506, 5507	Synthetic or artificial staple fibres
345.	5505	Waste of manmade fibres
346.	5508	Sewing thread of manmade staple fibres, whether or not put up for retail sale
347.	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres
348.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
349.	5601	Wadding of textile materials and articles thereof; such as Absorbent cotton wool except cigarette filter rods
350.	5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
351.	5603	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
352.	5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics
353.	5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, including real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread, imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance
354.	5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn
355.	5607	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics including jute twine, coir cordage or ropes
356.	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
357.	5609	Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included, products of coir
358.	5701	Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
359.	5702	Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs
360.	5703	Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up
361.	5704	Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up

362.	5705	Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up; such as Mats and mattings including Bath Mats, where cotton predominates by weight, of Handloom, Cotton Rugs of handloom
363.	5702, 5703, 5705	Coir mats, matting, floor covering and handloom durries
364.	5801	All goods
365.	5802	Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703
366.	5803	Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806
367.	5804	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006
368.	5805	Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up
369.	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)
370.	5807	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered
371.	5808	Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles; saree fall
372.	5809	Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included; such as Zari borders
373.	5809, 5810	Embroidery or zari articles, that is to say,- imi, zari, kasab, salma, dabka, chumki, gota, sitara, naqsi, kora, glass beads, badla, gizai
374.	5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs, Embroidered badges, motifs and the like
375.	5811	Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810
376.	5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
377.	5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon
378.	5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
379.	5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape
380.	5905	Textile wall coverings
381.	5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902
382.	5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
383.	5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated

384.	5909	Textile hose piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials
385.	5910	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material
386.	5911	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter; such as Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams); Bolting cloth, whether or not made up; Felt for cotton textile industries, woven; Woven textiles felt, whether or not impregnated or coated, of a kind commonly used in other machines; Cotton fabrics and articles used in machinery and plant; Jute fabrics and articles used in machinery or plant; Textile fabrics of metalised yarn of a kind commonly used in paper making or other machinery; Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair; Paper maker's felt, woven; Gaskets, washers, polishing discs and other machinery parts of textile articles
387.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
388.	61	Article of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs 2500 per piece
389.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
390.	63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309]	Other made up textile articles, sets, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
391.	6309 or 6310	Worn clothing and other worn articles; rags
392.	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.2500 per pair
393.	6501	Textile caps
394.	6505	Hats (knitted/crocheted) or made up from lace or other textile fabrics
395.	6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
396.	6602	Whips, riding-crops and the like
397.	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
398.	6603	Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602
399.	6701	Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes)
400.	68	Sand lime bricks or Stone inlay work
401.	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone
402.	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
403.	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
404.	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china
405.	6913	Statues and other ornamental articles

406.	7001	Cullet or other waste or scrap of glass
407.	7015 10	Glasses for corrective spectacles and flint buttons
408.	7018	Glass beads
409.	7020	Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns
410.	7310 or 7326	Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes
411.	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium
412.	7317	Animal shoe nails
413.	7319	Sewing needles
414.	7321	Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel
415.	7321 or 8516	Solar cookers
416.	7323	Table, kitchen or other household articles of iron & steel; Utensils
417.	7418	Table, kitchen or other household articles of copper; Utensils
418.	7419 80 30	Brass Kerosene Pressure Stove
419.	7615	Table, kitchen or other household articles of aluminium; Utensils
420.	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware
421.	8401	Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors
422.	8407 10 00, 8411	Aircraft engines
423.	8408	Fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
424.	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
425.	8413, 8413 91	Hand pumps and parts thereof
426.	8413 81 90	Hydraulic Pumps for tractors
427.	8414 20 20	Other hand pumps
428.	8419 12	Solar water heater and system
429.	8420	Hand operated rubber roller
430.	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers
431.	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers
432.	8432	Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers; Parts [8432 90]
433.	8433	Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; parts thereof
434.	8436	Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders; parts thereof
435.	8452	Sewing machines, other than book-sewing machine of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machines needles and parts of sewing machines
436.	8479	Composting Machines
437.	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their manufacture:- (a) Bio-gas plant; (b) Solar power-based devices; (c) Solar power generator; (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG);

		(e) Waste to energy plants / devices; (f) Solar lantern / solar lamp; (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants; (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels. Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at serial number 38 of the Table mentioned in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30 th June, 2017, the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service
438.	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles
439.	8525 60	Two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc.
440.	87	Fuel Cell Motor Vehicles including hydrogen vehicles based on fuel cell technology
441.	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. Explanation.- For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicles" means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.
442.	8701	Tractors (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)
443.	8708	Following parts of tractors namely: a. Rear Tractor wheel rim, b. tractor centre housing, c. tractor housing transmission, d. tractor support front axle
444.	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
445.	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
446.	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
447.	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
448.	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
449.	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
450.	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
451.	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452.	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
453.	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
454.	8708 99 00	Fender, Hood, Wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors.
455.	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles
456.	8712	Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
457.	8713	Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled

458.	8714	Parts and accessories of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of heading 8712
459.	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons
460.	8716 20 00	Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes
461.	8716 80	Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles
462.	88 or Any other Chapter	Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads
463.	8802	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes), other than for personal use
464.	8806	Unmanned aircraft
465.	8807	Parts of goods of heading 8802 or 8806
466.	8901	Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods
467.	8902	Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products
468.	8904	Tugs and pusher craft
469.	8905	Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms
470.	8906	Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats
471.	8907	Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)
472.	Any chapter	Parts of goods of headings 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907
473.	90	Coronary stents and coronary stent systems for use with cardiac catheters
474.	90 or any other Chapter	Artificial kidney
475.	90 or any other Chapter	Blood glucose monitoring system (Glucometer) and test strips
476.	90 or any other Chapter	Patent Ductus Arteriosus / Atrial Septal Defect occlusion device
477.	90 or any other Chapter	Parts of the following goods, namely: - (i) Crutches; (ii) Wheel chairs; (iii) Walking frames; (iv) Tricycles; (v) Brailers; and (vi) Artificial limbs
478.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 1 appended to this Schedule
479.	90 or 84	Disposable sterilized dialyzer or micro barrier of artificial kidney
480.	9001	Contact lenses; Spectacle lenses
481.	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof
482.	9004	Spectacles, corrective (including goggles for correcting vision)
483.	9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scientigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments
484.	9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus
485.	9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

486.	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]
487.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
488.	9025	Thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage
489.	9027	Instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses, for physical or chemical analysis
490.	9403	Furniture wholly made of bamboo, cane or rattan
491.	9404	Coir products (except coir mattresses)
492.	9404	Products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs 2500 per piece
493.	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
494.	9401 10 00	Aircraft seats
495.	9405	Hurricane lanterns, Kerosene lamp / pressure lantern, petromax, glass chimney, and parts thereof
496.	9503	Toy balloons made of natural rubber latex
497.	9503	Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof) [other than electronic toys]
498.	9504	Playing cards, chess board, carom board and other board games, like ludo, etc. (other than Video game consoles and Machines)
499.	9506	Sports goods other than articles and equipment for general physical exercise
500.	9507	Fishing hooks
501.	9507	Fishing rods, and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy birds (other than those of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
502.	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, corals, mother of pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)
503.	9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks (other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles)
504.	9603 21 00	Tooth brushes including dental-plate brushes
505.	9607	Slide fasteners and parts thereof
506.	9615	Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof
507.	9619 00 30, 9619 00 40, or 9619 00 90	All goods
508.	9701	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques
509.	9702	Original engravings, prints and lithographs
510.	9703	Original sculptures and statuary, in any material

511.	9704	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907
512.	9705	Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest including numismatic coins
513.	9706	Antiques of an age exceeding one hundred years
514.	9804	All drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits and formulations intended for personal use [other than those specified at nil at serial number 113 of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/GST-2, dated the 17 th September, 2025]
515.	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri
516.	Any chapter	Biomass briquettes or solid bio fuel pellets

List 1 [See S. No. 478 of the Schedule I]

- (A) (1) Braille writers and braille writing instruments
(2) Hand writing equipment Braille Frames, Slates, Writing Guides, Script Writing Guides, Styli, Braille Erasers
(3) Canes, Electronic aids like the Sonic Guide
(4) Optical, Environmental Sensors
(5) Arithmetic aids like the Taylor Frame (arithmetic and algebra types), Cubarythm, Speaking or Braille calculator
(6) Geometrical aids like combined Graph and Mathematical Demonstration Board, Braille Protractors, Scales, Compasses and Spar Wheels
(7) Electronic measuring equipment, such as calipers, micrometers, comparators, gauges, gauge blocks
Levels, Rules, Rulers and Yardsticks
(8) Drafting, Drawing aids, tactile displays
(9) Specially adapted clocks and watches
- (B) (1) Wheel chairs falling under heading No. 87.13 of the First Schedule
(2) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled
- (C) Artificial electronic larynx and spares thereof
- (D) Artificial electronic ear (Cochlear implant)
- (E) (1) Talking books (in the form of cassettes, discs or other sound reproductions) and large-print books, braille embossers, talking calculators, talking thermometers
(2) Equipment for the mechanical or the computerized production of braille and recorded material such as braille computer terminals and displays, electronic braille, transfer and pressing machines and stereo typing machines
(3) Braille paper
(4) All tangible appliances including articles, instruments, apparatus, specially designed for use by the blind
(5) Aids for improving mobility of the blind such as electronic orientation and obstacle detection appliance and white canes
(6) Technical aids for education, rehabilitation, vocational training and employment of the blind such as Braille typewriters, braille watches, teaching and learning aids, games and other instruments and vocational aids specifically adapted for use of the blind
(7) Assistive listening devices, audiometers
(8) External catheters, special jelly cushions to prevent bed sores, stair lift, urine collection bags
(9) Instruments and implants for severely physically handicapped patients and joints replacement and spinal instruments and implants including bone cement.

Schedule II – 9 %

Serial Number	Chapter/Heading/Sub-Heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	1702	Artificial honey, whether or not mixed with natural honey
2.	2207	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]
3.	22071012	Spirits for industrial use
4.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid
5.	24041200	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
6.	24049100, 24049200, 24049900	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
7.	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
8.	2516 12 00	Granite, other than blocks
9.	2523	Portland cement, aluminous cement, slag cement, super sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
10.	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
11.	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
12.	2603	Copper ores and concentrates
13.	2604	Nickel ores and concentrates
14.	2605	Cobalt ores and concentrates
15.	2606	Aluminium ores and concentrates
16.	2607	Lead ores and concentrates
17.	2608	Zinc ores and concentrates
18.	2609	Tin ores and concentrates
19.	2610	Chromium ores and concentrates
20.	2619	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag
21.	2620	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic or their compounds
22.	2621	Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste [other than fly ash]
23.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
24.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
25.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
26.	2706	Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
27.	2707	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, such as Benzole (benzene), Toluole (toluene), Xylole (xylenes), Naphthelene
28.	2708	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars

29.	2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; Avgas (other than kerosene PDS, petrol, diesel and ATF which are not in GST)
30.	2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, such as Propane, Butanes, Ethylene, propylene, butylene and butadiene [Other than Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers or to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited]
31.	2712	Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
32.	2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
33.	2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks
34.	2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
35.	28	All inorganic chemicals [other than those specified in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/GST-2, dated the 17 th September, 2025 or other Schedules of this notification]
36.	29	All organic chemicals other than giberellic acid
37.	2906 11 90	Goods other than Natural Menthol
38.	29061190, 30, 3301	Following goods made from other than natural menthol, namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil) c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO) e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil
39.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, which are clearly not to be used as fertilizers
40.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, which are clearly not to be used as fertilizers
41.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, which are clearly not to be used as fertilizers
42.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, which are clearly not to be used as fertilizers
43.	3201	Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives (other than Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract)
44.	3202	Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances (other than Enzymatic preparations for pre-tanning)

45.	3203	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin
46.	3204	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined
47.	3205	Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes
48.	3206	Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
49.	3207	Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes
50.	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
51.	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
52.	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather
53.	3211 00 00	Prepared driers
54.	3212	Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale
55.	3213	Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings
56.	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like
57.	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink
58.	3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils such as essential oils of citrus fruit, essential oils other than those of citrus fruit such as eucalyptus oil, etc., flavouring essences all types (including those for liquors), attars of all kinds in fixed oil bases
59.	3302	Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on

		odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages such as synthetic perfumery compounds [other than natural menthol and goods made from natural menthol i.e menthol and menthol crystals, Peppermint (Mentha Oil), Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO), De-mentholised oil (DMO), Spearmint oil, Mentha piperita oil]
60.	3303	Perfumes and toilet waters
61.	3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments) including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations [other than kajal, kumkum, bindi, sindur, alta, talcum powder and face powder]
62.	3305	Preparations for use on the hair [other than mehendi paste in cones, hair oil, shampoo]
63.	3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders in individual retail packages [other than tooth powder, tooth paste and yarn used to clean between the teeth (dental floss)]
64.	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties [other than shaving cream, shaving lotion and aftershave lotion]
65.	3307 41 00	Odoriferous preparations which operate by burning [other than agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani]
66.	3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap [other than toilet soap in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes]; organic surface active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent
67.	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 [other than Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil]
68.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
69.	3404	Artificial waxes and prepared waxes
70.	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404
71.	3407	Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)

72.	3501	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
73.	3502	Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives
74.	3504	Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed; including Isolated soya protein
75.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg
76.	3507	Enzymes, prepared enzymes
77.	3601	Propellant powders
78.	3602	Prepared explosives, other than propellant powders, such as industrial explosives
79.	3603	Safety fuses; detonating cords; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators
80.	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles
81.	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters
82.	3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs; such as Instant print film, Cinematographic film (other than for x-ray for Medical use)
83.	3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed
84.	3703	Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed
85.	3704	Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed
86.	3706	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track
87.	3707	Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use
88.	3801	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures
89.	3802	Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black
90.	3803 00 00	Tall oil, whether or not refined
91.	3804	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803
92.	3805	Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
93.	3806	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums

94.	3807	Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch
95.	3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products [other than bio-pesticides mentioned against serial number 260 of Schedule –I]
96.	3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included
97.	3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods
98.	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils
99.	3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics such as vulcanizing agents for rubber
100.	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire extinguishing grenades
101.	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers
102.	3815	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included
103.	3816	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 [other than dolomite ramming mix]
104.	3817	Mixed alkylbenzenes and mixed alkyl-naphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902
105.	3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics [other than silicon wafers]
106.	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
107.	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
108.	3821	Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
109.	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining; industrial fatty alcohols
110.	3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included
111.	3825	Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included [except municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter.]

112.	3826	Biodiesel (other than biodiesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)
113.	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included
114.	3901 to 3913	All goods i.e. polymers; Polyacetals, other polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters, other polyesters; polyamides; Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes; silicones; Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included; Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included; Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included; in primary forms
115.	3914	Ion exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms
116.	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics
117.	3916	Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics
118.	3917	Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics
119.	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter
120.	3919	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
121.	3920	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials
122.	3921	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics
123.	3922	Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics
124.	3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics
125.	3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics
126.	3925	Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included
127.	3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, plastic beads and feeding bottles]
128.	4002	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip; such as Latex, styrene butadiene rubber, butadiene rubber (BR), Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), Ethylene-propylene-Non-conjugated diene rubber (EPDM)
129.	4003	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
130.	4004	Powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)
131.	4005	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
132.	4006	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber
133.	4007	Vulcanised rubber thread and cord, other than latex rubber thread

134.	4008	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber
135.	4009	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)
136.	4010	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber
137.	4011	New pneumatic tyres, of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; rear tractor tyres; and of a kind used on aircraft)
138.	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber
139.	4013	Inner tubes of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyre tubes)
140.	4014	Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber; such as Hot water bottles, Ice bags [other than Sheath contraceptives, Rubber contraceptives, male (condoms), Rubber contraceptives, female (diaphragms), such as cervical caps]
141.	4015	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mits), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber [other than Surgical gloves]
142.	4016	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber [other than erasers, rubber bands]
143.	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, other than waste and scrap; articles of hard rubber
144.	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material
145.	4202	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco- pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than handbags and shopping bags, of cotton or jute]
146.	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather [other than gloves specially designed for use in sports]
147.	4205	Other articles of leather or of composition leather
148.	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
149.	4301	Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103.
150.	4302	Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303
151.	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin
152.	4304	Artificial fur and articles thereof
153.	4403	Wood in the rough
154.	4407	Wood sawn or chipped

155.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [other than for match splints]
156.	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, v-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed [other than bamboo flooring]
157.	4410	Particle board, Oriented Strand Board and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
158.	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards
159.	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
160.	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
161.	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
162.	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes [other than bamboo wood building joinery]
163.	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware
164.	44 or any Chapter	Resin bonded bamboo mat board, with or without veneer in between; Bamboo flooring tiles
165.	4501	Waste cork; crushed, granulated or ground cork
166.	4702	Chemical wood pulp, dissolving grades
167.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; [other than uncoated paper and paperboard for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks only]
168.	4803	Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets
169.	4804	Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803
170.	4805	Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter
171.	4806	Vegetable parchment, tracing papers and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets
172.	4806 20 00	Greaseproof papers
173.	4806 40 10	Glassine papers
174.	4807	Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets
175.	4808	Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803

176.	4809	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets
177.	4810	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size
178.	4811	Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810
179.	4812	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp
180.	4813	Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
181.	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper
182.	4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes
183.	4817 [Except 4817 30]	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; [other than boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery including writing blocks]
184.	4818	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, table cloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, or paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
185.	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)
186.	4820	Registers, account books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; and book covers, of paper or paperboard [other than note books and exercise books]
187.	4821	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
188.	4822	Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)
189.	4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres [other than paper pulp moulded trays, Braille paper, Kites, Paper mache articles]
190.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing
191.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scripts); Cheques, loose or in book form

192.	4908	Transfers (decalcomanias).
193.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
194.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
195.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.
196.	5601 22 00	Cigarette Filter rods
197.	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
198.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
199.	63 [other than 6309]	Other made-up textile articles, sets of sale value exceeding Rs. 2500 per piece [other than worn clothing and other worn articles; rags]
200.	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods
201.	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers
202.	6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
203.	6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
204.	6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather
205.	6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials
206.	6405	Other footwear
207.	6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof
208.	6501	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt [other than textile caps]
209.	6502	Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed
210.	6504 00 00	Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
211.	6505	Other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed
212.	6506	Other headgear, whether or not lined or trimmed
213.	6507	Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear
214.	6702	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit
215.	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like

216.	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
217.	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
218.	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and power, of natural stone (including slate) [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone][except the items covered in Sl. No. 176 in Schedule I]
219.	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate
220.	6804	Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials
221.	6805	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
222.	6806	Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or chapter 69
223.	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
224.	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
225.	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented
226.	6810	Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced
227.	6811	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like
228.	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
229.	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
230.	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
231.	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included [other than Fly ash bricks Fly ash aggregates; Fly ash blocks]
232.	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths

233.	6902	Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths
234.	6903	Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths
235.	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
236.	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods
237.	6906	Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
238.	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
239.	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
240.	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
241.	6914	Other ceramic articles
242.	7002	Glass in balls (other than microspheres of heading 70.18), rods or tubes, unworked
243.	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
244.	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
245.	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
246.	7006 00 00	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
247.	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
248.	7008	Multiple-walled insulating units of glass
249.	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors
250.	7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass
251.	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like
252.	7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)
253.	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked
254.	7015	Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses
255.	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for

		building or construction purposes; glass cubes and other glass small wares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms
256.	7017	Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
257.	7018	Imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter
258.	7019	Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)
259.	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]
260.	7201	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
261.	7202	Ferro-alloys
262.	7203	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms
263.	7204	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel
264.	7205	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel
265.	7206	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203)
266.	7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
267.	7208 to 7212	All flat-rolled products of iron or non-alloy steel
268.	7213 to 7215	All bars and rods, of iron or non-alloy steel
269.	7216	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
270.	7217	Wire of iron or non-alloy steel
271.	7218	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel
272.	7219, 7220	All flat-rolled products of stainless steel
273.	7221, 7222	All bars and rods, of stainless steel
274.	7223	Wire of stainless steel
275.	7224	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel
276.	7225, 7226	All flat-rolled products of other alloy steel
277.	7227, 7228	All bars and rods of other alloy steel.
278.	7229	Wire of other alloy steel
279.	7301	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
280.	7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails
281.	7303	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron
282.	7304	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel

283.	7305	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel
284.	7306	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel
285.	7307	Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel
286.	7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames and thresholds for doors, and shutters, balustrades, pillars, and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for using structures, of iron or steel [other than transmission towers]
287.	7309	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
288.	7310	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment, other than Milk cans made of Iron or Steel
289.	7311	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
290.	7312	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
291.	7313	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel
292.	7314	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel
293.	7315	Chain and parts thereof, of iron or steel falling under 7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90
294.	7316	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel
295.	7317	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
296.	7318	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel
297.	7319	Knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stiletos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included
298.	7320	Springs and leaves for springs, of iron and steel
299.	7321	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel [other than Kerosene burners, kerosene stoves, wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers]
300.	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel

301.	7323	Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel (other than Milk cans made of Iron or Steel)
302.	7323 9410	Ghamella
303.	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel
304.	7325	Other cast articles of iron or steel
305.	7326	Other articles of iron or steel
306.	7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
307.	7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
308.	7403	Refined copper and copper alloys, unwrought
309.	7404	Copper waste and scrap
310.	7405	Master alloys of copper
311.	7406	Copper powders and flakes
312.	7407	Copper bars, rods and profiles
313.	7408	Copper wire
314.	7409	Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm
315.	7410	Copper foils
316.	7411	Copper tubes and pipes
317.	7412	Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
318.	7413	Stranded wires and cables
319.	7415	Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper
320.	7418	All goods (other than table, kitchen or other household articles of copper; Utensils)
321.	7419	Other articles of copper (other than Brass Kerosene Pressure Stove)
322.	7501	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy
323.	7502	Unwrought nickel
324.	7503	Nickel waste and scrap
325.	7504	Nickel powders and flakes
326.	7505	Nickel bars, rods, profiles and wire
327.	7506	Nickel plates, sheets, strip and foil
328.	7507	Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
329.	7508	Other articles of nickel
330.	7601	Unwrought Aluminium
331.	7602	Aluminium waste and scrap
332.	7603	Aluminium powders and flakes
333.	7604	Aluminium bars, rods and profiles
334.	7605	Aluminium wire
335.	7606	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm
336.	7607	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm
337.	7608	Aluminium tubes and pipes
338.	7609	Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

339.	7610	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures
340.	7611	Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
341.	7612	Aluminium casks, drums, cans, boxes, etc., other than Milk cans made of Aluminium
342.	7613	Aluminium containers for compressed or liquefied gas
343.	7614	Stranded wires, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated
344.	7615	All goods (other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils, Milk cans made of Aluminium)
345.	7616	Other articles of aluminium
346.	7801	Unwrought lead
347.	7802	Lead waste and scrap
348.	7804	Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes
349.	7806	Other articles of lead (including sanitary fixtures and Indian lead seals)
350.	7901	Unwrought zinc
351.	7902	Zinc waste and scrap
352.	7903	Zinc dust, powders and flakes
353.	7904	Zinc bars, rods, profiles and wire
354.	7905	Zinc plates, sheets, strip and foil
355.	7907	Other articles of zinc including sanitary fixtures
356.	8001	Unwrought tin
357.	8002	Tin waste and scrap
358.	8003	Tin bars, rods, profiles and wire
359.	8007	Other articles of tin
360.	8101 to 8112	Other base metals, namely, Tungsten, Molybdenum, Tantalum, Magnesium, Cobalt mattes, and other intermediate products of cobalt metallurgy, Bismuth, Cadmium, Titanium, Zirconium, Antimony, Manganese, Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles thereof, including waste and scrap
361.	8113	Cermets and articles thereof, including waste and scrap
362.	8202	Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)
363.	8203	Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools
364.	8204	Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles
365.	8205	Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks

366.	8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale
367.	8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools
368.	8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances
369.	8209	Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets
370.	8210 00 00	Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink
371.	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor
372.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)
373.	8213 00 00	Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor
374.	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives); manicure or pedicure sets and instruments including nail files [other than pencil sharpeners]
375.	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware
376.	8301	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal
377.	8302	Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal
378.	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
379.	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
380.	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
381.	8307	Flexible tubing of base metal, with or without fittings
382.	8308	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal
383.	8309	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
384.	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405
385.	8311	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying

386.	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
387.	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps
388.	8401	Nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopes separation
389.	8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers
390.	8403	Central heating boilers other than those of heading 8402
391.	8404	Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units
392.	8405	Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
393.	8406	Steam turbines and other vapour turbines
394.	8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine [other than aircraft engines]
395.	8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
396.	8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
397.	8410	Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor
398.	8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines [other than aircraft engines]
399.	8412	Other engines and motors (Reaction engines other than turbo jets, Hydraulic power engines and motors, Pneumatic power engines and motors, other parts) [other than wind turbine or engine]
400.	8413	(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps]; Pumps for dispensing fuel or lubricants of the type used in filling stations or garages [8413 11], Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines [8413 30]
401.	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]
402.	8414 20 10	Bicycles pumps
403.	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps
404.	8415	Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
405.	8416	Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
406.	8417	Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric

407.	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415
408.	8419 [other than 8419 12]	Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric [other than Solar water heater and system]
409.	8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor [other than Hand operated rubber roller]
410.	8421	Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases
411.	8422	Dish washing machines, household [8422 11 00] and other [8422 19 00]; Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages
412.	8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
413.	8424	Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]
414.	8425	Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks
415.	8426	Ship's derricks; cranes including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
416.	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
417.	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
418.	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
419.	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers
420.	8431	Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430
421.	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
422.	8434	Milking machines and dairy machinery
423.	8435	Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

424.	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof
425.	8438	Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils
426.	8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
427.	8440	Book-binding machinery, including book-sewing machines
428.	8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds
429.	8442	Machinery, apparatus and equipment (other than the machines of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)
430.	8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof
431.	8444	Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials
432.	8445	Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447
433.	8446	Weaving machines (looms)
434.	8447	Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
435.	8448	Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, dobbies, Jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindles flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald frames, hosiery needles)
436.	8449	Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats
437.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry
438.	8451	Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor covering such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics
439.	8453	Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

440.	8454	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
441.	8455	Metal-rolling mills and rolls therefor
442.	8456	Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes
443.	8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal
444.	8458	Lathes (including turning centres) for removing metal
445.	8459	Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
446.	8460	Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461
447.	8461	Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
448.	8462	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die forging (excluding rolling mills); Machine-tools (including presses, slitting lines and cut-to-length lines) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching, notching or nibbling (excluding draw-benches); Presses for working metal or metal carbides, not specified above
449.	8463	Other machine-tools for working metal, or cermets, without removing material
450.	8464	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass
451.	8465	Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials
452.	8466	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for the machines; tool holders for any type of tool, for working in the hand
453.	8467	Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor
454.	8468	Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and appliances
455.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers
456.	8471	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
457.	8472	Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines) [other than Braille typewriters, electric or non-electric]

458.	8473	Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8470 to 8472
459.	8474	Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand
460.	8475	Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware
461.	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines
462.	8477	Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this Chapter
463.	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter
464.	8479	Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Composting Machines]
465.	8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics
466.	8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
467.	8482	Ball bearing, Roller Bearings
468.	8483	Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
469.	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals
470.	8485	Machines for Additive Manufacturing
471.	8486	Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in Note 11(C) to this Chapter; parts and accessories
472.	8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features not specified or included elsewhere in this chapter
473.	84 or 85	E-waste <i>Explanation.</i> - For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer

474.	8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)
475.	8502	Electric generating sets and rotary converters
476.	8503	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502
477.	8504	Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors other than charger or charging station for Electrically operated vehicles
478.	8505	Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads
479.	8506	Primary cells and primary batteries
480.	8507	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)
481.	8508	Vacuum cleaners
482.	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508
483.	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor
484.	8511	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines
485.	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
486.	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512
487.	8514	Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss
488.	8515	Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photo beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets
489.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes [other than solar cookers]; electric heating resistors, other than those of heading 8545
490.	8517	All goods
491.	8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier set

492.	8519	Sound recording or reproducing apparatus
493.	8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner
494.	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521
495.	8523	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37
496.	8524	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-Sensitive Screens
497.	8525	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defense, police and paramilitary forces, etc.]
498.	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
499.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
500.	8528	Television set (including LCD or LED television), Computer Monitors, Set top Box for Television; monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus
501.	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
502.	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
503.	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530
504.	8532	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)
505.	8533	Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors
506.	8534 00 00	Printed Circuits
507.	8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 volts
508.	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lampholders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts: connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables
509.	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517

510.	8538	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537
511.	8539	Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps
512.	8540	Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes)
513.	8541	Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); mounted piezo-electric crystals
514.	8542	Electronic integrated circuits
515.	8543	Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter
516.	8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors
517.	8545	Carbon electrodes, carbon brushes, Lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
518.	8546	Electrical insulators of any material
519.	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material
520.	8548 00 00	Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in Chapter 85
521.	8549	Electrical and electronic waste and scrap
522.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
523.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
524.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
525.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
526.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
527.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
528.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
529.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.

530.	8609	Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport [including refrigerated containers]
531.	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc
532.	8702	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [including buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]
533.	8702 or 8703	Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles
534.	8703 21 or 8703 22	Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there under.
535.	8703 31	Diesel driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there under.
536.	8703	Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: - (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department
537.	8703	Three wheeled vehicles
538.	8703 40, 8703 60	Following Vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there under
539.	8703 50, 8703 70	Following Vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles

		(c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there under
540.	8704	Motor vehicles for the transport of goods, including Refrigerated motor vehicles
541.	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)
542.	8706	Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
543.	8707	Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
544.	8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 [other than specified parts of tractors]
545.	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles
546.	8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor not exceeding 350 cc, with or without side-cars; side-cars
547.	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711
548.	8715	Baby carriages and parts thereof
549.	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]
550.	8801	Balloons and dirigibles, gliders and other non-powered aircraft
551.	8804	Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto and parts thereof
552.	8805	Aircraft launching gear, deck arrestor or similar gear; ground flying trainers and parts thereof
553.	8807	Parts of goods of heading 8801
554.	8903	Rowing boats and canoes
555.	8908 00 00	Vessels and other floating structures for breaking up
556.	9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked
557.	9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked [other than intraocular lens]
558.	9004	Spectacles [other than corrective]; Goggles [other than corrective]
559.	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
560.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539

561.	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
562.	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
563.	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
564.	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection
565.	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
566.	9013	Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
567.	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
568.	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders
569.	9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights
570.	9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter
571.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
572.	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses
573.	9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)
574.	9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments [other than thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage]
575.	9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032
576.	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes [other than instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses for physical or chemical analysis]
577.	9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

578.	9029	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes
579.	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations
580.	9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors
581.	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus
582.	9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
583.	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
584.	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101
585.	9103	Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104
586.	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
587.	9105	Other clocks
588.	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)
589.	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
590.	9108	Watch movements, complete and assembled
591.	9109	Clock movements, complete and assembled
592.	9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements
593.	9111	Watch cases and parts thereof
594.	9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof
595.	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof
596.	9114	Other clock or watch parts
597.	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
598.	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
599.	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
600.	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)
601.	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
602.	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments

603.	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds
604.	9301	Military weapons other than revolvers, pistols
605.	9303	Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)
606.	9304	Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307
607.	9305	Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304
608.	9306	Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
609.	9307	Swords, cut lasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor
610.	9401 [other than 9401 10 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof, including seats of a kind used for motor vehicles, other than seats of a kind used for aircraft
611.	9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles
612.	9403	Other furniture [other than furniture wholly made of bamboo, cane or rattan] and parts thereof
613.	9404	Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered [other than coir products (except coir mattresses), products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs. 2500 per piece and cotton quilts not exceeding Rs. 2500 per piece]
614.	9405	Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof]
615.	9406	Prefabricated buildings
616.	9503	Electronic Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof)
617.	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.
618.	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes
619.	9506	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, swimming pools and padding pools [other than sports goods]

620.	9508	Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres
621.	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin
622.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	Buttons, of plastics not covered with the textile material, of base metals, buttons of coconut shell, button blanks
623.	9603 [other than 9603 10 00 and 9603 21 00]	Brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees) [other than brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles, and tooth brushes including dental-plate brushes]
624.	9604 00 00	Hand sieves and hand riddles
625.	9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
626.	9608	Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609
627.	9610 00 00	Boards, with writing or drawing surface, whether or not framed
628.	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
629.	9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes
630.	9613	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints or wicks
631.	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations
632.	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners
633.	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing
634.	9620 00 00	Monopods, bipods, tripods and similar articles
635.	9801	All items of machinery including prime movers, instruments, apparatus and appliances, control gear and transmission equipment, auxiliary equipment (including those required for research and development purposes, testing and quality control), as well as all components (whether finished or not) or raw materials for the manufacture of the aforesaid items and their components, required for the initial setting up of a unit, or the substantial expansion of an existing unit, of a specified: (1) industrial plant, (2) irrigation project, (3) power project, (4) mining project, (5) project for the exploration for oil or other minerals, and (6) such other projects as the Central Government may, having regard to the economic development of the country notify in the Official Gazette in this behalf; and spare parts, other raw materials (including semi-finished

		materials of consumable stores) not exceeding 10% of the value of the goods specified above, provided that such spare parts, raw materials or consumable stores are essential for the maintenance of the plant or project mentioned in (1) to (6) above.
636.	9802	Laboratory chemicals
637.	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right
638.	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section (4) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), as prescribed in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.49/GST-2, dated the 31st March, 2019. <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry,— (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016). (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016). (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.
639.	Any Chapter	Goods which are not specified in Schedule I, III, IV, V, VI or VII
640.	9804	All dutiable articles intended for personal use

Schedule III– 20%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	All goods (including aerated waters), containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
2.	2202 91 00, 2202 99 90	Other non-alcoholic beverages [other than those specified in Schedule I of this notification]
3.	2202 99 90	Caffeinated Beverages
4.	2202	Carbonated beverages of fruit drink or carbonated beverages with fruit juice
5.	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars, but excluding the goods mentioned against S. Nos., 533, 534, 535, 536, 537, 538 and 539 of Schedule II.

6.	8703 40, 8703 60	Motor vehicles with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1200cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there under.
7.	8703 50, 8703 70	Motor vehicles with both compression- ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1500 cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there under.
8.	8711	Motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc
9.	8802	Aircrafts for personal use
10.	8903	Yachts and other vessels for pleasure or sports
11.	9302	Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304
12.	9614	Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof
13.	Any Chapter	Specified actionable claim; Explanation: “specified actionable claim” as defined in section 2(102A) of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of – (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;

Schedule IV– 1.5%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7101	Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport
2.	7105	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones
3.	7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
4.	7107	Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
5.	7108	Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
6.	7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7.	7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
8.	7111	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

9.	7112	Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
10.	7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
11.	7114	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
12.	7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
13.	7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
14.	7117	Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]
15.	7118	Coin

Schedule V – 0.125%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial
2.	7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport
3.	7104	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped

Schedule VI – 0.75%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against serial number 1 in Schedule V
2.	7104	Goods other than those specified against serial number 3 in Schedule V

Schedule VII – 14%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (including biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion

6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion
----	------------	--

Explanation.— For the purposes of this notification,—

- (a) the expressions, -
 - (i) "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;
 - (ii) "pre-packaged and labelled" means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are "pre-packed" as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;
 - (iii) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);
 - (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
 - (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
2. This notification shall come into force with effect from the 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.